

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता—किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:—ccffdp.kota@gmail.com दरभाष:— 0744-2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2023/5 59

दिनांक : 4.1.2024

निमित्त,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान जयपुर।

विशय: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District Bundi from
Chambal-Bhilwara WSP (Phase-1) District Bundi.
(Proposal no FP/RJ/WATER/154215/2022)

प्रसंग: आपका पत्रांक एफ(PHED)2021/एफसीए/प्रमुवसं/7119-21 दिनांक 11.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संलग्न भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्रांक 8बी/राज/028/2023-JPR दिनांक 10.08.2023 से जारी सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना उप वन संरक्षक बून्दी ने अपने पत्रांक 13072 दिनांक 26.12.2023 से प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार है:—

S.No.	Conditions of Stage-I approval by MOEF	Compliance
1.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	Related to DCF RVTR (Core) Bundi. Enclosed "A" Condition No.1
2.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	The non-forest land proposed for CA already notified PF jurisdiction is DCF RVTR (Core) Bundi. Enclosed "A" Condition No.2
3.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.9975 ha. forest area to be diverted under this proposal, from the User Agency as per the orders of the Hon'able Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard.	The U. A has reported that, demanded NPV by this office RS 10962845.66 has been deposited in campa account by challan voucher no. 6597161 dated 21-09-2023. Enclosed "A" Condition No.3

Signature valid

RajKaj Ref
5282742



Digitally signed by Mahesh Chand
Gupta
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.01.04 10:46:12 IST
Reason: Approved

4.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	User agency agreed to abide by this condition. Enclosed "A" Condition No.4
5.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	Complete compliance has been made by the user agency. The Original FRA Submitted by user agency attached with final compliance. Enclosed "A" Condition No.5
6.	The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	The CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal Related to DCF RVTR (Core) Bundi and The KML file of the area diverted uploaded on the e-Green. Enclosed "A" Condition No.6
7.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	Yes, All the funds deposited by user agency & transferred to CAMPA Fund only through e-portal. Enclosed "A" Condition No.7

B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stgsge-11 approval:

S.No.	Point	Compliances
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	User agency hereby agree to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.1
2.	Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.	Required non forest land handed over to the forest department by the user agency. Enclosed "B" Condition No.2
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department 4,9975 ha, non-forest land Khasra No. 1346, Village-Kota Khurd, District Bundi of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	Related to DCF RVTR (Core) Bundi. Enclosed "B" Condition No.3
4.	User agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State forest Department.	User agency agreed to abide by this condition Undertaking given for felling of trees to minimum number in the diverted forest land & tree felled under strict supervision by the user agency cost of felling of trees deposited by the user agency. Enclosed "B" Condition No.4
5.	The Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled.	User agency agreed to abide by this condition Undertaking for the user agency Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled.

RajKaj Ref
5282742

Signature valid

Digitally signed by Mahesh Chand
Gupta
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.01.04 13:46:12 IST
Reason: Approved

		Enclosed "B" Condition No.5
6.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	User agency agreed to abide by this condition Undertaking for No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused. Enclosed "B" Condition No.6
7.	User Agency shall obtain Environmental clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	User agency agreed to abide by this condition Undertaking for Environmental clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable. Enclosed "B" Condition No.7
8.	User Agency shall obtain wildlife clearance.	User agency agreed to abide by this condition Undertaking for shall obtain wildlife clearance. Enclosed "B" Condition No.8
9.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	User agency agreed to abide by this condition Undertaking for layout plan will not change without prior approval of central Government. (Annex – B5) Enclosed "B" Condition No.9
10.	No labour camp shall be established on the forest land.	User agency agreed to abide by this condition Undertaking for No labour camp shall be established on the forest land. Enclosed "B" Condition No.10
11.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	User agency agreed to abide by this condition. Undertaking for Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. Enclosed "B" Condition No.11
12.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer	User agency agreed to abide by this condition The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. Enclosed "B" Condition No.12
13.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	User agency agreed to abide by this condition Undertaking for No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. Enclosed "B" Condition No.13
14.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	User agency agreed to abide by this condition Undertaking for The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. Enclosed "B" Condition No.14
15.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	User agency agreed to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.15
16.	The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every	User agency agreed to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.16

Signature valid

RajKaj Ref
5282742

Digitally signed by Mahesh Chand
Gupta
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.01.04 10:46:12 IST
Reason: Approved

	year.	
17.	The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (S) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	User agency agreed to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.17
18.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	User agency agreed Compliance report uploaded on e-portal. Enclosed "B" Condition No.18
19	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	User agency agreed to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.19
20	The compliance report shall be uploaded on e-portal	User agency agreed Compliance report uploaded on e-portal. Enclosed "B" Condition No.20

भवदीय

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2023/

दिनांक :

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक बून्दी को पत्रांक 13072 दिनांक 26.12.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Signature valid

RajKaj Ref
5282742

Digitally signed by Mahesh Chand
Gupta
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.01.04 10:46:12 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

Add. - Nainwa Road, Behind Head Post Office, Bundi - 323001

E-Mail:- dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823, Fax No. 0747-2457462

क्रमांक एफ2()एफ0सी0ए0/उवसं/2023/) 3 ० 7 2
निमित्त,

दिनांक : १ ६ - 1 2 - 2 3

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय:- Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District BUNDI
From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-1) District Bundi Proposil No.
FP/RJ/WATER/154215/2022

प्रसंग :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र क्रमांक 8 बी/राज0/028/2023/JPR/ दिनांक 10.08.2023 एवं अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक 7122-25 दिनांक 11.08.2023 एवं प्रयोक्ता ऐजेन्सी का पत्रांक 1699 दिनांक 18.10.2023 एवं 2064-66 दिनांक 19.12.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के कम में निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र क्रमांक 8 बी/राज0/028/2023/JPR/ दिनांक 10.08.2023 से Diversion of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District BUNDI From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-1) District Bundi के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 4.9975 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 329 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रासांगिक पत्र में वर्णित शर्तों के आधार पर प्रदान करती हैं। प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उनके प्रासांगिक पत्र से बिन्दुवार पालना कार्यालय में प्रेषित की गई हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं:-

S.No.	Conditions of Stage-I approval by MOEF	Compliance
1.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	Related to DCF RVTR (Core) Bundi. Enclosed "A" Condition No.1
2.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	The non-forest land proposed for CA already notified PF jurisdiction is DCF RVTR (Core) Bundi. Enclosed "A" Condition No.2
3.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.9975 ha. forest area to be diverted under this proposal, from the User Agency as per the orders of the Hon'able Supreme Court of India dated	The U. A has reported that, demanded NPV by this office RS 10962845.66 has been deposited in campa account by challan voucher no. 6597161 dated 21-09-2023. Enclosed "A" Condition No.3

BH

	30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard.	
4.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	User agency agreed to abide by this condition. Enclosed "A" Condition No.4
5.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	Complete compliance has been made by the user agency. The Original FRA Submitted by user Agency attached with final compliance. Enclosed "A" Condition No.5
6.	The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal Related to DCF RVTR (Core) Bundi and The KML file of the area diverted uploaded on the e-Green. Enclosed "A" Condition No.6
7.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	Yes, All the funds deposited by user agency & transferred to CAMPA Fund only through e-portal. Enclosed "A" Condition No.7

B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stsge-11 approval:

S.No.	Point	Compliances
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	User agency hereby agree to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.1
2.	Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.	Required non forest land handed over to the forest department by the user agency. Enclosed "B" Condition No.2
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department 4,9975 ha, non-forest land Khasra No. 1346, Village-Kota Khurd, District Bundi of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	Related to DCF RVTR (Core) Bundi. Enclosed "B" Condition No.3
4.	User agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land	User agency agreed to abide by this condition Undertaking given for felling of

AL

	and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State forest Department.	trees to minimum number in the diverted forest land & tree felled under strict supervision by the user agency cost of felling of trees deposited by the user agency. Enclosed "B" Condition No.4
5.	The Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled.	User agency agreed to abide by this condition Undertaking for the user agency Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled. Enclosed "B" Condition No.5
6.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	User agency agreed to abide by this condition Undertaking for No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused. Enclosed "B" Condition No.6
7.	User Agency shall obtain Environmental clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	User agency agreed to abide by this condition Undertaking for Environmental clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable. Enclosed "B" Condition No.7
8.	User Agency shall obtain wildlife clearance.	User agency agreed to abide by this condition Undertaking for shall obtain wildlife clearance. Enclosed "B" Condition No.8
9.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	User agency agreed to abide by this condition Undertaking for layout plan will not change without prior approval of central Government. (Annex - B5) Enclosed "B" Condition No.9
10.	No labour camp shall be established on the forest land.	User agency agreed to abide by this condition Undertaking for No labour camp shall be established on the forest land. Enclosed "B" Condition No.10
11.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	User agency agreed to abide by this condition. Undertaking for Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. Enclosed "B" Condition No.11
12.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer	User agency agreed to abide by this condition The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. Enclosed "B" Condition No.12
13.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	User agency agreed to abide by this condition Undertaking for No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the

क्रमांक :- 1699

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
वन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
परि खण्ड, बून्दी (राज.)

Original set

दिनांक 18.10.2023

सेवामें

श्रीमान् उध वन संरक्षक, बून्दी

(Online Poposal No. :FP/RJ/WATER/154215/2022)

विषय:-Diversion of 4.9975 Ha. of forest land in favour of EXECUTIVE ENGINEER,PUBLIC
HEATH ENGINEERING DEPARMENT RAJASTHAN for Laying of
Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District-Bundi From Chambal-
Bhilwara WSP (PHASE-I)District-Bundi (Rajasthan)

संदर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक 8B/RAJ/028/2023-JPR दिनांक 10.08.2023।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि EXECUTIVE ENGINEER,

के पक्ष में विषयांकित प्रस्ताव 4.9975 हैक्टो वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति (In-principle/Stage-Iapproval)329 वृक्षों के पातन सहित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

S.N.	Conditions	Compliance															
1.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars has been deposited by user agency in CAMPA fund Detail are Forest Division wise given below: DCF (Core) RVTR Bundi CA Rs. 11,40,000/- IFMS VR No. 6597161 Date: 21/09/2023 copy attached.															
2.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	User agency agree and in the respect undertaking attached.															
3.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.9975 ha. forest area to be diverted under this proposal, from the User Agency as per the orders of the Hon'able Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(VoI-1) dated 06.01.2022 in this regard.	Net Present Value (NPV) for the 4.9975 ha. forest area amount has been deposited by user agency in CAMPA fund fund Detail are Forest Division wise given below: <table border="1"><thead><tr><th>S.NO.</th><th>NAME OF FOREST DIVISION</th><th>DEPOSITED RS.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>DCF, BUNDI</td><td>10962845.66</td></tr><tr><td>2.</td><td>DCF, BHILWARA</td><td>830970.00</td></tr><tr><td>3.</td><td>DCF and Dy. Field Director (Core) RVTR Bundi</td><td>5506374.00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>17300189.66</td></tr></tbody></table> IFMS VR No. 6597161 Date: 21/09/2023 copy attached.	S.NO.	NAME OF FOREST DIVISION	DEPOSITED RS.	1.	DCF, BUNDI	10962845.66	2.	DCF, BHILWARA	830970.00	3.	DCF and Dy. Field Director (Core) RVTR Bundi	5506374.00	TOTAL		17300189.66
S.NO.	NAME OF FOREST DIVISION	DEPOSITED RS.															
1.	DCF, BUNDI	10962845.66															
2.	DCF, BHILWARA	830970.00															
3.	DCF and Dy. Field Director (Core) RVTR Bundi	5506374.00															
TOTAL		17300189.66															


Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

4.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	User agency hereby agree to pay the additional amount of NPV, if so determined as per the decision of the Hon'ble Supreme Court. In this regard undertaking has been given.
5.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	Original FRA certificates attached with compliance report. In this regard undertaking has been given.
6.	The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	User agency agree to the KML file of the area to be diverted and the CA areas will be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. In this regard undertaking has been given.
7.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	User agency under the project funds transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal. E-challan copy attached.
B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking will be submitted prior to Final/Stage-II approval:		
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	User agency undertakes to legal status of the forest land shall remain unchanged.
2.	Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.	User agency agree and in the respect undertaking attached.
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department 4.9975 ha. non-forest land Khasra No. 1346, Village-Kota Khurd, District-Bundi of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department 4.9975 ha. non-forest land Khasra No. 1346, Village-Kota Khurd, District-Bundi of Rajasthan and amount has been deposited by user agency in CAMPA fund are details given below: DCF (Core) RVTR Bundi CA Rs. 11,40,000/- IFMS VR No. 6597161 Date: 21/09/2023 copy attached.
4.	User agency shall restrict the felling of trees to 329 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	Cost of felling of trees and transportation amount has been deposited by user agency in office of the DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST, BUNDI As the office issue the demand note for amount to be deposited. Undertaking Attached.
5.	The Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled.	The Pipeline will be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled. Undertaking of the same attached.
6.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused. Undertaking of the same attached.
7.	User Agency shall obtain Environmental clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	User Agency will obtain Environmental clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable. Undertaking of the same attached.
8.	User Agency shall obtain wildlife clearance.	Obtain wildlife clearance proposal has been submitted is under process. Undertaking of the same attached.

9.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	The layout plan of the proposal will not be changed without prior approval of Central Government. Undertaking of the same attached.
10.	No labour camp shall be established on the forest land.	No labour camp will not be established on the forest land. Undertaking of the same attached.
11.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	User agency agree and in the respect undertaking attached.
12.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer	User agency agree and in the respect undertaking attached.
13.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	No additional or new path will not be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. Undertaking of the same attached.
14.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	The forest land will not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. Undertaking of the same attached.
15.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	User agency agree and in the respect undertaking attached.
16.	The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.	User agency agree and in the respect undertaking attached.
17.	The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (S) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	User agency agree and in the respect undertaking attached.
18.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	User agency agree and in the respect undertaking attached.
19.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	User agency agree and in the respect undertaking attached.
20.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	The compliance report will be uploaded on e-Portal (https://parivesh.nic.in/). Undertaking of the same attached.

Place:



Name:
Office Seal & Signature:
Designation:
BUNDI (Raj.)

"A" Condition No. 1

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/we **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi** hereby undertakes to that the cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars has been deposited in CAMPA fund.

Place: Bundi


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)


Signature of User Agency
with Seal
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

"A" Condition No. 2

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/we **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertakes that the non-forest land proposed for CA will be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.

Place: Bundi


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)


Signature of User Agency
with Seal
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

"A" Condition No. 3

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project

District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)

District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)


UNDERTAKING

I/we **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertakes to that Net Present Value (NPV) for the **4.9975 ha** forest area amount has been deposited in CAMPA fund and receipt attached.

Place: Bundi


**Signature of User Agency
with Seal**
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

Reference No. : 1550858		Government Of Rajasthan Payment Advice		ADVICE		
Bank Account No. : 5550915020100113		Scheme Name : National Rural Drinking Water Programme RJ		Month/Year : September / 2023		
Advice/Bill No. : 45		Date : 20/09/2023		SNA Name : SWSM, JAIPUR, RAJASTHAN		
SNA Office (Office Id) : -		Agency Office (Office Id) : XEN PHED Project Dn. Bundi - 32165		SNA DDO Code : Agency DDO Code : 32165		
IA Name (Code) : 32165-Executive Engineer, PHED Project Div. Bundi (RJB000004084)		PFMS: RJ308		State Scheme Code: RJ201		
To, The, Please Order to pay ₹ 18440190.00 as per PAYMENT ADVICE to the Payee Concerned.		Sign of clerk		Sign of Authority (IA/SNA)		
Certificates:						
1. All the information, bank details in this advice has been checked and verified personally.						
2. Certified that I have personally examined and satisfied myself about the genuineness of claim of Pensioners(s) included in this bill are strictly in accordance with rules and that the said Payee are entitled to such claim and also personally ensured observance of all formalities regarding necessary entries.						
3. It is certify that I have carefully examined & verified the master data of the said claim.						
4. This Claim /Amount has been drawn for the specific purpose as per the sanction/approval obtained at the competent level.						
S.No.	Name of Payee	Name of Bank Name of Branch IFMS Code/MICR Code Bank A/C. No. Aadhar No-PFMS Code (Payee)	Sanction No. Sanction Date	Gross Amount	Deduction Amount	Net Amount
-----AS PER ANNEXURE ENCLOSED-----						
Component List		Voucher		Date: 21/09/2023		
Name-(Code)	Amount	No. : 6597161		For Office Use		
PipedWater Supply Schemes (PWSS)Single Village Schemes (SVS),Multi Village Schemes (MVS)-(01.01)	12908133.00	Pay : ₹ 18440190.00				
PipedWater Supply Schemes (PWSS)Single Village Schemes (SVS),Multi Village Schemes (MVS)-(01.01)	3134832.00	(In Words) : ONE CRORE EIGHTY FOUR LAKH FOURTY THOUSAND ONE HUNDRED NINETY ONLY				
PipedWater Supply Schemes (PWSS)Single Village Schemes (SVS),Multi Village Schemes (MVS)-(01.01)	2397225.00	(In cash) : ₹ 18440190.00				
		(In Words) : ONE CRORE EIGHTY FOUR LAKH FOURTY THOUSAND ONE HUNDRED NINETY ONLY				
		By B. T.		Accounting : ₹ 0.00		
		Total Credit RS. : ₹ 18440190.00		Non Accounting : ₹ 0.00		
				Sign of Authority		
		Executive Engineer PHED Project Division				



ANNEXURE



S.No.	Name of Payee	Name of Bank Name of Branch IFMS Code/MICR Code Bank A/C. No. Aadhar No.:-PFMS Code (Payee)	Sanction No. Sanction Date	Gross Amount	Deduction Name Deduction Amount	Net Amount
1.	RAJASTHAN CAMPA	UNION BANK OF INDIA-FCS BANGALORE UBIN0996335/0 150855333714083-RJBU00004084	9760 79 13/11/2021	18440190.00		18440190.00
Payable Amount : 18440190.00						
Amount in Words : ONE CRORE EIGHTY FOUR LAKH FOURTY THOUSAND ONE HUNDRED NINETY ONLY						

Sign of Administrator(s) with seal

SNA
TEAMS


Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

AGENCY COPY	
 	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 20-09-2023	
Agency Name.	PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARMENT RAJASTHAN
Application No.	53154215925
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/028/2023-JPR
Location.	RAJASTHAN
Address.	EXECUTIVE ENGINEER PROJECT DIVISION, BUNDI,RAJASTHANBundi
Amount(In Rs)	18440189.66/-
Amount In Words :One Crore Eighty-Four Lakh Forty Thousand One Hundred and Ninety Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508553154215925 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

BANK COPY	
 	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 20-09-2023	
Agency Name.	PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARMENT RAJASTHAN
Application No.	53154215925
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/028/2023-JPR
Location.	RAJASTHAN
Address:	EXECUTIVE ENGINEER PROJECT DIVISION, BUNDI,RAJASTHAN Bundi
Amount(in Rs)	18440189.66/-
Amount In Words :One Crore Eighty-Four Lakh Forty Thousand One Hundred and Ninety Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508553154215925 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

Note:After making the required payment through challan, If the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank


 Executive Engineer
 PHED Project Division
 BUNDI (Raj.)

"A" Condition No. 4

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project

District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)

District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/we **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertakes to that the User agency hereby agree to pay the additional amount of NPV, if so determined as per the decision of the Hon'ble Supreme Court.

Place: Bundi


Signature of User Agency
with Seal
PHED, Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

"A" Condition No. 5

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project

District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)

District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/we **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertakes that the Original FRA certificates has been attached with compliance report.

Place: Bundi


Signature of User Agency
with Seal
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

49
26/12/23
26/12/23

Annexure -1

FORM-1
(for linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bundi

No.- Mada/Forest/Diversion/23/3528

Dated - 07.10.2023

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schuduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **Diversion Of 3.8275 hect. Forest land "Laying of PIPE LINE HINDOLI-NAINWA WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDI FROM CHAMBLE BHILWARA WSP (PHASE-1) DISTRICT BUNDI (RAJASTHAN)** falls within jurisdiction of Bundi.

It is further Revised certified that :

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.8275 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s), and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agrucultural communities.

Encl; AS above



(Dr. Ravindra Goswami)

District Collector, Bundi

Dated - .10.2023

No.- Mada/Forest/Diversion/23/

Copy forwarded to :

- DFO Bundi.
- DFO Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve Bundi.


District Collector, Bundi

FORM-1
(for linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bundi

No.- Mada/Forest/Diversion/23/ 3528

Dated -07.10.2023

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that Diversion Of 3.8275 hect. Forest land "Laying of PIPE LINE HINDOLI-NAINWA WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDI FROM CHAMBLE BHILWARA WSP (PHASE-1) DISTRICT BUNDI (RAJASTHAN) falls within jurisdiction of Bundi.

It is further Revised certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.8275 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s), and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agrucultural communities.

Encl; AS above


(Dr. Ravindra Goswami)

District Collector, Bundi

Dated - .10.2023

No.- Mada/Forest/Diversion/23/

Copy forwarded to :

1. DFO Bundi.
2. DFO Ramgarh Vishdhar Tiger Reserve Bundi.


District Collector, Bundi


Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

"A" Condition No. 6

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/we **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertakes that to the KML file of the area to be diverted and the CA areas will be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.

Place: Bundi


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)


Signature of User Agency
with Seal
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

"A" Condition No. 7

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/we **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertakes that all the funds received from the user agency under the project will be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.

Place: Bundi


**Signature of User Agency
with Seal**
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

"B" Condition No. 1

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the legal status of the forest land will remain unchanged.

Place: Bundi


Signature of User Agency
with Seal
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

"B" Condition No. 2

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi,** hereby undertake to the Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.

Place: Bundi


Signature of User Agency
PHED with Seal
Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

"B" Condition No. 3

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the Compensatory afforestation will be taken up by the Forest Department **4.9975 ha.** non-forest land Khasra No. 1346, Village-Kota Khurd, District-Bundi of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of any species may be avoided.

Place: Bundi


Signature of User Agency
with Seal
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

"B" Condition No. 4

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the User agency will restrict the felling of trees to 329 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees will be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees will be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

Place: Bundi


**Signature of User Agency
with Seal**
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

"B" Condition No. 5

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the Pipeline will be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled.

Place: Bundi


Signature of User Agency
Executive Engineer
with Seal
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

"B" Condition No. 6

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the No damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused.

Place: Bundi


Signature of User Agency
with Seal
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

"B" Condition No. 7

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertakes will obtain Environmental clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

Place: Bundi


Signature of User Agency
with Seal
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

"B" Condition No. 8

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertakes obtain wildlife clearance proposal has been submitted is under process.

Place: Bundi


**Signature of User Agency
with Seal**
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

"B" Condition No.9

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the The layout plan of the proposal will not be changed without prior approval of Central Government.

Place: Bundi


**Signature of User Agency
with Seal
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)**


**(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)**

"B" Condition No.10

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the No labour camp will be established on the forest land.

Place: Bundi


Signature of User Agency
with Seal
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

"B" Condition No.11

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, will be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

Place: Bundi


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)


Signature of User Agency
with Seal
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

"B" Condition No.12

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the boundary of the diverted forest land will be suitably 'demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

Place: Bundi


Signature of User Agency
with Seal
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

"B" Condition No.13

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the No additional or new path will not be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

Place: Bundi


Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)
Signature of User Agency
with Seal.


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

"B" Condition No.14

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the forest land will not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

Place: Bundi


Signature of User Agency
with Seal
Executive Engineer
PHED, Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

"B" Condition No.15

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the forest land proposed to be diverted will under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

Place: Bundi


**Signature of User Agency
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)**


**(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)**

"B" Condition No.16

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the The User Agency will submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.

Place: Bundi


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)


Signature of User Agency
with Seal
Executive Engineer
PHED, Project Division
BUNDI (Raj.)

"B" Condition No.17

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the The User Agency will comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.

Place: Bundi


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)


Signature of User Agency
with Seal
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

"B" Condition No.18

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie**, Executive Engineer, PHED, Project Division-**Bundi**, hereby undertake to the Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

Place: Bundi


Signature of User Agency
with Seal
EXECUTIVE ENGINEER
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

"B" Condition No.19

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

Place: Bundi


**Signature of User Agency
with Seal**
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

"B" Condition No.20

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi,** hereby undertake to the The compliance report will be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>)

Place: Bundi


Signature of User Agency
with Seal
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)


(Omprakash Jangid)
Deputy Conservator of Forests
Bundi (Raj.)

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वा० अभि० विभाग परियोजना खण्ड बून्दी
शंकर उद्योग के सामने, नैनवा रोड, बून्दी -323001

E-mail:- ceepro@bun.ghad@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- अ.अ./परि./ख.बून्दी/2023-24/2064-66

दिनांक:- 19.12.2023

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
जिला बून्दी।

विषय:- Laying of pipe line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District
Bundi from Chambal bhilwara water supply (PHASE-I) dist. Bundi
Raj. (Online Proposal No. FP/RJ/WATER/154215/2022.)

- प्रसंग :-1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय
कार्यालय जयपुर का पत्र क्रमांक 8 वी/राज/028/2023/JPR/दिनांक
10.08.2023
2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ०सी०ए०)
राज० जयपुर के पत्रांक 7122-25 दिनांक 11.08.2023।
3. आपके पत्रांक 10006 दिनांक 24.08.2023 तथा 10575 दिनांक 18.09.2023,
11695 दिनांक 27.10.2023।
4. इस कार्यालय के पत्रांक 1699 दिनांक 18.10.2023 की पालना रिपोर्ट के
क्रम में।
5. आपके पत्रांक 12448 दिनांक 05.12.2023।


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है की भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र क्रमांक 8
वी/राज/028/2023/JPR/दिनांक 10.08.2023 विषयवित्त प्रकरण के निर्माण हेतु वनसंरक्षक अधिनियम 1980
के तहत केन्द्र सरकार विषयवित्त परियोजना हेतु 4.9975 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 329 वृक्षों के पातन की
सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रासांगिक पत्र में वर्णित शर्तों के आधार पर प्रदान की गई थी।

इस कार्यालय के द्वारा प्रासांगिक पत्रांक दिनांक 18.10.2023 से पालना रिपोर्ट आप के
कार्यालय में परीक्षण हेतु जमा करवा दी गई थी। पालना रिपोर्ट के संदर्भ में आप के द्वारा प्रासांगिक पत्र दिनांक
05.12.2023 में वर्णित 02 शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	वर्णित शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफसी दिनांक 24.01.2013 से एन०जी०टी० के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना।	दैनिक समाचार पत्र :- 1. दैनिक नवज्योति (हिन्दी) दिनांक 12.12.2023 (प्रति संलग्न) 2. Times of India (English) दिनांक 18.12.2023 (प्रति संलग्न)
2.	केम्पा मद में राशि जमा कराने की रसीद	राशि रसीद (प्रति संलग्न)

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त 02 बिन्दुओं की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है
जिस पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करे ताकि परियोजना के कार्य को समय पर पूर्ण किया जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(रामरतन डोई)


अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड बून्दी

दिनांक:- 19.12.2023

क्रमांक:- अ.अ./परि./ख.बून्दी/2023-24/2064-66

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभि. जन स्वा.अभि. विभाग, क्षेत्र कोटा।
- श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना वृत्त झालावाड।


अधिशाषी अभियन्ता

TSPCC
Tamil Nadu State Power Corporation Ltd
Notice Inviting Tenders
For the supply of...
Tender documents available from...

Invitation for Tender (IFT)
The Executive Engineer, Project South Division, invites tenders for the works detailed in the table below:
Name of Work: Provision of...
Approximate Value: Rs. 1,00,00,000/-
Tender documents available from...

Singapore Metro Rail Corporation Limited
Tender Notification
Invitation for Tender for Design, Manufacture & Supply of Standard Gauge UIC 60 Turnouts for Phase 2A & 2B of Singapore Metro Rail Project.
Tender documents available from...

CITY UNION BANK LIMITED
Possession Notice
The undersigned hereby gives notice that the possession of the land described in the schedule below has been taken over by the undersigned...

Karnataka Power Transmission Corporation Limited
Brief Short Term Tender Notification
The undersigned hereby gives notice that the possession of the land described in the schedule below has been taken over by the undersigned...

Three killed, two injured as car catches fire
Amin: Three people were killed and two injured when a car caught fire on the road near...
The car was carrying...
The fire broke out suddenly...

Man falls from 3rd floor of hosp, dies
Kolar: A 38-year-old man died during treatment at the...
The man fell from the 3rd floor...
The incident occurred on Saturday...

Teen's body found hanging in Tonk well
Jaipur: The body of a 15-year-old boy was found hanging in a well in Tonk district...
The body was discovered on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Government of Karnataka Department of Fisheries
Notice Inviting Expressions of Interest
For the supply of...
Tender documents available from...

Life Insurance Corporation of India
Notice Inviting Expressions of Interest
For the supply of...
Tender documents available from...

City Union Bank Limited
Possession Notice
The undersigned hereby gives notice that the possession of the land described in the schedule below has been taken over by the undersigned...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

Woman drowns self in water tank
A woman was found dead in a water tank in...
The incident occurred on Saturday...
The police are investigating the case...

जयपुर

विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए... शिक्षण के माध्यम से...

विकसित भारत 2047 के लिए युवाओं की बढ़े भागीदारी: मिश्र

युवाओं को प्रेरित करने के लिए... शिक्षण के माध्यम से...



कार्यक्रम का उद्देश्य... युवाओं को प्रेरित करने के लिए...

आधुनिक युवाओं को प्रेरित करने के लिए... शिक्षण के माध्यम से...

उत्तर मध्य रेलवे... नए टिकटों का शुभारंभ...

उत्तर मध्य रेलवे... नए टिकटों का शुभारंभ...

उत्तर मध्य रेलवे... नए टिकटों का शुभारंभ...

उत्तर मध्य रेलवे... नए टिकटों का शुभारंभ...

उत्तर मध्य रेलवे... नए टिकटों का शुभारंभ...

एनडब्ल्यूआर को उत्कृष्ट कार्य के लिए गोविन्द चन्दाप पंत शहीद...

निर्यातकों को सम्मानित करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर...

चिकित्सा शिविर में 320 लोगों ने उठाया लाभ...

मौल इटिया सैनिक स्कूल में प्रवेश का पीका...

उत्तर मध्य रेलवे... नए टिकटों का शुभारंभ...

उत्तर मध्य रेलवे... नए टिकटों का शुभारंभ...

उत्तर मध्य रेलवे... नए टिकटों का शुभारंभ...

Municipal Corporation Bhamburda Notice Inviting Tenders for...

Government of India Ministry of Agriculture, Fisheries & Animal Husbandry...

Large notice regarding land acquisition and compensation details.

FORM-1
(for linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bundi

No.- Mada/Forest/Diversion/23/ 3528

Dated -07.10.2023


TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schuduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that Diversion Of 3.8275 hect. Forest land "Laying of PIPE LINE HINDOLI-NAINWA WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDI FROM CHAMBLE BHILWARA WSP (PHASE-1) DISTRICT BUNDI (RAJASTHAN) falls within jurisdiction of Bundi.

It is further Revised certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.8275 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s), and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agrucultural communities.

Encl; AS above


(Dr. Ravindra Goswami)
District Collector, Bundi
Dated - .10.2023

No.- Mada/Forest/Diversion/23/

Copy forwarded to :

1. DFO Bundi.
2. DFO Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve Bundi.


District Collector, Bundi

FORM-1
(for linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bundi

No.- Mada/Forest/Diversion/23/

Dated - .10.2023

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schuduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **Diversion Of 3.8275 hect. Forest land "Laying of PIPE LINE HINDOLI-NAINWA WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDI FROM CHAMBLE BHILWARA WSP (PHASE-1) DISTRICT BUNDI (RAJASTHAN)** falls within jurisdiction of Bundi.

It is further Revised certified that :

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.8275 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s), and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agrucultural communities.

Encl; AS above

— Sd —
(Dr. Ravindra Goswami)

District Collector, Bundi

Dated -07.10.2023

No.- Mada/Forest/Diversion/23/3528

Copy forwarded to :










- DFO Bundi.
- DFO Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve Bundi.



District Collector, Bundi

कार्यालय जिला परिषद, बून्दी

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं सदस्यों का उपस्थिति पत्रक

बैठक दिनांक 06.10.2023

क्र०सं०	नाम	पद नाम	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	श्री डॉ० रविन्द्र गोस्वामी जिला कलक्टर बून्दी	अध्यक्ष		
2	उप वन संरक्षक, वन विभाग बून्दी	सदस्य	9828072845	
3	उपवन संरक्षक, रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी।	सदस्य	9610435363	
4	श्री राजपाल सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बून्दी	सदस्य सचिव		
5	श्री बंशीलाल मीणा, उपजिला प्रमुख वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य वार्ड नं० 1	सदस्य		
6	श्रीमती अंजना जैन, वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य वार्ड नं० 20	सदस्य		
7	श्रीमती सीमा भील, वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य वार्ड नं० 7	सदस्य		
8			9928355995	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				


(रामरतन डोई)
अधिशोषी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

कार्यालय जिला परिषद, बून्दी

क्रमांक:-माडा/बैठक/2023-24/3493


दिनांक:- 5/10/23

बैठक सूचना

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता), अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित अधिनियम 2012 की क्रियान्विति हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.10.2023 को प्रातः 12.30 बजे जिला कलक्टर महोदय के कक्ष में आयोजित की जानी है। उक्त बैठक में निम्न बिन्दु पर चर्चा की जावेगी :-

1. Diversion Of 3.8275 hect. Forest land "Laying of PIPE LINE HINDOLI-NAINWA WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDI FROM CHAMBLE BHILWARA WSP (PHASE-1) DISTRICT BUNDI (RAJASTHAN) के लिए क्षेत्रफल (3.8275) वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा।
2. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।


कृपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद बून्दी
दिनांक:-


क्रमांक:-माडा/बैठक/2022-23/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. श्रीमान आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
2. उपवन संरक्षक, वन विभाग, बून्दी।
3. उपवन संरक्षक, रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी।
4. प्रभारी अधिकारी (राजस्व), कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी।
5. उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली/नैनवां।
6. श्री बंशीलाल मीणा (उपजिला प्रमुख) वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य वार्ड नं0 1 ग्राम पेच की बावडी तह. हिण्डोली जिला बून्दी।
7. श्रीमती अंजना जैन वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य, वार्ड नं0 20 ग्राम व पोस्ट बांसी तह. नैनवां जिला बून्दी।
8. श्रीमती सीमा भील वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य, वार्ड नं0 7 ग्राम धनेश्वर तह. तालेडा जिला बून्दी।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डोली/नैनवां।
10. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी बून्दी।
11. प्रभारी अधिकारी, माडा जिला परिषद बून्दी।
12. अतिरिक्त निजि सचिव, जिला कलक्टर, बून्दी।
13. श्री लेखराज प्रजापत, सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति, बून्दी।
14. निजि सहायक, सीईओ जिला परिषद, बून्दी।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद बून्दी

FOREST NEW-82


(रामरतन डोई)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक 06.10.2023

बैठक एजेन्डा

Diversion Of 3.8275 hect. Forest land "Laying of PIPE LINE HINDOLI-NAINWA WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDI FROM CHAMBLE BHILWARA WSP (PHASE-1) DISTRICT BUNDI (RAJASTHAN) के लिए क्षेत्रफल (3.8275) वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा की जानी है :-

उपखण्ड क्षेत्र नैनवां


क्र० सं०	ग्राम पंचायत	ग्राम	खसरा नम्बर	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल जिसका प्रमाण पत्र (FRA Certificate) जारी किया गया	विशेष विवरण
1	बांसी	बांसी	39,3753/38, 3824/38, 42, 61	0.0802 है०	0.0802 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 3753/38, 3824/38 खातेदारी तथा ख.स. 61 सार्वजनिक निर्माण विभाग दर्ज है।
2	भजनेरी	भजनेरी	1678/2780, 1740, 1729	0.047 है०	0.047 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 1678/2780 बंजड भूमि तथा ख.नं. 1729 चारागाह में दर्ज है।
3	सादेडा	सादेडा	707, 708, 709, 712, 713, 715, 724, 522, 523, 524, 522/868	0.0870 है०	0.0870 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 708, 713, 522, 523, 524 सिवायचक तथा ख.नं. 522/868 खातेदारी में दर्ज है।
4	मरा	वलानला	45, 688/45, 691/45, 43, 665/26, 16, 15, 09, 11	0.1812 है०	0.1812 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 45, 43 सिवायचक तथा ख.नं. 688/45, 665/26 खातेदारी में दर्ज है।
5	जजावर	जजावर	2165, 2164	0.0511 है०	0.0511 है०	
6	जजावर	खोडी	1218, 1423	0.0139 है०	0.0139 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 1423 गैर भुमकिन बरडा में दर्ज है।
7	खानपुरा	मानपुरा	56	0.0446 है०	0.0446 है०	

			46. 56. 52	0.0294 है०	0.0294 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 52 गैर मुमकीन रास्ता दर्ज है।
8	खानपुरा	खानपुरा	1916	0.0212 है०	0.0212 है०	
9	खानपुरा	आंव का खेडा	246, 250/648	0.01 है०	0.01 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 246 गैर मुमकीन रास्ता दर्ज है।
			248/644, 247, 248	0.0193 है०	0.0193 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 248 गैर मुमकिन बरडा में दर्ज है।
			512/670	0.017 है०	0.017 है०	
10	नगर पालिका देई	देई	2493, 2500, 2501	0.0127 है०	0.0127 है०	
			2556, 2557/1, 2557, 2558, 2415/4602, 2708, 100	0.1186 है०	0.1186 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 2415/4602 खातेदारी दर्ज है।
11	नगर पालिका नैनवां	नैनवां प्रथम	3469, 3457, 3458, 3460	0.1044 है०	0.1044 है०	
			3486	0.0186 है०	0.0186 है०	
12	नगर पालिका नैनवां	नैनवां द्वितीय	3455, 3454, 3451	0.0456 है०	0.0456 है०	

उपखण्ड क्षेत्र हिण्डोली

क० सं०	ग्राम पंचायत	ग्राम	खसरा नम्बर	खसरा नं० का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल जिसका प्रमाण पत्र (FRA Certificate) जारी किया गया	विशेष विवरण
1	सहसपुरिया	सलावलियां	1119	1.8211 है०	0.0019 है०	0.0019 हैक्टेयर	-
2	टोकडा	टोकडा	68, 270, 271, 3001/69	0.4047 है०, 0, 5989 है०, 20.3395 है०, 0, 6475 है०	0.0303 है०	0.0303 हैक्टेयर	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 3001/69 खातेदारी भूमि दर्ज रेकार्ड है।
				21.9906 है०			
3	पगारां	पगारां	433, 410, 2883	4.8481 है०, 9, 9957 है०, 12.1972 है०	0.0688 है०	0.1754 हैक्टेयर	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मालियों की झोपडिया में खसरा नम्बर 435 व 428 सिवायक दर्ज रिकोर्ड है व खसरा संख्या 3111/429 खातेदारी है, शेष वन विभाग की है।
			मालियों का झोपडियां	435, 428, 429, 3111/429, 426, 407			

FOREST NEW-84


 (शामरतन डोई)
 अधिशाषी अभियन्ता
 जन स्वा०अभि०विभाग
 परियोजना खण्ड, बून्दी

				45.2762 है०		
--	--	--	--	----------------	--	--

4	राणीजा	राणीजा	1343 1700 342	2.0153 है० 10.8860 है० 0.8498 है०	0.0387 है०	0.0387 हैक्टेयर	
5	उमर	किशनगंज	105 217 82 83	7.4867 है० 6.1674 है० 15.8717 है० 0.0324 है०	0.0076 है० 0.0591 है०	0.0667 हैक्टेयर	
6	गुढाबांध	गुढा	1125 1123	10.5704 है० 2.5333 है०	0.1358 है०	0.1358 हैक्टेयर	
7	थाना	थाना	1711 1704 1973/1314 1312 1311 1310 1307 1314	0.2833 है० 0.6637 है० 0.4856 है० 6.4021 है० 5.8598 है० 3.9093 है० 1.3840 है० 2.7600 है०	0.023 है० 0.0721 है०	0.0951 हैक्टेयर	हल्का पटवारी एंव ग्रा०प० स्तरीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 1973/1314 खातेदारी दर्ज रेकार्ड एवं ख०सं० 1312, 1311, 1310, 1307, 1314 मुताबिक रेकार्ड सिवायचक दर्ज है
8	मेण्डी	मेण्डी	530	3.5693 है०	0.0088 है०	0.1149 हैक्टेयर	हल्का पटवारी व ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मेण्डी के ख०सं० 1161/530 एवं ग्राम गणेशगंज के ख०सं० 828/267, 826/268, 827/706 सडक परिवहन राजनाम मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम गणेशगंज के ख०सं० 262 एवं सुखपुरा के ख०सं० 432 राजकीय सिवायचक तथा ग्राम सुखपुरा के ख०सं० 430 खातेदारी दर्ज भूमि है।
		सुखपुरा	431	2.6305 है०	0.0185 है०		
		गणेशगंज	843/263 266	0.2590 है० 4.3868 है०	0.0292 है० 0.0584 है०		
			1161/530 828/267, 826/268, 827/706 262 432 430				
9	खरखटा	खजडा	222 221 220 254 253/337 258 255 255/349 214	1.3436 है० 2.5657 है० 4.4030 है० 0.3561 है० 1.8939 है० 3.9174 है० 2.5333 है० 0.5099 है० 9.0488 है०	0.1077 है०	0.1777 हैक्टेयर	हल्का पटवारी एंव ग्रा०प० स्तरीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 254 253/337 राजकीय सिवायचक, शेष खसरा नम्बर वन विभाग में है

			29 28 1 2	5.2042 है० 8.5712 है० 7.8185 है० 4.6620 है०	0.0474 है०		
		खैरखटा	19	5.0505 है०	0.0226 है०		
10	ओवण	गुरजनियां	127 128 130 131/255 131	4.2654 है० 2.7114 है० 10.6999 है० 5.9812 है० 1.8858 है०	0.091 है०	0.091 हैक्टेयर	ग्राम समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अंकित खसरो में से ख०सं० 131 खातेदारी में है, शेष खसरे वन विभाग में होना बताया
11	सांवतगढ	सांवतगढ	1125 1126 1124/1257 1126/1205	0.3076 है० 0.2104 है० 5.6089 है० 0.2671 है०	0.0124 है०	0.0124 हैक्टेयर	-
12	डादून्दा	डादून्दा	24 1406/37 547 463 90 94/1196 1369/94 879 1362/990	12.7152 है० 0.1052 है० 2.7438 है० 7.7700 है० 7.2034 है० 0.5585 है० 0.5423 है० 7.1386 है० 0.0162 है०	0.0357 है० 0.1104 है० 0.0294 है० 0.0512 है०	0.2881 हैक्टेयर	ग्राम समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अंकित खसरो में से खसरा संख्या 1369/94 एवं खसरा संख्या 1362/990 गे०मु० सडक है तथा अन्य सभी महकमा जंगलात है।
		नारायणपुर	760 758	7.2358 है० 8.1342 है०	0.0614 है०		
13	खीण्या	भोजगढ	2130/2770 2130 2130/2769 2908/2130 3170/2137 2139 2142 2141 2140 2106 2146 2105 2081 2082	0.4128 है० 1.3516 है० 0.0728 है० 0.6475 है० 0.1628 है० 0.6880 है० 7.1548 है० 0.4209 है० 0.3561 है० 6.1998 है० 8.0694 है० 6.9039 है० 14.3825 है० 40.2904 है०	0.2425 है०	0.2425 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०पं० स्तरीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 2130/2770, 2130/2769, 2908/2130 खातेदार तथा खसरा संख्या 2130, 3170/2137, 2139, 2141 सिवायचक दर्ज रेकार्ड है, शेष वन विभाग दर्ज होना अवगत कराया
14	बसोली	बसोली	1322	3.0109	0.027 है०	0.027 है०	हल्का पटवारी से प्राप्त

(रामरतन डोई)
अधिशायी अभियन्ता
जन.स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

			512	1.0603	0.2355 है०	0.2355 है.	रिपोर्ट अनुसार ग्राम बसोली के खसरा संख्या 513, 284, 1843, 1891, 2469/1903, 1902, 1901, 1622 सिवायक तथा खसरा संख्या 1619 खातेदारी एवं ख०सं० 1888 गै०मु०आबादी दर्ज रेकार्ड अवगत कराया गया है।
			513	0.1376			
			514	5.5766			
			519	0.0971			
			301	0.2347			
			285	0.7284			
			288	0.1457			
			286	0.2347			
			284	0.4532			
			282	7.1386			
			292	5.4875			
			283	2.0315			
			1542	3.8364	0.0388 है०	0.0388 है०	
			1438	5.6980			
			1440	3.9093			
			1960	4.7996	0.4202 है०	0.4202 है०	
			1959	7.1629			
			1956	4.2816			
			2251/1843	9.1216			
			1895	5.0505			
			1843	0.5908			
			1888	1.0441			
			1891	1.8130			
			2469/1903	0.6718			
			1902	0.0809			
			2257/1900	2.4686			
			1901	7.2843			
			1905	7.1953			
			1906	0.7446			
			1677	1.5135			
			1679	6.8311			
			1681	2.6952			
			1682	5.2933			
			1673	7.0091			
			1675	2.4605			
			1669	3.3913			
			1670	0.1295			
			1668	0.4047			
			1645	5.4147			
			1644	4.4839			
			1622	0.4452			
			1619	0.5747			
		बाडी का खेडा	423	4.2006	0.2673 है०		
			434	2.6466			
			435	0.4209			
			436	14.1883		0.2673 है०	
			429	0.6880			
			454	10.2709			
			46	5.1638			
			47	4.7510			
			42	5.2933			
			48	2.7761			
			35	9.4373			
15	नगरपालिका हिण्डोली	हिण्डोली	1889	6.1674	0.0056 है०	0.0056 है०	
			1888	1.7644			
			1747	16.7378	0.0173 है०	0.0173 है०	

FOREST NEW-87

(रामरतन डोई)
अधिशायी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

कार्यालय जिला परिषद, बून्दी
ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ
कार्यालय टिप्पणी

अधिशायी अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी परियोजना खण्ड, बून्दी के पत्र संख्या 18 दिनांक 06.04.2023 से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Diversion Of 3.8275 hect. Forest land "Laying of PIPE LINE HINDOLI-NAINWA WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDI FROM CHAMBLE BHILWARA WSP (PHASE -1) DISTRICT BUNDI (RAJASTHAN) के लिए क्षेत्रफल 3.8275 हैक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA Certificate) जारी करने हेतु लिखा गया है।

उक्त संबध में वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA Certificate) जारी करने हेतु उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली व नैनवां को तैयार पत्र अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Singh
12/04/2023

2. ~~ASO (MUI)~~ *Singh*
12/04/2023

3. ~~OIC (MUI)~~ *Singh*
12/04/2023

4. ~~CEO Sir~~ *Singh*
12/4/23

5. पूरा संख्या 170 प का अचलमौजबा करे अधिशायी मणि
जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी परियोजना खण्ड बून्दी (पत्र) जिला कमिश्नर
भरतपुर को FRA में दावा किया गया है जो दावा किया गया है। दो
उपखण्डों में आया है हिण्डोली / नैनवां को आया। से 2 भाग
में दावा हेतु अधिशायी अभियान्त्रिकी को पत्र तैयार कर अचलमौजबा
के द्वारा प्रस्तुत है।

Singh
10/05/23

6. ~~OIC (MUI)~~ *Singh*
10/05/23

7. ~~CEO Sir~~

(Signature)
(रामरतन डोई)
अधिशायी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

Singh
10/5/23

8 पैरा संख्या 5 में 8 की सामाना में अधिशासी अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी परियोजना खण्ड गुणपरी प्रा. वि. काम कर रहे को (FRA) में दावा किया गया था जो दावा किया गया जो उपखण्ड जोड़ा में झाला हिंडोली/ नैनवा विभाग प्रारा दावा का एक सेट दिया गया अभीमान अधिशासी अभियन्ता को खर्चा पल राउट पूर्व में पत्र जारी कर दिया गया एक सेट और भंगवाने के लिये पुनः समरण पत्र तैयार कर भवमोहनगार्ड एवं हस्ताक्षर प्रस्तुत करें

[Signature]
24/05/23

9 ACEP में L

[Signature]
24/05/2023

10 पैरा N/1 to N/4 के संबंध में उपखण्ड अधिकारी हिंडोली/ नैनवा को तैयार समरण पत्र अवलोकार्थ, अनुमोदनार्थ एवं आग्नि आडिगार्थ प्रस्तुत हैं

[Signature]
10/7/2023

11 ASO (मांस) *[Signature]*
10/07/2023

12 oic (मांस) प्रशिक्षणार्थ
14/7/23

13 ceo sir *[Signature]*
17.7.23

15 EXEN (एन)


[Signature]
(रामरतन डोई)
अधिशासी अभियन्ता
जन स्वा. अभि. विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी


**ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ
कार्यालय टिप्पणी**


16. पैरा संख्या 01 से 14 का अवलोकन फरमावे। अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वननिवासी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Diversion Of 3.8275 hect. Forest land "Laying of PIPE LINE HINDOLI-NAINWA WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDI FROM CHAMBLE BHILWARA WSP (PHASE -1) DISTRICT BUNDI (RAJASTHAN) के लिए क्षेत्रफल 3.8275 हैक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA Certificate) जारी किया जाना है। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली व नैनवां को उपखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं।

इस संबंध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली व नैनवां द्वारा क्रमशः 26.09.2023 व 27.09.2023 को आयोजित की गई जिनका बैठक कार्यवाही विवरण/प्रमाण पत्र क्रमशः 2388, 2389-94 दिनांक 26.09.2023 एवं 1369, 1370-1378 दिनांक 03.10.2023 से बैठक कार्यवाही विवरण/प्रमाण पत्र व संबंधित ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं की पत्रावलियां प्रेषित की गई हैं। दिनांक 04.10.2023 को कार्यालय में भिजवाये गये हैं। इस संबंध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की जानी है इस हेतु पत्रावली समय व तिथि निर्धारण हेतु श्रीमान जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला वनाधिकार समिति को भिजवायी जानी हेतु प्रस्तुत है।


Srinivas
05/10/2023

17. ASD (MIS) 
05/10/2023

18. OIC (MIS) 
05/10/2023


19. CEO ~~डा. ~~
बैठक की तिथि एवं समय
विभागीय क्षेत्र पत्रावली संलग्न है

20. जिला कलक्टर/प्रधान 12.30pm 21/10
6/10 5-10-23

21. पैरा N/20 की पत्रावली में FRA विलोपन हेतु बैठक बुकना तैयार कर उपलब्ध है 
5/10

22. ASO (MIS) 
5/10/23


23. OIC (MIS) 
5/10/23


(रामरतन डोई)
अधिसाक्षी अभियन्ता
जन स्वा.अभि.विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

प्रमाण पत्र
कार्यालय टिप्पणी

24.

CEO / सि


05/10/2014

25

NADA / PRA

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008, संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति हेतु दिनांक 06.10.2023 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति हिण्डोली एवं नैनवां की बैठक दिनांक क्रमशः 26.09.2023 व 27.09.2023 के बैठक कार्यवाही विवरण में Diversion Of 3.8275 hect. Forest land "Laying of PIPE LINE HINDOLI-NAINWA WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDI FROM CHAMBLE BHILWARA WSP (PHASE-1) DISTRICT BUNDI (RAJASTHAN) के लिए कुल क्षेत्रफल (3.8275) वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर इस हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है।

जिसके आधार पर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा कुल क्षेत्रफल 3.8275 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इस संबंध में तैयार बैठक कार्यवाही विवरण, प्रमाण पत्र अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत है।

26


ASO (MIS)


7/10/23


7/10/2023

27

OIC (MIS)


07/10/23

28.

CEO / सि


बैठक कार्यवाही विवरण दस्तावेज
प्रस्तुत है

29.

जिला कलक्टर महोदय

रामरतन
7-10-23











7/10


(रामरतन डोई)
अधिशाखी अभिवन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

कार्यालय जिला पारिषद, बून्दी

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं सदस्यों का उपस्थिति पत्रक

बैठक दिनांक 06.10.2023

क्र०सं०	नाम	पद नाम	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	श्री डॉ० रविन्द्र गोस्वामी जिला कलक्टर बून्दी	अध्यक्ष		
2	उप वन संरक्षक, वन विभाग बून्दी	सदस्य	9828072845	 6/10/23
3	उपवन संरक्षक, रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी।	सदस्य	9610435363	 6/10/23
4	श्री राजपाल सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बून्दी	सदस्य सचिव		
5	श्री बंशीलाल मीणा, उपजिला प्रमुख वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य वार्ड नं० 1	सदस्य		
6	श्रीमती अंजना जैन, वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य वार्ड नं० 20	सदस्य		
7	श्रीमती सीमा भील, वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य वार्ड नं० 7	सदस्य		
8		 Xon PMS Bundi	9928355995	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 06.10.2023 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति हेतु जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न पदाधिकारीगण उपस्थित हुये।

1. जिला कलक्टर, बून्दी।	अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बून्दी।	सदस्य सचिव
3. उपवन संरक्षक वन विभाग, बून्दी।	सदस्य
4. उपवन संरक्षक, रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी।	सदस्य
5. श्री बंशीलाल मीणा (उप प्रमुख), जिला परिषद सदस्य वार्ड सं० 1	सदस्य
6. श्रीमती अंजना जैन, जिला परिषद सदस्य वार्ड सं० 20	सदस्य
7. श्रीमती सीमा भील, जिला परिषद सदस्य वार्ड सं० 7	सदस्य

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं विचार विमर्श उपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सदन को जानकारी दी गई की निम्न 1 प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के पास लम्बित है।

- 1. Diversion Of 3.8275 hect. Forest land "Laying of PIPE LINE HINDOLI-NAINWA WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDI FROM CHAMBLE BHILWARA WSP (PHASE-1) DISTRICT BUNDI (RAJASTHAN) के लिए क्षेत्रफल (3.8275) वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा।**

सदस्य सचिव द्वारा बताया गया की Diversion Of 3.8275 hect. Forest land "Laying of PIPE LINE HINDOLI-NAINWA WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDI FROM CHAMBLE BHILWARA WSP (PHASE-1) DISTRICT BUNDI (RAJASTHAN) के लिए क्षेत्रफल (3.8275) वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति हिण्डोली एवं नैनवां की बैठक दिनांक क्रमशः 26.09.2023 व 27.09.2023 के बैठक कार्यवाही विवरण में भी इस हेतु प्रस्ताव पारित कर निम्न प्रकार वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंघा की गई है:-

उपखण्ड क्षेत्र नैनवां

क्र० सं०	ग्राम पंचायत	ग्राम	खसरा नम्बर	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल जिसका प्रमाण पत्र (FRA Certificate) जारी किया गया	विशेष विवरण
1	वांसी	वांसी	39,3753/38, 3824/38, 42, 61	0.0802 है०	0.0802 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०स० 3753/38, 3824/38 खातेदारी तथा ख.स. 61 सार्वजनिक निर्माण विभाग दर्ज है।
2	भजनेशी	भजनेशी	1678/2780, 1740, 1729	0.047 है०	0.047 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०स० 1678/2780 बजड भूमि तथा ख.न. 1729 चारागाह में दर्ज है।

Tarell
6/10/23

6/10

6/10/23
PCF Bunder

सीमा

(राजवतन डोई)
अधिशायी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

3	सादेडा	सादेडा	707, 708, 709, 712, 713, 715, 724, 522, 523, 524, 522/868	0.0870 है०	0.0870 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 708, 713, 522, 523, 524 सिवायचक तथा ख.नं. 522/868 खातेदारी में दर्ज है।
4	मंरा	कालानला	45, 688/45, 691/45, 43, 665/26, 16, 15, 09, 11	0.1812 है०	0.1812 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 45, 43 सिवायचक तथा ख.नं. 688/45, 665/26 खातेदारी में दर्ज है।
5	जजावर	जजावर	2165, 2164	0.0511 है०	0.0511 है०	
6	जजावर	खोडी	1218, 1423	0.0139 है०	0.0139 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 1423 गैर मुमकिन बरडा में दर्ज है।
7	खानपुरा	मानपुरा	56	0.0446 है०	0.0446 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 52 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है।
			46, 56, 52	0.0294 है०	0.0294 है०	
8	खानपुरा	खानपुरा	1916	0.0212 है०	0.0212 है०	
9	खानपुरा	आंव का खेडा	246, 250/648	0.01 है०	0.01 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 246 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है।
			248/644, 247, 248	0.0193 है०	0.0193 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 248 गैर मुमकिन बरडा में दर्ज है।
			512/670	0.017 है०	0.017 है०	
10	नगर पालिका देई	देई	2493, 2500, 2501	0.0127 है०	0.0127 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 2415/4602 खातेदारी दर्ज है।
			2556, 2557/1, 2557, 2558, 2415/4602, 2708, 100	0.1186 है०	0.1186 है०	
11	नगर पालिका नैनवां	नैनवां प्रथम	3469, 3457, 3458, 3460	0.1044 है०	0.1044 है०	
			3486	0.0186 है०	0.0186 है०	
12	नगर पालिका नैनवां	नैनवां द्वितीय	3455, 3454, 3451	0.0456 है०	0.0456 है०	
कुल योग				0.9018	0.9018	

उपखण्ड क्षेत्र हिण्डोली

ख० सं०	ग्राम पंचायत	ग्राम	खसरा नम्बर	खसरा नं० का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल जिसका प्रमाण पत्र (FRA Certificate) जारी किया गया	विशेष विवरण
1	सहसपुरिया	सलावलियां	1119	1.8211 है०	0.0019 है०	0.0019 हैक्टियर	
2	टोकडा	टोकडा	68, 270, 271, 3001/69	0.4047 है०, 0, 5989 है०, 20.3395	0.0303 है०	0.0303 हैक्टियर	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 2007/69 खातेदारी भूमि दर्ज रेकार्ड है।

MADA Forest Proseding 07-10-2016

सीमा

16/10/20

जा०

01/10/20

डा०जी०जी०

(रामरतन डोई)

अधिसाधी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

				है०, ०. 6475 है०			
				21.9906 है०			
3	पगारां	पगारां	433, 410, 2883	4.8481 है०, 9. 9957 है०, 12.1972 है०	0.0688 है०	0.1754 हेक्टेयर	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मालियों की झोपडिया में खसरा नम्बर 435 व 428 सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है व खसरा संख्या 3111/429 खातेदारी है, शेष वन विभाग की है।
				27.041 है०			
		मालियों का झोपडियां	435 428 429 3111/429 426 407	5.3499 है० 6.4750 है० 1.3921 है० 2.4281 है० 8.2475 है० 21.3836 है०	0.1066 है०		
				45.2762 है०			
4	रोणीजा	रोणीजा	1343 1700 342	2.0153 है० 10.8860 है० 0.8498 है०	0.0387 है०	0.0387 हेक्टेयर	-
5	उमर	किशनगंज	105 217 82 83	7.4867 है० 6.1674 है० 15.8717 है० 0.0324 है०	0.0076 है० 0.0591 है०	0.0667 हेक्टेयर	-
6	गुढाबांध	गुढा	1125 1123	10.5704 है० 2.5333 है०	0.1358 है०	0.1358 हेक्टेयर	-
7	थाना	थाना	1711 1704 1973/1314 1312 1311 1310 1307 1314	0.2833 है० 0.6637 है० 0.4856 है० 6.4021 है० 5.8598 है० 3.9093 है० 1.3840 है० 2.7600 है०	0.023 है० 0.0721 है०	0.0951 हेक्टेयर	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 1973/1314 खातेदारी दर्ज रेकार्ड एवं ख०सं० 1312, 1311, 1310, 1307, 1314 मुताबिक रेकार्ड सिवायचक दर्ज है
8	मेण्डी	मेण्डी	530	3.5693 है०	0.0088 है०	0.1149 हेक्टेयर	हल्का पटवारी व ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मेण्डी के ख०सं० 1161/530 एवं ग्राम गणेशगंज के ख०सं० 828/267, 826/268, 827/706 सडक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम गणेशगंज के ख०सं० 262 एवं सुखपुरा के ख०सं० 432 राजकीय सिवायचक तथा ग्राम सुखपुरा के ख०सं० 430 खातेदारी दर्ज भूमि है।
		सुखपुरा	431	2.6305 है०	0.0185 है०		
		गणेशगंज	843/263 266	0.2590 है० 4.3868 है०	0.0292 है० 0.0584 है०		
			1161/530 828/267, 826/268, 827/706 262 432 430				

S
T
S
)
S
:t
E
P

on
al

सीमा

6/10/23

6/10

6/10/23

6/10/23

MADA Forest Praseding 07-10-2016

331

विभागा
खण्ड, बुन्दी

9	खैरखटा	खैरखटा	222	1.3436 है०	0.1077 है०	0.1777 हैक्टियर	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 254, 253/337 राजकीय सिवायचक, शेष खसरा नम्बर वन विभाग में है	
			221	2.5657 है०				
			220	4.4030 है०				
			254	0.3561 है०				
			253/337	1.8939 है०				
			258	3.9174 है०				
			255	2.5333 है०				
			255/349	0.5099 है०				
			214	9.0488 है०				
			29	5.2042 है०				0.0474 है०
28	8.5712 है०							
1	7.8185 है०							
2	4.6620 है०							
	खैरखटा	19	5.0505 है०	0.0226 है०				
10	ओवण	गुरजनियां	127	4.2654 है०	0.091 है०	0.091 हैक्टियर	ग्राम समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अंकित खसरो में से ख०सं० 131 खातेदारी में है, शेष खसरे वन विभाग में होना बताया	
			128	2.7114 है०				
			130	10.6999 है०				
			131/255	5.9812 है०				
			131	1.8858 है०				
11	सावतगढ	सावतगढ	1125	0.3076 है०	0.0124 है०	0.0124 हैक्टियर		
			1126	0.2104 है०				
			1124/1257	5.6089 है०				
			1126/1205	0.2671 है०				
12	डादून्दा	डादून्दा	24	12.7152 है०	0.0357 है०	0.2881 हैक्टियर	ग्राम समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अंकित खसरो में से खसरा संख्या 1369/94 एवं खसरा संख्या 1362/990 गे०मु० सडक है तथा अन्य सभी महकमा जंगलात है।	
			1406/37	0.1052 है०				
			547	2.7438 है०				0.1104 है०
			463	7.7700 है०				
			90	7.2034 है०				
		94/1196	0.5585 है०	0.0294 है०				
		1369/94	0.5423 है०					
		879	7.1386 है०	0.0512 है०				
		1362/990	0.0162 है०					
			नारायणपुर	760	7.2358 है०			0.0614 है०
758	8.1342 है०							
13	खीण्या	भोजगढ	2130/2770	0.4128 है०	0.2425 है०	0.2425 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 2130/2770, 2130/2769, 2908/2130 खातेदार तथा खसरा संख्या 2130, 3170/2137, 2139, 2141 सिवायचक दर्ज रेकार्ड है, शेष वन विभाग दर्ज होना अवगत कराया	
			2130	1.3516 है०				
			2130/2769	0.0728 है०				
			2908/2130	0.6475 है०				
			3170/2137	0.1628 है०				
			2139	0.8880 है०				
			2142	7.1548 है०				
			2141	0.4209 है०				
			2140	0.3561 है०				
			2106	6.1998 है०				
			2146	8.0694 है०				
			2105	6.9039 है०				
			2081	14.3825 है०				
			2082	40.2904 है०				
14	बसोली	बसोली	1322	3.0109 है०	0.027 है०	0.027 है०	हल्का पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट	

सीमा

बिना

6/10

6/10/23

बिना

(रामरतन डोई)

अधिशायी अभियन्ता

जन स्वा०अभि०विभाग

परिचालन विभाग

			512	1.0603	0.2355 है०	0.2355 है०	अनुसार ग्राम तसौली के खसरा संख्या 513, 284, 1843, 1891, 2469/1903, 1902, 1901, 1622 सिवायचक तथा खसरा संख्या 1619 खातेदारी एवं ख०सं० 1888 गै०मु०आबादी दर्ज रेकार्ड अवगत कराया गया है।
			513	0.1376			
			514	5.5766			
			519	0.0971			
			301	0.2347			
			285	0.7284			
			288	0.1457			
			286	0.2347			
			284	0.4532			
			282	7.1386			
			292	5.4875			
			283	2.0315			
			1542	3.8364			
			1438	5.6980			
			1440	3.9093			
			1960	4.7996	0.4202 है०	0.4202 है०	
			1959	7.1629			
			1956	4.2816			
			2251/1843	9.1216			
			1895	5.0505			
			1843	0.5908			
			1888	1.0441			
			1891	1.8130			
			2469/1903	0.6718			
			1902	0.0809			
			2257/1900	2.4686			
			1901	7.2843			
			1905	7.1953			
			1906	0.7446			
			1677	1.5135			
			1679	8.8311			
			1681	2.6952			
			1682	5.2933			
			1673	7.0091			
			1675	2.4605			
			1669	3.3913			
			1670	0.1295			
			1668	0.4047			
			1645	5.4147			
			1644	4.4839			
			1622	0.4452			
			1619	0.5747			
		बाडी का खेडा	423	4.2006			
			434	2.6466			
			435	0.4209			
			436	14.1883			
			429	0.6880			
			454	10.2709			
			46	5.1638			
			47	4.7510			
			42	5.2933			
			48	2.7761			
			35	9.4373			
15	नगरपालिका हिण्डोली	हिण्डोली	1889	6.1674	0.0056 है०	0.0056 है०	
			1888	1.7644			
			1747	16.7378	0.0173 है०	0.0173 है०	

सीमा

6/10/23

6/10

6/10/23

अभिषेक

133

(रामरतन डोई)
अधिशायी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बुन्दी

बालोला	5279	10.6351	0.3886 है०	0.3886 है०
	5544	9.0649		
	5775	6.7421		
	5774	10.9265		
	5770	19.0688		
	5766	26.4502		
	5765	16.6164		
	5760	24.2487		
	5758	18.6641		
	5764	13.7289		
	5763	18.7855		
	5762	9.8581		
	5763	18.7855		
	5770	19.0688		
5768	12.9499			
5778	14.6415			
5779	11.1127			
कुल योग			2.9257	2.9257
महायोग			3.8275	3.8275

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति हिण्डोली एवं नैनवां की बैठक दिनांक क्रमशः 26.09.2023 व 27.09.2023 एवं संबंधित ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं की ग्राम सभा में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुशंसा के अनुसार उक्त भूमि पर कोई दावा लम्बित नहीं होने तथा जीविका उपार्जन हेतु काबिज नहीं होने एवं किसी भी वनवासियों के अधिकार प्रभावित नहीं होने एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अध्याय 2 के नियम 3(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय वनाधिकार समिति Diversion Of 3.8275 hect. Forest land "Laying of PIPE LINE HINDOLI-NAINWA WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDI FROM CHAMBLE BHILWARA WSP (PHASE-1) DISTRICT BUNDI (RAJASTHAN) के लिए क्षेत्रफल (3.8275) वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण जारी करने की अनुशंसा करती हैं उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

क्रमांक:-वन अधि./2023-24/3527
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
2. उपवन संरक्षक, वन विभाग, बून्दी।
3. उपवन संरक्षक, रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी।
4. प्रभारी अधिकारी (राजस्व), कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी।
5. उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली/नैनवां।
6. श्री बंशीलाल मीणा (उपजिला प्रमुख) वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य वार्ड नं० 1 ग्राम पेच की बावडी तह. हिण्डोली जिला बून्दी।
7. श्रीमती अंजना जैन वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य, वार्ड नं० 20 ग्राम व पोस्ट बाराही तह. नैनवां जिला बून्दी।
8. श्रीमती सीमा भील वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य, वार्ड नं० 7 ग्राम धनेश्वर तह. तालेडा जिला बून्दी।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डोली/नैनवां।
10. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी बून्दी।
11. प्रभारी अधिकारी, माडा जिला परिषद बून्दी।
12. अतिरिक्त निजि सचिव, जिला कलक्टर, बून्दी।
13. श्री लेखराज प्रजापत, सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति, बून्दी।
14. निजि सहायक, सीईओ/एसीईओ, जिला परिषद, बून्दी।

(डॉ० रघुचन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, बून्दी
दिनांक :- 07 10.2023

सीमा

6/10/23

6/10

6/10/23

(राजपाल सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, बून्दी

अभिषा जै

MADA Forest Prose ding 07-10-2016

(रामरतन डोई)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली (बून्दी)

क्रमांक/ बैठक/ वनाधिकार अधिनियम/2023-24/ 2388

दिनांक :- 26/9/2023

--:बैठक कार्यवाही विवरण::--

श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जिला परिषद बून्दी के पत्र क्रमांक:- माडा () वन अधिनियम/2022-23/3319 दिनांक 12.04.2023 की पालना में उपखण्ड स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 26.09.2023 को उपखण्ड कार्यालय हिण्डोली में प्रातः 12:00 बजे आयोजित की गई।

उपखण्ड स्तरीय समिति (वन अधिकारों की मान्यता) में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये।

1	श्रीमान उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष	
2	श्रीमान विकास अधिकारी	सदस्य	
3	क्षेत्रीय वन अधिकारी	सदस्य	
4	श्री ओमप्रकाश	पंचायत समिति सदस्य	
5	श्री बलराम मीणा	पंचायत समिति सदस्य	
6	श्रीमति अर्चना कंवर	पंचायत समिति सदस्य	

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक में Diversion Of 3.8275 hect. Forest land "Laying of PIPE LINE HINDOLI-NAINWA WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDI FROM CHAMBLE BHILWARA WSP (PHASE-1) DISTRICT BUNDI (RAJASTHAN) के लिए क्षेत्रफल 3.8275 हैक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व वेबसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/WATER/154215/2022 द्वारा आवेदन किया गया है जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA Certificate) आवश्यक है, जो जलदाय विभाग (PHED) स्कीम हिण्डोली-नैनवां पेयजल परियोजना से सम्बन्धित है।

प्राप्त उपरोक्त प्रस्तावों पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/नगरपालिका हिण्डोली से अधिनियम के तहत दावा कुलक, वन अधिकार समिति की रिपोर्ट एवं ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुये वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA Certificate) की रिपोर्ट चाही गई, जो निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	ग्राम पंचायत	ग्राम	खसरा नम्बर	खसरा नं० का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल जिसका प्रमाण पत्र (FRA Certificate) जारी किया गया	विशेष विवरण
1	सहसपुरिया	सलावलियां	1119	1.8211 है०	0.0019 है०	0.0019 हैक्टेयर	-
2	टोकडा	टोकडा	68, 270, 271, 3001/69	0.4047 है०, 0.5989 है०, 20.3395 है०, 0.6475 है० 21.9906 है०	0.0303 है०	0.0303 हैक्टेयर	हल्का पटवारी एवं ग्रा०पं० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 3001/69 खातेदारी भूमि दर्ज रेकार्ड है।
3	पगारां	पगारां	433, 410, 2883	4.8481 है०, 9.9957 है०, 12.1972 है० 27.041 है०	0.0688 है०	0.1754 हैक्टेयर	हल्का पटवारी एवं ग्रा०पं० स्तरीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मालियों की झोपडिया में खसरा नम्बर 435 व 428 सिवायचक दर्ज रिकोर्ड है व खसरा संख्या 3111/429 खातेदारी है, शेष वन विभाग की है।
		मालियों का झोपडियां	435 428 429 3111/429 426 407	5.3499 है० 6.4750 है० 1.3921 है० 2.4281 है० 8.2475 है० 21.3836 है० 45.2762 है०	0.1066 है०		

कार्यालय जिला परिषद बून्दी
क्रमांक... 2962
3. अनुभाग... 3319
4. तिथि...

(राजरतन डोई)
अधिशायी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

4	रोणीजा	रोणीजा	1343 1700 342	2.0153 है० 10.8860 है० 0.8498 है०	0.0387 है०	0.0387 हैक्टेयर	-
5	उमर	किशनगंज	105 217 82 83	7.4867 है० 6.1674 है० 15.8717 है० 0.0324 है०	0.0076 है० 0.0591 है०	0.0667 हैक्टेयर	-
6	गुढाबांध	गुढा	1125 1123	10.5704 है० 2.5333 है०	0.1358 है०	0.1358 हैक्टेयर	-
7	थाना	थाना	1711 1704 1973/1314 1312 1311 1310 1307 1314	0.2833 है० 0.6637 है० 0.4856 है० 6.4021 है० 5.8598 है० 3.9093 है० 1.3840 है० 2.7600 है०	0.023 है० 0.0721 है०	0.0951 हैक्टेयर	हल्का पटवारी एवं ग्रा०पं० स्तरीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 1973/1314 खातेदारी दर्ज रेकार्ड एवं ख०सं० 1312, 1311, 1310, 1307, 1314 मुताबिक रेकार्ड सिवायचक दर्ज है
8	मेण्डी	मेण्डी	530	3.5693 है०	0.0088 है०	0.1149 हैक्टेयर	हल्का पटवारी व ग्रा०पं० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मेण्डी के ख०सं० 1161/530 एवं ग्राम गणेशगंज के ख०सं० 828/267, 826/268, 827/706 सडक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम गणेशगंज के ख०सं० 262 एवं सुखपुरा के ख०सं० 432 राजकीय सिवायचक तथा ग्राम सुखपुरा के ख०सं० 430 खातेदारी दर्ज भूमि है।
		सुखपुरा	431	2.6305 है०	0.0185 है०		
		गणेशगंज	843/263 266	0.2590 है० 4.3868 है०	0.0292 है० 0.0584 है०		
			1161/530 828/267, 826/268, 827/706 262 432 430				
9	खैरखटा	खैजडा	222 221 220 254 253/337 258 255 255/349 214 29 28 1 2	1.3436 है० 2.5657 है० 4.4030 है० 0.3561 है० 1.8939 है० 3.9174 है० 2.5333 है० 0.5099 है० 9.0488 है० 5.2042 है० 8.5712 है० 7.8185 है० 4.6620 है०	0.1077 है० 0.0474 है०	0.1777 हैक्टेयर	हल्का पटवारी एवं ग्रा०पं० स्तरीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 254, 253/337 राजकीय सिवायचक, शेष खसरा नम्बर वन विभाग में है
		खैरखटा	19	5.0505 है०	0.0226 है०		
10	ओवण	गुरजनियां	127 128 130 131/255 131	4.2654 है० 2.7114 है० 10.6999 है० 5.9812 है० 1.8858 है०	0.091 है०	0.091 हैक्टेयर	ग्राम समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अंकित खसरो में से ख०सं० 131 खातेदारी मे है, शेष खसरे वन विभाग में होना बताया

डॉ. म. ग. शर्मा
अधीक्षक
अधीक्षक

(रामरतन डोई)
अधिशायी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी


11	सांवतगढ	सांवतगढ	1125 1126 1124/1257 1126/1205	0.3076 है० 0.2104 है० 5.6089 है० 0.2671 है०	0.0124 है०	0.0124 हैक्टैयर	-
12	डादून्दा	डादून्दा	24 1406/37	12.7152 है० 0.1052 है०	0.0357 है०	0.2881 हैक्टैयर	ग्राम समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अंकित खसरो में से खसरा संख्या 1369/94 एवं खसरा संख्या 1362/990 गै०मु० सडक है तथा अन्य सभी महकमा जंगलात है।
			547 463 90	2.7438 है० 7.7700 है० 7.2034 है०	0.1104 है०		
			94/1196 1369/94	0.5585 है० 0.5423 है०	0.0294 है०		
			879 1362/990	7.1386 है० 0.0162 है०	0.0512 है०		
		नारायणपुर	760 758	7.2358 है० 8.1342 है०	0.0614 है०		
13	खीण्या	भोजगढ	2130/2770 2130 2130/2769 2908/2130 3170/2137 2139 2142 2141 2140 2106 2146 2105 2081 2082	0.4128 है० 1.3516 है० 0.0728 है० 0.6475 है० 0.1628 है० 0.6880 है० 7.1548 है० 0.4209 है० 0.3561 है० 6.1998 है० 8.0694 है० 6.9039 है० 14.3825 है० 40.2904 है०	0.2425 है०	0.2425 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०पं० स्तरीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 2130/2770, 2130/2769, 2908/2130 खातेदार तथा खसरा संख्या 2130, 3170/2137, 2139, 2141 सिवायचक दर्ज रेकार्ड है, शेष वन विभाग दर्ज होना अवगत कराया
14	बसोली	बसोली	1322	3.0109	0.027 है०	0.027 है०	हल्का पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम बसोली के खसरा संख्या 513, 284, 1843, 1891, 2469/1903, 1902, 1901, 1622 सिवायचक तथा खसरा संख्या 1619 खातेदारी एवं ख०सं० 1888 गै०मु०आबादी दर्ज रेकार्ड अवगत कराया गया है।
			512 513 514 519 301 285 288 286 284 282 292 283	1.0603 0.1376 5.5766 0.0971 0.2347 0.7284 0.1457 0.2347 0.4532 7.1386 5.4875 2.0315	0.2355 है०	0.2355 है०	
			1542 1438 1440	3.8364 5.6980 3.9093	0.0388 है०	0.0388 है०	

डॉ. प्र. क. शर्मा

(रामरतन डोई)
अधिशायी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी


			1960	4.7996	0.4202 है०	0.4202 है०
			1959	7.1629		
			1956	4.2816		
			2251/1843	9.1216		
			1895	5.0505		
			1843	0.5908		
			1888	1.0441		
			1891	1.8130		
			2469/1903	0.6718		
			1902	0.0809		
			2257/1900	2.4686		
			1901	7.2843		
			1905	7.1953		
			1906	0.7446		
			1677	1.5135		
			1679	6.8311		
			1681	2.6952		
			1682	5.2933		
			1673	7.0091		
			1675	2.4605		
			1669	3.3913		
			1670	0.1295		
			1668	0.4047		
			1645,	5.4147		
			1644	4.4839		
			1622	0.4452		
			1619	0.5747		
		बाडी का खेडा	423	4.2006	0.2673 है०	
			434	2.6466		
			435	0.4209		
			436	14.1883		0.2673 है०
			429	0.6880		
			454	10.2709		
			46	5.1638		
			47	4.7510		
			42	5.2933		
			48	2.7761		
			35	9.4373		
15	नगरपालिका हिण्डोली	हिण्डोली	1889	6.1674	0.0056 है०	0.0056 है०
			1888	1.7644		
			1747	16.7378	0.0173 है०	0.0173 है०
		बालोला	5279	10.6351	0.3886 है०	0.3886 है०
			5544	9.0649		
			5775	6.7421		
			5774	10.9265		
			5770	19.0688		
			5766	26.4502		
			5765	16.6164		
			5760	24.2487		
			5758	18.6641		
			5764	13.7269		
			5763	18.7855		
			5762	9.8581		
			5763	18.7855		
			5770	19.0688	0.0549 है.	0.0549 है०
			5768	12.9499		
			5778	14.6415		
			5779	11.1127		


आम पत्रिका










 (रामरतन डोई)
 अधिशाषी अभियन्ता
 जन स्वा०अभि०विभाग
 परियोजना खण्ड, बून्दी

अतः उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायतों/नगरपालिका हिण्डोली के उक्त ग्रामों/नगर में आयी वन भूमि 2.9257 हैक्टेयर वन क्षेत्र में आने के कारण वन भूमि का प्रत्यावर्तन करने हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं कर रहे हैं। इस हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा बैठक आयोजित कर ग्राम सभा व वनाधिकार समिति के द्वारा अनापत्ति जारी करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड हिण्डोली जिला बून्दी अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अतः किसी भी वनवासी के वनाधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। अतः समिति द्वारा उक्त प्रकरण में सर्वसम्मति से भूमि 2.9257 हैक्टेयर भूमि को जलदाय विभाग (PHED) स्कीम हिण्डोली-नैनवां पेयजल पाईप लाईन परियोजना को प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

अतः प्रस्तावित ग्राम सलावलिया (ग्रा0पं0 सहसपुरिया), ग्राम टोकडा (ग्रा0पं0 टोकडा), ग्राम पगारां/मालियो का झोपडा (ग्रा0पं0 पगारां), ग्राम रोणीजा (ग्रा0पं0 रोणीजा), ग्राम किशनगंज (ग्रा0पं0 उमर), ग्राम गुडा (ग्रा0पं0 गुडाबांध), ग्राम थाना (ग्रा0पं0 थाना), ग्राम मेण्डी/सुखपुरा/गणेशगंज (ग्रा0पं0 मेण्डी), ग्राम खेजडा, खैरखटा (ग्रा0पं0 खैरखटा), ग्राम गुरजनियां (ग्रा0पं0 ओवण), ग्राम सांवतगढ (ग्रा0पं0 सांवतगढ), ग्राम डादून्दा/नारायणपुर (ग्रा0पं0 डादून्दा), ग्राम भोजगढ (ग्रा0पं0 खीण्या), ग्राम बसोली/बांडी का खेडा (ग्रा0पं0 बसोली) एवं नगर हिण्डोली/बालोला (नगरपालिका हिण्डोली) के कुल किता खसरा संख्या- 164, खसरो का कुल किता क्षेत्रफल- 894.8105 हैक्टेयर में से ~~2.9257 हैक्टेयर~~ खातेदारी के नाम दर्ज खसरों को छोड़कर ~~2.9257 हैक्टेयर~~ के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

C.A.
2.9257 है०

ओमप्रकाश

श्री ओमप्रकाश
पं0समिति सदस्य, पं0स0 हिण्डोली

3

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
हिण्डोली

बलराम मीणा

श्री बलराम मीणा
पं0समिति सदस्य, पं0स0 हिण्डोली

विकास अधिकारी
पंचायत समिति हिण्डोली

अर्चना कंवर

श्रीमति अर्चना कंवर
पं0समिति सदस्य, पं0स0 हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

(रामरतन डोई)
अधिशायी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां (बून्दी)

क्रमांक/बैठक/वनाधिकार अधिनियम/2023-24/1369

दिनांक :- 03/10/2023

--:बैठक कार्यवाही विवरण::--

श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जिला परिषद बून्दी के पत्र क्रमांक:- माडा ()वन अधिनियम/2022-23/3319 दिनांक 12.04.2023 की पालना में उपखण्ड स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 27.09.2023 को उपखण्ड कार्यालय नैनवां में दोपहर 3:00 बजे आयोजित की गई।

उपखण्ड स्तरीय समिति (वन अधिकारों की मान्यता) में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये।

1	श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नैनवां	अध्यक्ष
2	श्रीमान विकास अधिकारी नैनवां	सदस्य
3	तहसीलदार नैनवां	सदस्य
4	क्षेत्रीय वन अधिकारी नैनवां	सदस्य
5	क्षेत्रीय वन अधिकारी रामगढ विषधारी अभ्यारण	सदस्य
6	श्री रेशम सिंह मीणा	पंचायत समिति सदस्य

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक में Diversion Of 3.8275 hect. Forest land "Laying of PIPE LINE HINDOLI-NAINWA WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDI FROM CHAMBLE BHILWARA WSP (PHASE-1) DISTRICT BUNDI (RAJASTHAN) के लिए क्षेत्रफल 3.8275 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व वेबसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/WATER/154215/2022 द्वारा आवेदन किया गया है जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA Certificate) आवश्यक है, जो जलदाय विभाग (PHED) स्कीम हिण्डोली-नैनवां पेयजल परियोजना से सम्बन्धित है।

प्राप्त उपरोक्त प्रस्तावों पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/नगरपालिका नैनवां/देई से अधिनियम के तहत दावा कुलक, वन अधिकार समिति की रिपोर्ट एवं ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA Certificate) की रिपोर्ट चाही गई, जो निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	ग्राम पंचायत	ग्राम	खसरा नम्बर	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल जिसका प्रमाण पत्र (FRA Certificate) जारी किया गया	विशेष विवरण
1	बांसी	बांसी	39,3753/38, 3824/38, 42, 61	0.0926 है०	0.0926 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०पं० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 3753/38, 3824/38 खातेदारी तथा ख.स. 61 सार्वजनिक निर्माण विभाग दर्ज है।
2	भजनेरी	भजनेरी	1678/2780, 1740, 1729	0.047 है०	0.047 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०पं० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 1678/2780 बंजड भूमि तथा ख.नं. 1729 चारागाह में दर्ज है।

कार्यालय जिला परिषद, बून्दी
 1. क्रमांक 2961 दिनांक 4.10.23
 2. अनुभाग 81151
 3. विवरण.....


Sd/-
 C.E.O.
 Z.P. BUNDI

(रामरतन डोई)
 अधिशाही अभियन्ता
 जन स्वा.अभि.विभाग
 परियोजना खण्ड, बून्दी

3	सादेडा	सादेडा	707, 708, 709, 712, 713, 715, 724, 522, 523, 524, 522/868	0.0870 है०	0.0870 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 708, 713, 522, 523, 524 सिवायचक तथा ख.नं. 522/868 खातेदारी में दर्ज है।
4	मंरा	कालानला	45, 688/45, 691/45, 43, 665/26, 16, 15, 09, 11	0.1812 है०	0.1812 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 45, 43 सिवायचक तथा ख.नं. 688/45, 665/26 खातेदारी में दर्ज है।
5	जजावर	जजावर	2165, 2164	0.0511 है०	0.0511 है०	
6	जजावर	खोडी	1218, 1423	0.0139 है०	0.0139 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 1423 गैर मुमकिन बरडा में दर्ज है।
7	खानपुरा	मानपुरा	56	0.0446 है०	0.0446 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 52 गैर मुमकीन रास्ता दर्ज है।
			46, 56, 52	0.0294 है०	0.0294 है०	
8	खानपुरा	खानपुरा	1916	0.0212 है०	0.0212 है०	
9	खानपुरा	आंव का खेडा	246, 250/648	0.01 है०	0.01 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 246 गैर मुमकीन रास्ता दर्ज है।
			248/644, 247, 248	0.0193 है०	0.0193 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 248 गैर मुमकिन बरडा में दर्ज है।
			512/670	0.017 है०	0.017 है०	
10	नगर पालिका देई	देई	2493, 2500, 2501	0.0127 है०	0.0127 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 2415/4602 खातेदारी दर्ज है।
			2556, 2557/1, 2557, 2558, 2415/4602, 2708, 100	0.1186 है०	0.1186 है०	
11	नगर पालिका नैनवां	नैनवां प्रथम	3469, 3457, 3458, 3460	0.1044 है०	0.1044 है०	
			3486	0.0186 है०	0.0186 है०	
12	नगर पालिका नैनवां	नैनवां द्वितीय	3455, 3454, 3451	0.1712 है०	0.1712 है०	



अतः उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायतों/नगरपालिका नैनवां/देई के उक्त ग्रामों/नगर में आयी वन भूमि 0.9018 है० (0.6336 है० वनभूमि तथा 0.2682 है० रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत) हैक्टियर वन क्षेत्र में आने के कारण वन भूमि का प्रत्यावर्तन करने हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं कर रहे हैं। इस हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा बैठक आयोजित कर ग्राम सभा व वनाधिकार समिति के द्वारा अनापत्ति जारी करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।


उपखण्ड नैनवां जिला बून्दी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में



 (रामरतन डाई)
 अधिशाही अभियन्ता
 जन स्वा०अभि०विभाग
 परियोजना खण्ड, बून्दी


उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अतः किसी भी वनवासी के वनाधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। अतः समिति द्वारा उक्त प्रकरण में सर्वसम्मति से कुल भूमि 0.9018 है० (0.6336 है० वनभूमि तथा 0.2682 है० रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत) भूमि को जलदाय विभाग (PHED) स्कीम हिण्डोली-नैनवां पेयजल पाईप लाईन परियोजना को प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।


अतः प्रस्तावित ग्राम बांसी (ग्रा०पं० बांसी), ग्राम भजनेरी (ग्रा०पं० भजनेरी), ग्राम सादेडा (ग्रा०पं० सादेडा), ग्राम कालानला (ग्रा०पं० मंरा), ग्राम जजावर, खोडी (ग्रा०पं० जजावर), ग्राम मानपुरा, खानपुरा, आंव का खेडा (ग्रा०पं० खानपुरा), नगर पालिका नैनवां/देई के खातेदारी के नाम दर्ज खसरो को छोड़कर वनभूमि 0.6336 है० तथा रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत 0.2682 है० कुल 0.9018 है० के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।



श्री रेशम सिंह मीणा
पं०समिति सदस्य, पं०स० नैनवां

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व,
रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व कोर)
बन्दी


तहसीलदार
तहसीलदार (भू०अ०) नैनवां


विकास अधिकारी
पंचायत समिति नैनवां


क्षेत्रीय वन अधिकारी
नैनवां


उपखण्ड अधिकारी
नैनवां


(रामरतन डोई)
अधिशायी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बन्दी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां (बून्दी)

क्रमांक/वनाधिकार/2023-24/1376-1378

दिनांक :- 03/10/2023

--:प्रमाण पत्र::--

श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जिला परिषद बून्दी के पत्र क्रमांक:- माडा ()वन अधिनियम/2022-23/3319 दिनांक 12.04.2023 की पालना में उपखण्ड स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 27.09.2023 को उपखण्ड कार्यालय नैनवां में दोपहर 3:00 बजे आयोजित की गई।

उपखण्ड स्तरीय समिति (वन अधिकारों की मान्यता) में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये।

1	श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नैनवां	अध्यक्ष
2	श्रीमान विकास अधिकारी नैनवां	सदस्य
3	तहसीलदार नैनवां	सदस्य
4	क्षेत्रीय वन अधिकारी नैनवां	सदस्य
5	क्षेत्रीय वन अधिकारी रामगढ विषधारी अभ्यारण	सदस्य
6	श्री रेशम सिंह मीणा	पंचायत समिति सदस्य

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक में Diversion Of 3.8275 hect. Forest land "Laying of PIPE LINE HINDOLI-NAINWA WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDI FROM CHAMBLE BHILWARA WSP (PHASE-1) DISTRICT BUNDI (RAJASTHAN) के लिए क्षेत्रफल 3.8275 हैक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व वेबसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/WATER/154215/2022 द्वारा आवेदन किया गया है जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA Certificate) आवश्यक है, जो जलदाय विभाग (PHED) स्कीम हिण्डोली-नैनवां पेयजल परियोजना से सम्बन्धित है।

प्राप्त उपरोक्त प्रस्तावों पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/नगरपालिका नैनवां/देई से अधिनियम के तहत दावा कुलक, वन अधिकार समिति की रिपोर्ट एवं ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुये वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA Certificate) की रिपोर्ट चाही गई, जो निम्न प्रकार है :-


क्र० सं०	ग्राम पंचायत	ग्राम	खसरा नम्बर	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल जिसका प्रमाण पत्र (FRA Certificate) जारी किया गया	विशेष विवरण
1	वांसी	वांसी	39,3753/38, 3824/38, 42, 61	0.0926 है०	0.0926 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 3753/38, 3824/38 खातेदारी तथा ख.स. 61 सार्वजनिक निर्माण विभाग दर्ज है।
2	भजनरी	भजनरी	1678/2780, 1740, 1729	0.047 है०	0.047 है०	हल्का पटवारी एवं ग्रा०प० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 1678/2780 बंजड भूमि तथा ख.नं. 1729 चारमाह से दर्ज है।

(रामरतन डोई)
अधिशायी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

3	सादेडा	सादेडा	707, 708, 709, 712, 713, 715, 724, 522, 523, 524, 522/868	0.0870 है0	0.0870 है0	हल्का पटवारी एवं ग्रा0प0 स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख0सं0 708, 713, 522, 523, 524 सिवायचक तथा ख.नं. 522/868 खातेदारी में दर्ज है।
4	मरा	कालानला	45, 688/45, 691/45, 43, 665/26, 18, 15, 09, 11	0.1812 है0	0.1812 है0	हल्का पटवारी एवं ग्रा0प0 स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख0सं0 45, 43 सिवायचक तथा ख.नं. 688/45, 665/26 खातेदारी में दर्ज है।
5	जजावर	जजावर	2165, 2164	0.0511 है0	0.0511 है0	
6	जजावर	खोडी	1218,1423	0.0139 है0	0.0139 है0	हल्का पटवारी एवं ग्रा0प0 स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 1423 गैर मुमकिन बरडा में दर्ज है।
7	खानपुरा	मानपुरा	56	0.0446 है0	0.0446 है0	हल्का पटवारी एवं ग्रा0प0 स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख0सं0 52 गैर मुमकीन रास्ता दर्ज है।
			46. 56. 52	0.0294 है0	0.0294 है0	
8	खानपुरा	खानपुरा	1916	0.0212 है0	0.0212 है0	
9	खानपुरा	आंव का खेडा	246, 250/648	0.01 है0	0.01 है0	हल्का पटवारी एवं ग्रा0प0 स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख0सं0 246 गैर मुमकीन रास्ता दर्ज है।
			248/644, 247, 248	0.0193 है0	0.0193 है0	हल्का पटवारी एवं ग्रा0प0 स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 248 गैर मुमकिन बरडा में दर्ज है।
			512/670	0.017 है0	0.017 है0	
10	नगर पालिका देई	देई	2493, 2500, 2501	0.0127 है0	0.0127 है0	हल्का पटवारी एवं ग्रा0प0 स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 2415/4602 खातेदारी दर्ज है।
			2556,2557/1, 2557, 2558, 2415/4602, 2708, 100	0.1186 है0	0.1186 है0	
11	नगर पालिका नैनवां	नैनवां प्रथम	3469, 3457, 3458, 3460	0.1044 है0	0.1044 है0	
			3486	0.0186 है0	0.0186 है0	
12	नगर पालिका नैनवां	नैनवां द्वितीय	3455, 3454, 3451	0.1712 है0	0.1712 है0	

अतः उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायतों/नगरपालिका नैनवां/देई के उक्त ग्रामों/नगर में आयी वन भूमि 0.9018 है0 (0.6336 है0 वनभूमि तथा 0.2682 है0 रामगढ विषघारी टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत) हैक्टयर वन क्षेत्र में आने के कारण वन भूमि का प्रत्यावर्तन करने हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं कर रहे हैं। इस हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा बैठक आयोजित कर ग्राम सभा व वनाधिकार समिति के द्वारा अनापत्ति जारी करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

उपरखण्ड नैनवां जिला बून्दी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में


 (रामरतन डोई)
 अधिशाषी अभियन्ता
 जन स्वा०अभि०विभाग
 परियोजना खण्ड, बून्दी

उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अतः किसी भी वनवासी के वनाधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। अतः समिति द्वारा उक्त प्रकरण में सर्वसम्मति से कुल भूमि 0.9018 है० (0.6336 है० वनभूमि तथा 0.2682 है० रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत) भूमि को जलदाय विभाग (PHED) स्कीम हिण्डोली-नैनवां पेयजल पाईप लाईन परियोजना को प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

अतः प्रस्तावित ग्राम बांसी (ग्रा०पं० बांसी), ग्राम भजनेरी (ग्रा०पं० भजनेरी), ग्राम सादेडा (ग्रा०पं० सादेडा), ग्राम कालानला (ग्रा०पं० मंरा), ग्राम जजावर, खोडी (ग्रा०पं० जजावर), ग्राम मानपुरा, खानपुरा, आंव का खेडा (ग्रा०पं० खानपुरा), नगर पालिका नैनवां/देई के खातेदारी के नाम दर्ज खसरो को छोड़कर वनभूमि 0.6336 है० तथा रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत 0.2682 है० कुल 0.9018 है० के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

उपखण्ड अधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील नैनवां, जिला-बून्दी
दिनांक :- 03/10/2023

क्रमांक/वनाधिकार/2023-24/ 1370-1378
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद बून्दी।
3. विकास अधिकारी, पं०स० नैनवां।
4. अधिशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड, बून्दी।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, नैनवां/देई।
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, नैनवां/रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व।

उपखण्ड अधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील नैनवां, जिला-बून्दी

(रामरतन डोई)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली (बून्दी)

क्रमांक/वनाधिकार/2023-24/2389-94

दिनांक :- 26/9/2023

-:प्रमाण पत्र:-

श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जिला परिषद बून्दी के पत्र क्रमांक:- माडा () वन अधिनियम/2022-23/3319 दिनांक 12.04.2023 की पालना में उपखण्ड स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 26.09.2023 को उपखण्ड कार्यालय हिण्डोली में प्रातः 12:00 बजे आयोजित की गई।

उपखण्ड स्तरीय समिति (वन अधिकारों की मान्यता) में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये।

1	श्रीमान उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष	
2	श्रीमान विकास अधिकारी	सदस्य	
3	क्षेत्रीय वन अधिकारी	सदस्य	
4	श्री ओमप्रकाश	पंचायत समिति सदस्य	
5	श्री बलराम मीणा	पंचायत समिति सदस्य	
6	श्रीमति अर्चना कंवर	पंचायत समिति सदस्य	

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।


बैठक में Diversion Of 3.8275 hect. Forest land "Laying of PIPE LINE HINDOLI-NAINWA WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDI FROM CHAMBLE BHILWARA WSP (PHASE-1) DISTRICT BUNDI (RAJASTHAN) के लिए क्षेत्रफल 3.8275 हैक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व वेबसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/WATER/154215/2022 द्वारा आवेदन किया गया है जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA Certificate) आवश्यक है, जो जलदाय विभाग (PHED) स्कीम हिण्डोली-नैनवां पेयजल परियोजना से सम्बन्धित है।

प्राप्त उपरोक्त प्रस्तावों पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/नगरपालिका हिण्डोली से अधिनियम के तहत दावा कुलक, वन अधिकार समिति की रिपोर्ट एवं ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुये वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA Certificate) की रिपोर्ट चाही गई, जो निम्न प्रकार है :-


क्र० सं०	ग्राम पंचायत	ग्राम	खसरा नम्बर	खसरा नं० का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल जिसका प्रमाण पत्र (FRA Certificate) जारी किया गया	विशेष विवरण
1	सहसपुरिया	सलायलियां	1119	1.8211 है०	0.0019 है०	0.0019 हैक्टेयर	-
2	टोकडा	टोकडा	68, 270, 271, 3001/89	0.4047 है०, 0.5989 है०, 20.3395 है०, 0.6475 है०, 21.9906 है०	0.0303 है०	0.0303 हैक्टेयर	हल्का पटवारी एवं ग्रा०पं० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ख०स० 3001/69 खातेदारी भूमि दर्ज रेकार्ड है।
3	पगारां	पगारां	433, 410, 2883	4.8481 है०, 9.9957 है०, 12.1972 है०, 27.041 है०	0.0688 है०	0.1754 हैक्टेयर	हल्का पटवारी एवं ग्रा०पं० स्तरीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मालियों की झोपडिया में खसरा नम्बर 435 व 428 सिवायक दर्ज रिपोर्ट है व खसरा संख्या 3111/429 खातेदारी है, शेष वन विभाग की है।
		मालियों का झोपडियां	435, 428, 429, 3111/429, 428, 407	5.3489 है०, 6.4750 है०, 1.3921 है०, 2.4281 है०, 8.2475 है०, 21.3838 है०, 45.2782 है०	0.1066 है०		

(रामरतन डोई)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

4	रोणीजा	रोणीजा	1343 1700 342	2.0153 है० 10.8860 है० 0.8498 है०	0.0387 है०	0.0387 हैक्टेयर	-
5	उमर	किशनगंज	105 217 82 83	7.4887 है० 6.1674 है० 15.8717 है० 0.0324 है०	0.0076 है० 0.0591 है०	0.0667 हैक्टेयर	-
6	गुदाबाघ	गुदा	1125 1123	10.5704 है० 2.5333 है०	0.1358 है०	0.1358 हैक्टेयर	-
7	धाना	धाना	1711 1704 1973 / 1314 1312 1311 1310 1307 1314	0.2833 है० 0.6637 है० 0.4856 है० 6.4021 है० 5.8598 है० 3.9093 है० 1.3840 है० 2.7600 है०	0.023 है० 0.0721 है०	0.0951 हैक्टेयर	हल्का पटवारी एवं ग्रा०पं० स्तरीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ख०सं० 1973 / 1314 खातेदारी दर्ज रेकार्ड एवं ख०सं० 1312, 1311, 1310, 1307, 1314 मुताबिक रेकार्ड सिवायचक दर्ज है
8	मेण्डी	मेण्डी	530	3.5693 है०	0.0088 है०	0.1149 हैक्टेयर	हल्का पटवारी व ग्रा०पं० स्तरीय समिति की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मेण्डी के ख०सं० 1161 / 530 एवं ग्राम गणेशगंज के ख०सं० 828 / 267, 826 / 268, 827 / 706 सडक परियहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम गणेशगंज के ख०सं० 262 एवं सुखपुरा के ख०सं० 432 राजकीय सिवायचक तथा ग्राम सुखपुरा के ख०सं० 430 खातेदारी दर्ज भूमि है।
		सुखपुरा	431	2.6305 है०	0.0185 है०		
		गणेशगंज	843 / 263 266	0.2590 है० 4.3868 है०	0.0292 है० 0.0584 है०		
			1161 / 530 828 / 267, 826 / 268, 827 / 706 262 432 430				
9	खैरखटा	खैजडा	222 221 220 254 253 / 337 258 255 255 / 349 214 29 28 1 2	1.3436 है० 2.5657 है० 4.4030 है० 0.3561 है० 1.8939 है० 3.9174 है० 2.5333 है० 0.5099 है० 9.0488 है० 5.2042 है० 8.5712 है० 7.8185 है० 4.6620 है०	0.1077 है० 0.0474 है०	0.1777 हैक्टेयर	हल्का पटवारी एवं ग्रा०पं० स्तरीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 254, 253 / 337 राजकीय सिवायचक, शेष खसरा नम्बर वन विभाग में है
		खैरखटा	19	5.0505 है०	0.0226 है०		
10	ओवण	गुरजनियां	127 128 130 131 / 255 131	4.2854 है० 2.7114 है० 10.6998 है० 5.9812 है० 1.8858 है०	0.091 है०	0.091 हैक्टेयर	ग्राम समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अंकित खसरो में से ख०सं० 131 खातेदारी में है, शेष खसरे वन विभाग में होना बताया



 (रामरतन डोई)
 अधिशाषी अभियन्ता
 जन स्वा०अभि०विभाग
 परियोजना खण्ड, दूधौ

11	सांवतगढ	सांवतगढ	1125 1126 1124/1257 1126/1205	0.3078 है० 0.2104 है० 5.6089 है० 0.2671 है०	0.0124 है०	0.0124 हैक्टयर	-
12	डादून्दा	डादून्दा	24 1406/37	12.7152 है० 0.1052 है०	0.0357 है०	0.2881 हैक्टयर	ग्राम समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अंकित खसरो में से खसरा संख्या 1369/94 एवं खसरा संख्या 1362/990 गै०मु० सडक है तथा अन्य सभी महकमा जंगलात है।
			547 463 90	2.7438 है० 7.7700 है० 7.2034 है०	0.1104 है०		
			94/1196 1369/94	0.5585 है० 0.5423 है०	0.0294 है०		
			879 1362/990	7.1388 है० 0.0162 है०	0.0512 है०		
		नारायणपुर	760 758	7.2358 है० 8.1342 है०	0.0814 है०		
13	खीण्वा	भोजगढ	2130/2770 2130 2130/2769 2908/2130 3170/2137 2139 2142 2141 2140 2106 2146 2105 2081 2082	0.4128 है० 1.3516 है० 0.0728 है० 0.6475 है० 0.1628 है० 0.6880 है० 7.1548 है० 0.4209 है० 0.3561 है० 6.1998 है० 8.0694 है० 6.9039 है० 14.3825 है० 40.2904 है०	0.2425 है०	0.2425 है०	हल्का पटवारी एवं प्रा०प० स्तरीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 2130/2770, 2130/2769, 2908/2130 खातेदार तथा खसरा संख्या 2130, 3170/2137, 2139, 2141 सिवायचक दर्ज रेकार्ड है, शेष वन विभाग दर्ज होना अवगत कराया
14	बसोली	बसोली	1322	3.0109	0.027 है०	0.027 है०	हल्का पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम बसोली के खसरा संख्या 513, 284, 1843, 1891, 2469/1903, 1902, 1901, 1622 सिवायचक तथा खसरा संख्या 1619 खातेदारी एवं ख०स० 1888 गै०मु०आबादी दर्ज रेकार्ड अवगत कराया गया है।
			512 513 514 519 301 285 288 289 284 282 292 283	1.0603 0.1376 5.5766 0.0971 0.2347 0.7204 0.1457 0.2347 0.4532 7.1388 5.4876 2.0315	0.2355 है०	0.2355 है०	
			1542 1438 1440	3.8354 5.6980 3.9093	0.0388 है०	0.0388 है०	



(रामरतन डोई)
अधिशायी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परिभोजना खण्ड, बुन्दी

			1960 1959 1958 2251 / 1843 1895 1843 1888 1891 2469 / 1903 1902 2257 / 1900 1901 1905 1906 1677 1678 1681 1682 1673 1675 1669 1670 1668 1645 1644 1622 1619	4.7996 7.1629 4.2816 9.1216 5.0505 0.5908 1.0441 1.8130 0.6718 0.0809 2.4888 7.2843 7.1953 0.7448 1.5135 6.8311 2.6952 5.2933 7.0091 2.4605 3.3913 0.1295 0.4047 5.4147 4.4839 0.4452 0.5747	0.4202 है०	0.4202 है०	
		बाडी का खेडा	423 434 435 436 429 454 46 47 42 48 35	4.2008 2.6466 0.4209 14.1883 0.6880 10.2709 5.1638 4.7510 5.2933 2.7761 9.4373	0.2673 है०	0.2673 है०	
15	नगरपालिका हिण्डोली	हिण्डोली	1889 1888 1747	6.1674 1.7644 16.7378	0.0056 है० 0.0173 है०	0.0056 है० 0.0173 है०	
		वालोला	5279 5544 5775 5774 5770 5768 5765 5780 5758 5784 5763 5762 5763 5770 5768 5778 5779	10.8351 9.0649 6.7421 10.9265 19.0688 26.4602 18.8164 24.2487 18.8841 13.7269 18.7865 9.8581 18.7865 19.0688 12.9499 14.6415 11.1127	0.3886 है० 0.0549 है०	0.3886 है० 0.0549 है०	


 (रामरतन डोई)
 जल संवर्धन विभाग
 परियोजना खण्ड, बुन्दी

अतः उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायतों/नगरपालिका हिण्डोली के उक्त ग्रामों/नगर में आयी वन भूमि 2.9257 हैक्टेयर वन क्षेत्र में आने के कारण वन भूमि का प्रत्यावर्तन करने हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं कर रहे हैं। इस हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा बैठक आयोजित कर ग्राम सभा व वनाधिकार समिति के द्वारा अनापत्ति जारी करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड हिण्डोली जिला बून्दी अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अतः किसी भी वनवासी के वनाधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। अतः समिति द्वारा उक्त प्रकरण में सर्वसम्मति से भूमि 2.9257 हैक्टेयर भूमि को जलदाय विभाग (PHED) स्कीम हिण्डोली-नैनवां पेयजल पाईप लाईन परियोजना को प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

अतः प्रस्तावित ग्राम सलावलिया (ग्रा0पं0 सहसपुरिया), ग्राम टोकडा (ग्रा0पं0 टोकडा), ग्राम पगारां/मालियो का झोपडा (ग्रा0पं0 पगारां), ग्राम रोणीजा (ग्रा0पं0 रोणीजा), ग्राम किशनगंज (ग्रा0पं0 उमर), ग्राम गुडा (ग्रा0पं0 गुडाबांच), ग्राम थाना (ग्रा0पं0 थाना), ग्राम मेण्डी/सुखपुरा/गणेशगंज (ग्रा0पं0 मेण्डी), ग्राम खेजडा, खैरखटा (ग्रा0पं0 खैरखटा), ग्राम गुरजनियां (ग्रा0पं0 ओवण), ग्राम सांवतगढ (ग्रा0पं0 सांवतगढ), ग्राम डादून्दा/नारायणपुर (ग्रा0पं0 डादून्दा), ग्राम भोजगढ (ग्रा0पं0 खीण्या), ग्राम बसोली/बांडी का खेडा (ग्रा0पं0 बसोली) एवं नगर हिण्डोली/बालोला (नगरपालिका हिण्डोली) के कुल कित्ता खसरा संख्या- 164. खसरो का कुल कित्ता क्षेत्रफल- 894.8105 हैक्टेयर में से ~~नैनवां पेयजल पाईप लाईन परियोजना के अंतर्गत~~ खातेदारी के नाम दर्ज खसरो को छोड़कर ~~वन भूमि~~ के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

C.A.
2.9257 है

C.A.
26/9/2023

उपखण्ड अधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील हिण्डोली, जिला-बून्दी
दिनांक :- 26/9/2023

क्रमांक/वनाधिकार/2022-23/2389-94
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद बून्दी।
3. विकास अधिकारी, पं0स0 हिण्डोली।
4. अधिशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड, बून्दी।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, हिण्डोली।
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, हिण्डोली/नैनवां

उपखण्ड अधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील हिण्डोली, जिला-बून्दी

(रामरतन डोई)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

3
6
1E
11
व
1.
3.
4.1

ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प
(नियम 11 (5) देखें)

प्रस्ताव सं. 06.....

दिनांक : 15/08/23

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार एवं 11(5) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वाहन ग्राम सभा की बैठक की गई एवं उसमें वन अधिकार समिति द्वारा अभिस्वीकृत / अस्वीकृत वन भूमि पर अधिभोग के प्रकरणों पर विचार किया और पाया कि :-

श्री / श्रीमती हिरोली-नेनवा पिता/पति श्री PHED, विभाग हिरोली

(1) निचे दिये गये विवरण की वन भूमि को 12.12.2005 से पूर्व अधिभोग में ले रहा है/नहीं ले रहा है (2) उक्त भूमि पर अधिनियम प्रभावी होने की तिथि 31.12.2007 तक काबिज है/ नही है एवं (3) अपनी जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए इस वन भूमि पर निर्भर है/नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा श्री पिता/पति ग्राम किरानगांव तहसील हिरोली जिला बुन्देलखण्ड को उसके अधिभोग में निम्नानुसार भूमि पर वन अधिकार विये जाने का संकल्प पारित किया जाता है / नहीं किया जाता है।

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार/ कृषि/आवास	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
किरानगांव	105	7.4867	0.0076 ई. 0.0591 ई.	हिरोली-नेनवा पेपलर परियोजना पाइप लाइन	जलसम विभाग PHED राज हिरोली-नेनवा लाइन परियोजना के अन्तर्गत FRA प्रमाण-पत्र दिना द्विकृत किमा गमा है।
	217	6.1674			
	82	15.8717			
	83	0.0324			
योग					

28/8/23
हस्ताक्षर सचिव

.....
हस्ताक्षर अध्यक्ष ग्राम सभा

बैठक कार्यवाही रजिस्टर

ग्राम प्रधान समिति दिण्डोली जिला बुन्देलखण्ड वर्ष 20 23 -20 24

बैठक का स्थान	पंच / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के ह.
2	3	4	5	6
RTI निष्ठा	श्री मनराज सैनी			
टीन गाँव			आज विनाई 15 अगस्त 2023 को शाम 5 बजे 3 बजे के भारत विमान शंकर गाँव	श्रीमती (पंचायत) श्रीमान
गाँव	धनराज सैनी		वैसा अमु पर आम सभा को आमोकाय सरपंच सह	श्रीमान
	सुपंच प्रा. पंचायत वन वि. दिण्डोली (मन्ड)		श्री धनराज जी सैनी की अध्यक्षता में उभरा गया	
			आम सभा का आमोकाय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीशक	उपाया दुर्गाश्री आशुन लक्ष्मी
	19/08/23		विभाग के पंचायत आड (30) परांगि/दिण्डोली	श्रीमान
			बनाकार/आमोकाय/23 अप्रैल दिण्डोली 2023	
			सत्यम प्रमुख आम सभा के का. का. संकेत प्रमुख	सरिता
			विभाग राजस्थान का आमोकाय दिण्डोली 19/7/2023 एवं	
			कर्मचारी पंचायत समिति (दिण्डोली शंकर) के आदेश	
	19/08/23		अनुसू/पंचायत/2023-24 / 2010 दिण्डोली 10/8/23	श्रीमान
			प्रधान श्रीमान मुखम अमरीश्री अध्यक्षी मिश्र	श्रीमान
			मिशन सरपंच सुधी के आदेश अनुसार प्रमुख	
	आ. प. च. दिण्डोली कलिका		वर्ष/2023/2555 / दिण्डोली - 01/08/2023	श्रीमान पंचायत
			अनुशासना के आम सभा का आमोकाय दिण्डोली	
			मिस्री सर्वप्रथम सरपंच सभा के द्वारा आम सभा के	श्रीमान
			उपस्थित सभी दुर्गवासी एवं शरीरों का 15 अगस्त	
			के अनुसार एक सभा के द्वारा किया गया	
			तत्पश्चात भाग की काम सभा का आमोकाय	
			आम सभा दिण्डोली गाँव मिस्री मिन्म सदस्य पारित	श्रीमान
			किया गया	
			मुस्ताक अस्था 1) ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों को मुखमंत्रि	श्रीमान
			लोक कलाकार औरवाहन योजना 2023 के बारे	
			में बताया गया कि 2023 योजना लोक कलाकारों	श्रीमान
			के तारिकालिक संरक्षण सर्वधन एवं करा	
			प्रदर्शन के कार्यक्रम ले हमे इन्हे कार्यक्रम संचाल	श्रीमान
			प्रदान करने की इच्छा है एक महत्वपूर्ण योजना	
			एवं तबानार है। इस योजना के माध्यम से	
			ग्राम पंचायत क्षेत्र पर ही लोक कलाकारों को	
			विभिन्न अवसरों पर अपनी कला का प्रदर्शन	श्रीमान
			करने का मौका मिलेगा।	
			इससे अपने पैरा की कला, साहित्य एवं संप्रति	
			का सभी को तान होगा एवं उक्त प्रस्ताव ले	

बैठक कार्यवाही रजिस्टर

उमर पंचायत समिति दिण्डोली जिला झुंसी वर्ष 2023-2024

क्र.सं.	पंच / सदस्य का नाम	अस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के ह.
3	4	5	6	7
			<p>बगमा गया कि 18 वर्ष के युवक व युवतियों को गौर देने का उपकार प्राप्त है इनके गौर पंचों को बगमा कि अपने अपने बर्ड में जो भी युवक-युवती 18 वर्ष के हो गये हैं उनका नाम मतदान दफ्तरी से छूटवाने की कृपा करें व अपने बर्ड के हदों से सम्बंध स्थापित करते हुए उनके नाम सुंवावे ताकि आगामी चुनावों में वे भी अपने मतदान का उपयोग कर सकें।</p> <p>इस प्रस्ताव का सर्व सहमति से अनुमोदन किया गया।</p>	
		प्रस्ताव संख्या (16)	<p>ग्राम लम्बा में अनुमति जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पंचायत परिमोपना के बारे में बगमा गया। इस प्रस्ताव को प्रस्ताव :- श्रीमान अधिकाणी अधिनियम 2006 परिमोपना 2005 झुंसी के पत्रांक 405/2008 दिनांक 26/05/2023 एवं कार्यालय के पत्रांक 377 दिनांक 16/06/2023 एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति दिण्डोली के पत्रांक 1454 दिनांक 19/06/2023 एवं स्मरण पत्रांक 1562 दिनांक 20/06/2023 एवं 18/7 दिनांक 01/07/2023 के क्रम में एवं कार्यालय उपसदर अधिकारी दिण्डोली के पत्र क्रमांक 1895-1915 दिनांक 14/08/23 के क्रम में</p> <p>साम वनमाल उमर में वन भूमि 0.0687 हेक्टेयर भूमि के लिए अनुमति जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिनियम की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पंचायत पत्र की आवश्यकता होने पर प्रस्ताव पत्र जारी करने का निर्णय किया जाकर आज दिनांक 14/08/2023 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए वन अधिकार</p>	<p>विमला</p> <p>सुंवावे</p> <p>यशवीर</p>

ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प
(नियम 11 (5) देखें)

संख्या 02

दिनांक: 12/09/2023

कृषि क्षेत्रों में खेती के अर्थ में प्रयुक्त भूमि (न अतिक्रमण के अन्तर्गत) अधिनियम 2006 की धारा (1) में प्रदत्त शर्तों के अनुसार एवं 11 (5) में निर्दिष्ट शर्तों के निर्वाह ग्राम सभा की बैठक की सूची एवं उसमें का अधिनियम अधिनियम द्वारा अधिनियमित, प्रत्येक भूमि पर अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया और प्रस्तावित :-

1. निम्नलिखित भूमि पर अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया और प्रस्तावित :-

(1) निम्नलिखित भूमि पर अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया और प्रस्तावित :-

(2) उपर भूमि पर अधिनियम प्रवर्धित होने के विधि 3: 12 2007 तक लविज है/ नहीं है एवं (3) अपनी अधिनियम की प्रावधानों के अन्तर्गत इस भूमि पर लेपिंग है/ नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा श्री विश्व/पति

श्री श्री/श्री के अन्तर्गत अधिनियम में निम्नानुसार भूमि पर का अधिनियम दिखे जाने का संकल्प पारित किया जाता है: नहीं देखा जाता है।

क्रम क्र. नम्बर	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिनियम की क भूमि का क्षेत्रफल	अधिनियम का प्रकार/कृषि/अवकाश	विशेष विवरण
	2	3	4	5	6
01/न	1711, 1704 1973/1314 1312, 1311, 1310, 1307, + 1314	95 95 59.4	0.0957 हैक्टर	हिंडोली न/न/व/प पंचायत परिभाषित पार्षद लक्षण	जलदायक भूमि PHFD हिंडोली न/न/व/प लाइन परिभाषित न/व/प सन्ततगत न/न/व/प प्रकार पत्र न/न/व/प नवीनतम न/न/व/प न/न/व/प

वेग

विशेष विवरण:- खसरा नं. 1973/1314 निजी शोपनकारी के अन्तर्गत आता है।
खसरा नं. 1312, 1311, 1310, 1307, 1314 मुताबिक है।

अधिकारी

अधिकारी

अधिकारी

बीठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत / उप समिति वीथ (सब.) वर्ष 27

क्र. सं. / दिनांक	श्रेणी का नाम	श्रेणी का नाम	विवरण	किसी से उपस्थित सदस्यों के द्वारा
1	2	3	4	5
			अन्तर्गत FRA युगाण पत्र पीएचडी जाम सभा के समस्त पत्रावली प्रस्तुत की गयी	6
			पर-मसखं-2 - जल जीवन मिशन के अड्डा नल कन्वर्शन प्रकल्प पर चर्चा की गई जिनके अन्तर्गत P.I.E.D. विभाग द्वारा पापेड नालस्थान प्राप्त के सम्बन्ध पर डी नल कन्वर्शन प्रकल्प का प्रमाण पत्र जारी करके का प्रमाण प्राप्त पंचायत द्वारा प्रचारित करा जाई किन्ना पापेडिंग जिल पर-मसखं की गई है प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन करा (दिनांक 20/11/21)	7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				32
				33
				34
				35
				36
				37
				38
				39
				40
				41
				42
				43
				44
				45
				46
				47
				48
				49
				50

किसी से उपस्थित सदस्यों के द्वारा

ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प
(नियम 11 (5) देखें)

प्रस्ताव नं. 05

दिनांक: 21/06/2023

अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में प्रवृत्त शक्तियों के अन्वये एवं 11(5) में विनिर्दिष्ट कार्यों के निर्वाहन ग्राम सभा की बैठक में एवं उसमें वन अधिकार समिति द्वारा अधिस्वीकृत/अस्वीकृत वन भूमि पर अधिभोग के प्रकरणों पर विचार किया और पाया कि -
श्री / श्रीमती हिरोजी / शर्मला परमनल पिता/पति श्री P.H.D. पिनाय हिरोजी
(1) निचे दिये गये विवरण की वन भूमि का 12.12.2006 से पूर्व अधिभोग में ले रखा है/ नहीं ले रखा है (2) स्वतः भूमि पर अधिनियम प्रभावी होने से पूर्व अधि 31.12.2007 तक काबिज है/ नहीं है एवं (3) अपनी जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं को लिए हुए वन भूमि पर कब्जा है/ नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा श्री हिरोजी पिता/पति पिता/पति
ग्राम शेवडा तहसील हिरोजी जिला राजस को उसके अधिभोग में निम्नानुसार भूमि पर वन अधिभोग के आगे आसंकल्प पारित किया जाता है / नहीं किया जाता है।

1. नाम का नाम	2. खसरा नम्बर	3. खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	4. अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	5. अधिभोग का प्रकार/ कुपि/आवास	6. विशेष विवरण
शेवडा	68	0.4047 हे	0.0303 हे	हिरोजी नेमवा	जलपत्र पिनाय
	270	0.5989 हे		पेयनल परिमोनल	P.H.D.
	271	20.3395 हे		पारंपर	हिरोजी नेमवा पारंपर
	3001/69	0.6475 हे			परमनल परिमोनल
		21.9906 हे			अन्यथा P.H.D. अज्ञान-पत्र देवा स्वीकृत किया गया है।
योग					

नोट - 3001/69 क्षेत्रकारी भूमि पर अधिभोग

हस्ताक्षर
...

महिला

...

बैठक कार्यवाही रजिस्टर

(1)

ग्राम पंचायत: डोडा पंचायत समिति: डोडा जिला: डोडा वर्ष 2022-2023

1	2	3	4	5	6
बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	पं. / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के इ.
06/06/2022	आयुक्तिकारी कार्यालय, डोडा	श्री. लक्ष्मी लाल शर्मा (स.पं.)		आज दिनांक 06.06.2022 को आयुक्तिकारी कार्यालय में आयुक्तिकारी, डोडा पंचायत समिति के अध्यक्ष, स.पं. श्री. लक्ष्मी लाल शर्मा की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों का भाग लेना निर्धारित किया गया। उपस्थित सं. 01 :- ग्राम सभा में उपस्थित सरपंच/उपसरपंच एवं अन्य सदस्यों द्वारा उपलब्ध राशि के ग्राम पंचायत डोडा के निम्नांकित गांवों में आंगनवाड़ी/श्री. मांगलकाई खुलवाये गये। वेहु पूजा के आयोजन के लिए ग्राम के लड़कों/लड़कियों का वीकाकरण एवं अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। क्रम 01 आंगनवाड़ी का प्लान गांव उपलब्ध। 01 डोडा - 2 नं. (आंगनवाड़ी) डोडा 02 सारवाही का आंगनवाड़ी (कि.अ.) का आंगनवाड़ी 03 साखियां का आंगनवाड़ी (कि.अ.) का आंगनवाड़ी 04 श्री. का आंगनवाड़ी (कि.अ.) श्री. का आंगनवाड़ी उपस्थित सं. 02 :- आज दिनांक 21.06.2022 को ग्राम सभा में निम्न सुलेखी पत्रों के नवीनीकरण हेतु आगे के कार्य हेतु निर्दिष्ट निर्देशों के अन्तर्गत कार्य नवीनीकरण किया गया। क्रम 01 नदी/रामचन्द्र प्रसाद - डोडा - 488 02 नदी/रामचन्द्र प्रसाद - डोडा - 488	

बैठक कार्यवाही रजिस्टर

5

ग्राम पंचायत: दोहडा पंचायत समिति: दोहडा जिला: बरेilly वर्ष: 2023-2024

बैठक होने का तारीख	बैठक का स्थान	पंच / सचिव का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के ह.
1	2	3	4	5	6
21/05/2023	भारत निवास (परीक्षा) सभा केन्द्र - दोहडा	श्री. वि. प्रसाद (चार्ज फंक्शन)	अमर सिंह वर्मा, जेमरावट नरेश	प्रस्ताव सं०-03 :- आज दिनांक 21/05/2023 को ग्राम पंचायत दोहडा में भारत निवास राक्षस गोपी सभा केन्द्र में ग्राम समिति मुख्यालय (भारत निवास) द्वारा अल्पकालीन गोपी नरेश गोपालाचारी सचिव को-अपना कार्य के कार्य स्वीकार करने का कार्य आदेश पत्र प्रस्तुत किया, जिसे ग्राम समिति द्वारा ध्यानपूर्वक पर प्रत्येक सेक्टर अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव का संकट में उपस्थित सदस्यों द्वारा स्वीकार करने का कार्य सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव को अनुमोदन किया है -	श्री. वि. प्रसाद
				क्र.सं. माधारी का राक	
				01. शिव प्रसाद श्री. राजेश चौरा - ST	गुलश्री शर्मा
				02. बाबू लाल श्री. लाल श्री. लाल - ST	
				03. श्री. भागवत श्री. सिद्ध (RP) - 1787910	
				04. नन्दलाल श्री. रमेश श्री. लाल - ST	
				05. लाल लाल श्री. राम प्रसाद - SC	दीपक लाल
				06. मोहन लाल श्री. भागी श्री. लाल - ST	वी. नि. काम
				07. गोपाल लाल श्री. लाल श्री. लाल - RP	
				अल्पकालीन सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन पत्रों का ग्राम समिति में उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।	अमर सिंह
				प्रस्ताव (4) माण्डिंगाट सं-6-25 की ग्राम समिति में ग्राम पंचायत दोहडा का कार्यवाही अर्थात् 23-24 पैरा किया गया। अर्थात् अनुमोदन पत्रों का प्रस्ताव संकट में अनुमोदन किया गया।	
				प्रस्ताव (5) :- ग्राम पंचायत दोहडा की बैठक ग्राम समिति में आज दिनांक 21/05/2023 को ग्राम पंचायत दोहडा में ग्राम समिति में	श्री. राम लाल

बैठक कार्यवाही रजिस्टर

ग्राम पंचायत: टिन्दा पंचायत समिति: धौली जिला: झुंझार संख्या: 2024

6

बैठक क्रमांक	बैठक का प्रकार	पंच / कार्यवाही का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या																														
0.0303	कार्यवाही	राजेश कुमार		<p>0.0303 बैठक के लिए अनुसूचित जनजाति (अ.म.पु) परामर्शगत वन निवासी (वन अधिकार) नियम की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कार्यालय पंचायत समिति के कार्यालय में 2022-23/1454 क्रि.सं. 106/2023 के आदेशानुसार में आग सगा में आगान्त्य जारी किया है। उल्लेख नमूना गंधा गंधा जिल पर बांधा शिवांग-शिवनी निर्माण कार्य गंधा की विकास समिति के माध्यम से आगान्त्य जारी किया जायेगा। फाई निवासी रूप से जारी रहे। उल्लेख नमूना का आग सगा में उपस्थित सभी सदस्यों ने सभ्यता से सहभागिता कर उल्लेख पाठ्य किण्व आग।</p>	5																														
<p>वन आग गणित</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>संख्या</th> <th>संख्या-ग</th> <th>अधिकार की संख्या</th> <th>कुल संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>68</td> <td>0.4047</td> <td>0.0303</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>270</td> <td>0.5989</td> <td>(नेशन-सिटी)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>271</td> <td>20.3395</td> <td>पंचायत कार्यवाही</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>308/69</td> <td>0.6475</td> <td>संज्ञा-संज्ञा</td> <td></td> </tr> <tr> <td>योग</td> <td>4</td> <td>21.9906</td> <td>0.0303</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						क्र.सं.	संख्या	संख्या-ग	अधिकार की संख्या	कुल संख्या	01	68	0.4047	0.0303		02	270	0.5989	(नेशन-सिटी)		03	271	20.3395	पंचायत कार्यवाही		04	308/69	0.6475	संज्ञा-संज्ञा		योग	4	21.9906	0.0303	
क्र.सं.	संख्या	संख्या-ग	अधिकार की संख्या	कुल संख्या																															
01	68	0.4047	0.0303																																
02	270	0.5989	(नेशन-सिटी)																																
03	271	20.3395	पंचायत कार्यवाही																																
04	308/69	0.6475	संज्ञा-संज्ञा																																
योग	4	21.9906	0.0303																																
<p>प्रकार: 6</p> <p>आज दिनांक 21.06.2023 की माध्यमा में उपस्थित सदस्यों ने सभ्यता कातया कि ग्राम टरडव्या में निर्देशनाली सफाई करवायी जा ताकि कीचड ना फैले। उल्लेख बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।</p>																																			

ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प
(नियम 11 (5) देखें)

प्रस्ताव सं. - 1

दिनांक : 21/6/2023

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में प्रवृत्त शक्तियों के अनुसार एवं 11(5) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वाहन ग्राम सभा की बैठक की गई एवं उसमें वन अधिकार समिति द्वारा अभिस्वीकृत / अस्वीकृत वन भूमि पर अधिभोग के प्रकरणों पर विचार किया और पाया कि -
श्री / श्रीमती हिंडोली - नैनवा पेयजल पर पिता/पति श्री PHED विभाग - हिंडोली
(1) निचे दिये गये विवरण की वन भूमि को 12.12.2005 से पूर्व अधिभोग में ले रहा है/नहीं ले रहा है (2) उक्त भूमि पर अधिनियम प्रभावी होने की तिथि 31.12.2007 तक काबिज है/ नहीं है एवं (3) अपनी जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए इस वन भूमि पर निर्भर है/नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा श्री पिता/पति
ग्राम शुद्धाकोंध तहसील हिंडोली जिला राजस्थान को उसके अधिभोग में निम्नानुसार भूमि पर वन अधिकार दिये जाने का संकल्प पारित किया जाता है / नहीं किया जाता है।

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार/ कृषि/आवास	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
शुद्धाकोंध	1125 1123	10.5774 2.5333	0.1358 हेक्	हिंडोली नैनवा पेयजल परियोजना पार्सि लाईन	अधिशायी अभियंता PHED परियोजना खसरा नं. के पत्रांक 405-408 दिनांक 30.5.12 एवं सीमान उपखण्ड अधिकांश में हिंडोली के पत्रांक 966 दिनांक 16/6/23 की अनुमति में हिंडोली नैनवा पेयजल परियोजना (पार्सि लाईन) के अन्तर्गत PHED पत्रांक नं. स्वीकृत किया गया है।
योग					

हस्ताक्षर सचिव

ग्राम सभा

सरपंच

ग्राम पंचायत

हस्ताक्षर अध्यक्ष ग्राम सभा

बैठक कार्यवाही रजिस्टर

2023-24

-20

क्र.	पंख / सारपंच का नाम	अभिप्रेत सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के ह.
1	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
2	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
3	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
4	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
5	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
6	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
7	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
8	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
9	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
10	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
11	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
12	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
13	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
14	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
15	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
16	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
17	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
18	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
19	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20
20	पंचायत समिति (खोदी)	जिला	खोदी	20

आर्य समाज कोटा

पंचायत समिति (खोदी)

वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति
(नियम 11 (3) देखें)

ग्राम मगरपालिका :- हिन्दोली प्रदायित मगरपालिका दिनांक हिन्दोली

तहसील हिन्दोली जिला बूट्टी

में वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक को दावेदार मगरपालिका - हिन्दोली

के दावे से संबंधित स्थल (वन क्षेत्र) का निरीक्षण किया गया उसका राजस्व अभिलेखों के अनुसार विवरण निम्नानुसार है

स.पा. ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार
1	2	3	4	5
हिन्दोली	1757 1826 1829	16.7378 1.1644 6.1674	0.0173 8.1056	हिन्दोली नैतवी-पेपजल परिभोजना (पाइप-लाइन) के अन्तर्गत F.R.M. प्रभण का देना स्वीकृत किया गया है।
योग				

जिस पर वन अधिकार दिये जाने हेतु वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति जारी की जाती है।

उप. शा. नि. शा. नि.

हस्ताक्षर अधिकारी

अधिसहाय्य अधिकारी
मगरपालिका, हिन्दोली (बूट्टी)

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष

मगरपालिका, हिन्दोली (बूट्टी)

हस्ताक्षर अध्यक्ष

कार्यालय नगर पालिका हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान

कमांक 147

दिनांक 18/9/2023

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वार्ड न० 12 हिण्डोली वन भूमि खसरा सं० 1889,1888 का क्षेत्रफल 0.0056 हैक्टर एवं खसरा सं० 1747 क्षेत्रफल 0.0173 हैक्टर तथा वार्ड नम्बर 20 बालोला वन भूमि खसरा संख्या 5279, 5544, 5775, 5774, 5770, 5766, 5765, 5760, 5758, 5764, 5763, 5762 का क्षेत्रफल 0.3886 है० एवं खसरा संख्या 5770, 5768, 5778, 5759 का क्षेत्रफल 0.0549 हैक्टर के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिनियम की मान्यता) अधिनियम 2006 के अनुमति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने पर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय किया जा कर दिनांक 18.09.2023 को प्रमाण अनुमोदित करते हुए वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के माफत वन भूमि 0.4664 हैक्टर के लिए जलदाय विभाग पी०एच०ई०डी (हिण्डोली -नैनवां पेयजल परियोजना) के पक्ष में प्रमाण पत्र आज दिनांक 18.09.2023 को जारी किया गया ।


अधीक्षक, नगरपालिका, हिण्डोली

अधीक्षक, नगरपालिका, हिण्डोली
नगरपालिका, हिण्डोली


कार्यालय नगर पालिका हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान

क्रमांक 147

दिनांक 18/9/2023

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वार्ड न० 12 हिण्डोली वन भूमि खसरा सं० 1889,1888 का क्षेत्रफल 0.0056 हेक्टर एवं खसरा सं० 1747 क्षेत्रफल 0.0173 हेक्टर तथा वार्ड नम्बर 20 बालोला वन भूमि खसरा संख्या 5279, 5544, 5775, 5774, 5770, 5766, 5765, 5760, 5758, 5764, 5763, 5762 का क्षेत्रफल 0.3886 है० एवं खसरा संख्या 5770, 5768, 5778, 5759 का क्षेत्रफल 0.0549 हैक्टयर के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिनियम की मान्यता) अधिनियम 2006 के अनुमति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने पर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय किया जा कर दिनांक 18.09.2023 को प्रमाण अनुमोदित करते हुए वन अधिकारी की गान्यता अधिनियम 2006 के माफत वन भूमि 0.4664 हेक्टर के लिए जलदाय विभाग पी०एच०ई०डी (हिण्डोली -नैनवां पेयजल परियोजना) के पक्ष में प्रमाण पत्र आज दिनांक 18.09.2023 को जारी किया गया ।



अध्यक्ष

नगरपालिका, हिण्डोली
जिला बून्दी (राजस्थान)

अधिकारी
नगरपालिका, हिण्डोली
जिला बून्दी (राजस्थान)

ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प
(नियम 11 (5) देखें)

प्रस्ताव सं. ०/.....

दिनांक: 21.06.2023

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार एवं 11(5) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वाहन ग्राम सभा की बैठक की गई एवं उसमें वन अधिकार समिति द्वारा अभिस्वीकृत / अस्वीकृत वन भूमि पर अधिभोग के प्रकरणों पर विचार किया और पाया कि :-

श्री / श्रीमती हिण्डोली मेनका देवजाल पिता/पति श्री PHEO जलदाय विभाग
(1) निचे दिये गये विवरण की वन भूमि को 12.12.2005 से पूर्व अधिभोग में ले रहा है/नहीं ले रहा है (2) उक्त भूमि पर अधिनियम प्रभावी होने की तिथि 31.12.2007 तक काबिज है/ नहीं है एवं (3) अपनी जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए इस वन भूमि पर निर्भर है/नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा श्री पिता/पति ग्राम तहसील हिण्डोली जिला बुंदेलखण्ड को उसके अधिभोग में निम्नानुसार भूमि पर वन अधिकार दिये जाने का संकल्प पारित किया जाता है / नहीं किया जाता है।

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार/ कृषि/आवास	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
खसरा	222	1.3436	0.1077 है	हिण्डोली मेनका देवजाल परियोजना पारिप्लाइन	जलदाय विभाग PHEO
	221	2.5657			
	220	4.4030			
	254	0.3561			
	253/337	1.8939			
	258	3.9174			
	255	2.5333			
	253/349	0.5099			
	214	9.0488			
	29	5.2042			
	28	8.5712			
1	7.2185	0.0774			अन्यथा FFA प्रमाण पत्र वना स्वीकृत किया जायेगा
2	4.6620				
बतेरखरा	19	5.0505	0.0226		
योग		52.8216	0.1777		

नोट: उक्त खसरा नं. में से 254, 253/337-वाक सी.पु. (प्रिवायच क्लेप) पर वन अधिकार जलदाय में है।

बदाम
ग्राम पंचायत अधिकारी
हस्ताक्षर सहित
ग्राम पंचायत कार्यालय
प.स. हिण्डोली (बुंदेलखण्ड)

बदाम
ग्राम पंचायत अधिकारी
हस्ताक्षर सहित
ग्राम पंचायत कार्यालय

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत / उप समिति शिवरखरी जिला कुरु (राज.) वर्ष 202

बैठक की तिथि	बैठक का स्थान	अध्यक्ष / सचिव का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उ. सदस्यों के
1. ग. रा. से. 2. रा. गा. से. 3. क-5 4. शिवरखरी 1.6.2023	2. रा. गा. से. 3. क-5 4. शिवरखरी 1.6.2023	3. गिरी जयस लाई	4. उपस्थित सदस्यों के नाम	5. आज दिनांक 21.06.2023 को रा. गा. से. शिवरखरी में श्रीमान विकास अधिकारी महोदय के आदेश क्रमांक प.स.दि/2022-23/7454/डिनाई 19.06.23 की अनुपालना में वनाधिकार के प्रस्ताव का अनुमोदन हेतु ग्राम समाज का आयोजन जान, 11 बजे किया गया। प्रस्तावित ग्राम समाज बैंक में पूर्व की बैंक कार्रवाई का अनुमोदन किया गया। परान्त ग्राम समाज बैंक में कामा. प. रजिस्ट्री के प्रस्ताव प.स.दि/पञ्च/2023/21487 के अन्तर्गत 21.6.23 को अनुपालना में ग्राम समाज बैंक में टा. का फ्री ग्राम कंपनी के संबंध में परचम की गई सिलेब नशी-कां मा. रोकने हेतु कटु शिकायत ग्रामों में प्रकाशित निमंत्रण विषय पर नारा लेकर काम करवाने की बात समझाते ही अनुमोदन किया गया। प्रस्तावित 1. शिवरखरी ग्राम समाज में कार्यवाही के लिए	उपस्थित सदस्यों के

2023/11

श्रीगा. जेवाली मोगीपुरा के P.M.I. Y-6 IP No. 25
 141337860 की मुख्य दिनांक - 12.01.2021 से जाने एवं
 आवास सोफ्ट पर अन्य परिवार के सदस्य का नाम
 नहीं होने के कारण काब्र/नारायण श्रीगा. के
 बेवशान निरस्त कवाने का निर्णय सर्वसम्मति
 से लिया गया।

जान सख्या 2
 रदोपरान्त ग्राम समा में वन अधिकार
 समिति का गठन किया गया जो निम्नानुसार है का
 अनुमोदन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पद
1.	अदाम बाइ	सदस्य अध्यक्ष
2.	अक्षय रघुवीर बाबुलाल	संघिय - अध्यक्ष
3.	पुरुषोत्तम सिंह	सदस्य
4.	गोपाल गुजर	सदस्य
5.	महिमा लाल बेनी	सदस्य
6.	वेदराज श्रीगा.	सदस्य
7.	काली बई गुजर	सदस्य
8.	राजलक्ष्मी वैदिसाहेवर	सदस्य
9.	पद्मलाल बाहर	सदस्य
10.	राजलक्ष्मी बेनी	सदस्य
11.	व्यमराज बेनी	सदस्य

अचलमहेश
 श्रीगा.
 रामकिशन
 पद्मलाल



पद्मलाल

[Handwritten signature/initials]

ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प
(नियम 11 (5) देखें)

प्रस्ताव सं 687

दिनांक: 12/9/23

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में प्रवृत्त शक्तियों के अनुसरण एवं 11(5) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वाहन ग्राम सभा की बैठक की गई एवं उसमें वन अधिकार समिति द्वारा अधिस्वीकृत व अस्वीकृत वन भूमि पर अधिभोग के प्रकरणों पर विचार किया और पाया कि:-

श्री / श्रीमती (होसली) न गता (होसली) पति श्री (होसली) (PHB)
(1) निचे दिये गये विवरण की वन भूमि का 12.12.2005 से पूर्व अधिभोग में ले रहा है/नहीं ले रहा है (2) उक्त भूमि पर अधिनियम प्रभावी होने की तिथि 31.12.2007 तक काबिज है/ नहीं है एवं (3) अपनी जीविका पर वारंवारिक आवश्यकताओं के लिए इस वन भूमि पर निर्भर है/नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा श्री (होसली) पति श्री (होसली) को उक्त अधिभोग में निम्नानुसार भूमि पर वन अधिकार दिये जान का सकल्प पारित किया जाता है / नहीं किया जाता है।

ग्राम का नाम	उक्त नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार/कालावधि	विशेष विवरण
शुभापुरा	531	0.13	0.013	(होसली)	न गता
शुभापुरा	266/530	3.56	0.008	शुभापुरा (होसली)	न गता
शुभापुरा	543/263	0.25	0.02	(शुभापुरा)	न गता
शुभापुरा	266	4.38	0.05	शुभापुरा	न गता

ग्राम में श्री के खसरा 1161/530 अक्षर परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम पर है।
ग्राम में श्री के खसरा संख्या 266 निवासी का एवं खसरा 827/267, 828/268, 829/268 अक्षर परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम पर है।
योग - शुभापुरा के खसरा 530 उपोत्तरी भूमि एवं 543 राजमार्ग निवासी के नाम पर है।

(Signature)
12/9/23

शुभापुरा

बैंक कार्यावाही प्रतिवेदन

विकास योजनाएं मदद, 2011, अक्षांश, 18.27.31, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011

पंचायत समिति

जिला

दिनांक

पृष्ठ संख्या

क्र. सं.	पंच / सचिव का नाम	अवस्थित सदस्यों का नाम	बैंक की नामावली का विवरण	उपस्थित सदस्यों का नाम
3			5.1 श्री प्रभाकर अहिर पंचायत समिति जिला प्रशासन आवास पंचायत समिति आवास पंचायत समिति आवास	
4			5.2 श्री प्रभाकर अहिर पंचायत समिति जिला प्रशासन आवास पंचायत समिति आवास पंचायत समिति आवास	

श्री प्रभाकर अहिर
पंचायत समिति
आवास

श्री प्रभाकर अहिर
पंचायत समिति
आवास

ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ଓ ଠିକଣା
ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରକାର ଓ ପ୍ରକାର
ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରକାର ଓ ପ୍ରକାର
ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରକାର ଓ ପ୍ରକାର

୧୦୫-୧୦୮ (ପ୍ରଥମ ୩୦/୫/୨୦୨୩
ମାସର ପ୍ରଥମ ଅନୁଷ୍ଠାନ)

ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ଓ ଠିକଣା
ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରକାର ଓ ପ୍ରକାର

ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ଓ ଠିକଣା
ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରକାର ଓ ପ୍ରକାର

ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ଓ ଠିକଣା
ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରକାର ଓ ପ୍ରକାର

ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ଓ ଠିକଣା
ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରକାର ଓ ପ୍ରକାର

ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ଓ ଠିକଣା
ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରକାର ଓ ପ୍ରକାର

ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ଓ ଠିକଣା
ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରକାର ଓ ପ୍ରକାର

ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ଓ ଠିକଣା
ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରକାର ଓ ପ୍ରକାର

ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ଓ ଠିକଣା
ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରକାର ଓ ପ୍ରକାର

ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ଓ ଠିକଣା
ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରକାର ଓ ପ୍ରକାର

ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प

(नियम 11 (5) देखें)

प्रस्ताव सं. 01

दिनांक: 21/06/2023

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण एवं 11(5) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वाहन ग्राम सभा की बैठक की गई एवं उसमें वन अधिकार समिति द्वारा अभिस्वीकृत / अस्वीकृत वन भूमि पर अधिभोग के प्रकरणों पर विचार किया और पाया कि :-

श्री / श्रीमती हिण्डोनी नैतन पेरजना पिता/पति श्री P.H.E.D विभाग हिण्डोनी

(1) निचे दिये गये विवरण की वन भूमि को 12.12.2005 से पूर्व अधिभोग में ले रहा है/नहीं ले रहा है (2) उक्त भूमि पर अधिनियम प्रभावी होने की तिथि 31.12.2007 तक काबिज है/ नहीं है एवं (3) अपनी जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए इस वन भूमि पर निर्भर है/नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा श्री पिता/पति ग्राम हिण्डोनी तहसील हिण्डोनी जिला बुन्देलखण्ड को उसके अधिभोग में निम्नानुसार भूमि पर वन अधिकार विये जाने का संकल्प पारित किया जाता है / नहीं किया जाता है।

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार/ कृषि/आवास	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
गुरजनिमा	127	4.2654 हे.	0.091 हे.	मटकमा जंगल	
	128	2.7114 हे.		मटकमा जंगल	
	130	10.6999 हे.		मटकमा जंगल	
	131/255	5.9812 हे.		मटकमा जंगल	
	131	1.8858 हे.		खारीदारी	
<p>Note: उक्त ख.सं. में से ख.सं. 131 खारीदारी में है एवं ख.सं. 127, 128, 130 का विवरण नहीं दिया गया है एवं उक्त ख.सं. में से पेरजना परिषद द्वारा हेतु कितनी लं एवं चौ. शामिल की गई है जोर नहीं दी है प्रत्येक ख.सं. का रकबा ज्ञात नहीं हो सकता है।</p>					
योग					

Jyulday

सुमिता

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर अध्यक्ष ग्राम सभा

बैठक कार्यवाही रजिस्टर

ग्राम पंचायत ओवन

पंचायत समिति हिण्डीनी

जिला बून्दी

वर्ष 2023

बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक तब
1	2	3	4		
11/06/2023	भारत निर्माण रणजीव गांधी सेवा केंद्र ओवन	श्रीमति सुमिता मीणा		आज दिनांक 21/06/2023 की ग्राम पंचायत ओवन पर श्रीमान विकास अधिकारी महोदय पं.सं. हिण्डीनी जिला बून्दी के आदेश क्रमांक प.स.हि/पंचा./2022-23/1454 दिनांक 19/6/23 की अनुपालना में श्रीमति सुमिता मीणा सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस ग्राम सभा में एजेण्डा अनुसार वनाधिकार समिति, प्राण व तम्बाकू निषेधन के प्रावधानों के बारे में चर्चा की जाएगी।	
				ग्राम सभा - ग्राम सभा में गणपूर्ति होने पर ग्राम सभा की कार्यवाही प्रायः ही गर्द सर्वप्रथम पूर्व ही ग्राम सभा को पटक सुनाया व अनुमोदन किया गया।	
		उत्तम कुमार लडा (पटवारी)	FRS (VDO)	प्रस्ताव संख्या 10 -> ग्राम सभा में हिण्डीनी - नैन्वा पेयजल परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि में जो पाइप लाइन निकल रही है। इसमें वनाधिकार अधिनियम 2001 के अन्तर्गत निम्न क्रमांक नं.:	
		सुनील मीणा (सहायक)	A.P.M. आंबेगाव कामरेड	131/255 -> 5.9812 H.	
		देवकी कर्कर	आ.वा. कार्यकर्ता	130 -> 10.6995 H.	
		सीमा कागिड	भा - - - - -	127 -> 4.2254 H.	
		श्यामदेवी	आंबेगाव कार्यकर्ता	128 -> 2.714 H. एवं	
		सुकुमारी शर्मा	सुकुमारी शर्मा (सहायक सदस्य)	131 -> 1.8858 हेक्टेयर	
		सीमा डीकाविया	L.D.C. रजि.	मे पाइप लाइन होकर जमा प्रस्तावित है।	
		भूषण सिंह रामनाथ	वहापक कर्ताल कर्ताल गणा समिति	उक्त भूमि में से क्रमांक नं. 131 -> 1.8858 H. खातेदारी में वास्तव ग्राम गुरुजनिमा खातानं 22 खातेदार	
				नामानिक औसप्रका 3/0 रजि. सरपंच पुष्पा	
				कमलेश पुत्री रणजीत	
				नखानिा हनराज सुत्र रणजीत सफेक पुष्पा	
				धारा पुत्र रामनाथ	
				धारी पुत्री रामनाथ	
				पुष्पा पत्नी रणजीत	
				पान्ची पुत्री रामनाथ	
				रामेश्वर पुत्र रामनाथ	
		आईन रजिस्टर (6/10)			









बैठक कार्यवाही रजिस्टर

ग्राम पंचायत

पंचायत समिति

जिला

वर्ष 20 -20

दिनांक	बैठक का स्थान	पंच / सचिव का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक से उपस्थित सदस्यों के ह
2	3	4	5	6	7
				(3) विमला पुत्री शर्माजी (4) शान्ति पुत्री शर्माजी	
				होने के कारण उक्त सूची को छोड़कर शेष सभी नं. 131/255, 130, 127, 128 की वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत द्वितीय - तृतीय परिश्रम में देने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जाती है।	
				प्रस्ताव सं. 2 - ANM सुशीला मीणा व CHO औवन साहिब जखर ने प्रस्ताव दिया की ग्राम पंचायत को तम्बाकू मुक्त किया जाय साहिब व औवन ग्राम पंचायत के सभी स्कूल, पंचायत, आदि, सरकारी मस्जिदों को	
				भी तम्बाकू मुक्त करने के लिए राष्ण में है। हमारा कौशल ने पंचायत को तम्बाकू मुक्त का संकल्प व शपथ ली तथा सर्वसम्मति से पास किया गया।	हरिओम गुड 
				प्रस्ताव सं. 3 - सचिव साहिब द्वारा ग्राम निवास पर आयोजित ग्राम सभा में प्रस्ताव दिया कि पुरी ग्राम पंचायत में योग का प्रचार-प्रसार करना है तथा योग में ही दिन की व्युत्पन्न करनी है। तथा सभी स्कूलों में बच्चों को भी योग की जपकृता जतानी है व योग शिक्षा देनी है, तथा बच्चों में भी योग करवाकर अपने परिवार में उसका प्रसार करना है जिसका अनुमोदन कौशल द्वारा किया गया व प्रस्ताव पारित किया गया।	 
				प्रस्ताव सं. 4 - सचिव साहिब द्वारा प्रस्ताव दिया कि ग्राम औवन में कंगरा संरक्षण केन्द्र निर्माण टलका परवारी द्वारा बनाए अनुयाय ग्राम औवन के प्रसारण में आवंटित भूमि रूकता में किया जाया है। अतः उक्त कार्य की स्वीकृति करवाने हेतु नियमानुसार FFC	 

ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प
(नियम 11 (5) देखें)

प्रस्ताव सं 09

दिनांक: 21.6.2023

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण एवं 11(5) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वाहन ग्राम सभा की बैठक की गई एवं उसमें वन अधिकार समिति द्वारा अभिस्वीकृत / अस्वीकृत वन भूमि पर अधिभोग के प्रकारों पर विचार किया और पाया कि :-

श्री / श्रीमती जलहास विभाग PHED हिरण्ड (पिता/पति श्री)

(1) निचे दिये गये विवरण की वन भूमि को 12.12.2005 से पूर्व अधिभोग में ले रहा है/नहीं ले रहा है (2) उक्त भूमि पर अधिनियम प्रभावी होने की तिथि 31.12.2007 तक काबिज है/ नहीं है एवं (3) अपनी जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए इस वन भूमि पर निर्भर है/नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा श्री पिता/पति
ग्राम (31.12.2007) तहसील (31.12.2007) जिला (31.12.2007) को उसके अधिभोग में निम्नानुसार भूमि पर वन अधिकार दिये जाने का संकल्प पारित किया जाता है / नहीं किया जाता है।

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार/ कृषि/आवास	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
जलहास	94	12.7152	0.0357	हिरण्ड (पिता/पति श्री)	वन भूमि पर अधिभोग
जलहास	1406/37	0.1052		हिरण्ड (पिता/पति श्री)	वन भूमि पर अधिभोग
जलहास	547	2.1438	0.1104	हिरण्ड (पिता/पति श्री)	वन भूमि पर अधिभोग
जलहास	467	1.7500		हिरण्ड (पिता/पति श्री)	वन भूमि पर अधिभोग
जलहास	800	7.2014		हिरण्ड (पिता/पति श्री)	वन भूमि पर अधिभोग
जलहास	94/1196	0.5585	0.0294	हिरण्ड (पिता/पति श्री)	वन भूमि पर अधिभोग
जलहास	1367/34	0.5423		हिरण्ड (पिता/पति श्री)	वन भूमि पर अधिभोग
जलहास	809	7.1586	0.0512	हिरण्ड (पिता/पति श्री)	वन भूमि पर अधिभोग
जलहास	1367/34	0.5423		हिरण्ड (पिता/पति श्री)	वन भूमि पर अधिभोग
जलहास	809	7.1586	0.0512	हिरण्ड (पिता/पति श्री)	वन भूमि पर अधिभोग
जलहास	809	7.1586	0.0512	हिरण्ड (पिता/पति श्री)	वन भूमि पर अधिभोग
योग					

**ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प
(नियम 11 (5) देखें)**

संख्या: 02

दिनांक: 10/8/23

कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने (न अतिक्रम की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में प्रायः अधिनियम के अनुसार एवं 11 (5) में निर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वाह ग्राम समिति की बैठक की गई एवं उसमें वन अधिकारी एवं अन्य अधिकारी/अधिकारी की मूले पर अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया और यह कि :-

श्री/श्रीमती (1005) श्री. अशोक कुमार शिवा/पति श्री. P.H.E.D

(1) निम्न क्षेत्र में स्थित क्षेत्रों को वन भूमि के 12.12.2005 के पूर्व अधिनियम में ले रखा है/नहीं ले रखा है (2) उक्त भूमि पर अधिनियम प्रकृति होने की तिथि 31.12.2007 तक अधिनियम है/ नहीं है एवं (3) अपने अधिनियम की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उक्त भूमि का निर्माण है/ नहीं है। उक्त ग्राम समिति द्वारा श्री P.H.E.D शिवा/पति श्री. अशोक कुमार शिवा के उक्त अधिनियम में निम्नानुसार भूमि पर कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने/ नहीं देने का फैसला है।

क्र.सं.	उत्पन्न नं.	उत्पन्न नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिनियम की कृषि का क्षेत्रफल	अधिनियम का प्रकार/कृषि/उत्पन्न	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
9000	1222	3.0109	0.0270	अतिक्रम	
	572	1.0603			
	513	0.1376			
	511	0.5700			
	511	0.0911			
	300	0.2340			
	280	0.1280	0.235		
	280	0.1451			
	280	0.2340			
	280	0.1451			

कुल: 1222 उत्पन्न नं. का कुल क्षेत्रफल 3.0109 अतिक्रम 0.0270

**ग्राम पंचायत द्वारा याचिका संकल्प
(नियम 11 (5) देखें)**

क्रमांक 82

दिनांक: 10/8/21

कृषि क्षेत्रों में अन्य पंचायतों का निष्पक्ष (न अतिक्रम) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में प्रायः संशोधन के अनुसार एवं 11 (5) में निर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वाह ग्राम पंचायत की बैठक की गई एवं उसमें वन अधिकार क्षेत्रों का अतिक्रमण / अतिक्रमण भूमि पर अधिभोग के प्रस्तावों पर विचार किया और पाया कि :-

श्री / श्रीमती _____ पति/पति श्री _____

(1) निचे दिये गये विवरण की वन भूमि को 2.12.2005 से पूर्व अधिभोग में ले रखे/नहीं ले रखे है (2) उक्त भूमि पर अधिभोग प्रस्तावों को दिनांक 31.12.2007 तक कबिज है/ नहीं है एवं (3) अपनी जमीन की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उक्त भूमि का निर्माण है/ नहीं है। उक्त ग्राम पंचायत श्री _____ पति/पति

ग्राम _____ तहसील _____ जिला _____ को उक्त अधिभोग में निम्नानुसार भूमि पर क. अधिकार देने जाने का संकल्प फलित किया जा रहा है/ नहीं किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत	हस्तास नम्बर	उत्पत्ति नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार/कृषि/कृषक	विशेष विवरण	
1	2	3	4	5	6	
श्री (5) श्री (5)	423	4.2006	0.253	वन अधिभोग		
	434	1.6466				
	435	0.4209				
	436	1.882				
	437	1.8880				
	438	10.2709				
	439	5.1638				
	440	4.7510				
	441	0.2933				
	442	7.7411				

हस्ताक्षर अध्यक्ष

हस्ताक्षर अध्यक्ष ग्राम पंचायत

**ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प
(नियम 11 (5) देखें)**

संख्या: 82

दिनांक: 15/8/23

कृषि क्षेत्रों में कृषि पंचायत का नियंत्रण (न अतिक्रमण को मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 11 (5) में विनिर्दिष्ट कार्यओं के निर्वाह ग्राम पंचायत की बैठक की गई एवं उक्तमें का अधिकार को छोड़ें हुए अधिनियम / अधिनियम का मूनी पर अधिनियम के प्रभाव पर विचार किया और पाया कि :-

श्री / श्रीमती _____ पति/पति श्री _____

(1) निम्न स्थिति में कृषि क्षेत्रों की मूनी को 2.12.2005 से पूर्व अधिनियम में ले रहा है/नहीं ले रहा है (2) उक्त मूनी पर अधिनियम प्रभाव होने की तिथि 31.12.2007 तक कबिद है/ नहीं है एवं (3) उक्त अधिनियम की कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए उक्त मूनी को निर्धारित है/ नहीं है। उक्त ग्राम पंचायत श्री _____ पति/पति

ग्राम _____ जिला _____ को उक्त अधिनियम में निम्नानुसार मूनी पर कृषि अधिकार विधे करने का संकल्प पारित किया जाता है / नहीं किया जाता है।

क्र.सं.	उक्त नंबर	उक्त नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिनियम की मूनी का क्षेत्रफल	अधिनियम का प्रकार/वृत्ति/अवस्था	विशेष विवरण	
1	2	3	4	5	6	
अनाम	1512	3.8764	0.0389	अनाम (असि)		
	1428	5.1486				
	1440	7.9093				
	1061	4.7995				
	1359	7.1629				
	1258	4.2816				
	2251/184	8.1216				
	1895	5.0505				
	1843	0.5908				
	1188	0.141				
	117	0.130				
	111	0.118				
	110	0.109				

हस्ताक्षर _____

हस्ताक्षर अध्यक्ष ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत द्वारा पास्ति संकल्प
(नियम 11 (5) देखें)

क्रमांक: 02

दिनांक: 15/8/23

कुतूबत कानूनी एवं अन्य कानूनकार का निष्पक्षी (न अधिकांशों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार एवं 11 (5) में विनिर्दिष्ट शर्तों के निर्वाह ग्राम सभा की बैठक की गई एवं उसमें वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत / अन्तर्गत की भूमि पर अधिनियम के प्रवर्तन पर विचार किया और पाया कि :-

श्री/श्रीमती _____ पति/पति श्री _____
(1) नदी किनारे की भूमि को 12.12.2005 से पूर्व अधिनियम में ले रखा है/नहीं ले रखा है (2) उक्त भूमि पर अधिनियम प्रवर्तन के तहत की शर्तें 31.12.2007 तक कबिज है/ नहीं है एवं (3) अपनी अधिनियम की वास्तविक आवश्यकताओं के अन्तर्गत की भूमि का निर्माण है/ नहीं है। उक्त ग्राम सभा द्वारा श्री _____ पति/पति _____ के उक्त अधिनियम में निम्नानुसार भूमि पर का अधिनियम दिखे जाने का संकल्प प्रकृत किया जाता है/ नहीं किया जाता है।

क्रमांक	उक्त नंबर	उत्पत्ति नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिनियम की भूमि का क्षेत्रफल	अधिनियम का प्रकार/ भूमि/उत्पत्ति	विशेष विवरण
	2	3	4	5	6
	2257/1901	2.4686		वन अधिनियम 1957	
	1901	7.2843		निवासीय भू	
	1905	7.1953		वैयक्तिक	
	3	0.2401			
	1177	1.5734			
	1179	0.8317			
	1181	2.6452			
	1182	5.2933			
	1183	7.0711			
	1184	2.114			
		7.57			
		0.1133			
		0			

**ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प
(नियम 11 (5) देखें)**

तारीख: 02

दिनांक: 15/8/23

अनुसूचित जातों एवं अन्य पिछड़े वर्गों की निरक्षरता (या अधिवासों की मांग) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में उक्त संशोधनों के अनुसार नियम 11(5) में विनिर्दिष्ट संख्या के निर्वाह ग्राम समिति की बैठक की गई एवं उसमें वन अधिकार समिति द्वारा अनिश्चित/असंगत वन भूमि पर अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया और पता कि -

श्री/श्रीमती _____ निवा/पति श्री _____

(1) वे अपने संबंधित वन भूमि को 12.12.2005 से पूर्व अधिनियम में ले रहा है/नहीं ले रहा है (2) उक्त भूमि पर अधिनियम प्रमाणों को वे दिनांक 31.12.2007 तक उपलब्ध है/ नहीं है एवं (3) अपनी अधिवास की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उक्त वन भूमि निर्वाह है/ नहीं है। अब ग्राम समिति द्वारा श्री _____ निवा/पति

श्री _____ निवा/पति _____ को उक्त अधिनियम में निम्नानुसार भूमि पर वन अधिनियम दिनों के अंतर्गत पारित किया जा रहा है/ नहीं किया जा रहा है।

क्र.सं.	उत्तर नंबर	उत्तर नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिनियम की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिनियम का प्रकार/ भूमि/अवस्था	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
	045	5.4147	0.42085	—	
	044	4.4839		—	
	049	5.4952		श्री वा.प.प.क.	
	0613	0.5747		24/12/0.136	

**ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प
(निष्पत्ति 11 (5) देखें)**

दिनांक: 15/8/2023

तारीख: _____

ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत का निष्पत्ति (का अधिसूचना की माध्यम) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार एवं (5) में निर्दिष्ट कार्य के निर्वाह ग्राम समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एवं अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूचना, अधिसूचना की मूनी पर अधिसूचना के प्रकाशित पर देखकर किए और फल कि :-

श्री/श्रीमती हिरोली जी. पी. पी. पी. द्वारा/द्वारा PHED
 (1) वेदों कि वह निष्पत्ति की वन मूनी को 12.12.2005 से पूर्व अधिसूचना में ले रख है नहीं ले रहा है (2) क्या मूनी पर अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक 31.12.2007 तक अधिसूचना है नहीं है एवं (3) अपने अधिसूचना की वार्षिक आवश्यकताओं के लिए ग्राम समिति पर निर्भर है नहीं है। उक्त ग्राम समिति श्री PHED पित्त मती
 श्री अशोक द्वारा/द्वारा हिरोली जी. पी. पी. पी. द्वारा/द्वारा PHED को उनके अधिसूचना में निष्पत्ति का निष्पत्ति पर ले रख है।

क्र.सं.	उत्तर नंबर	उत्तर में ज. कुल संख्या	अधिसूचना की व. मूनी का संख्या	अधिसूचना का प्रकार एवं प्रकार	विशेष विवरण
1	2130	04128		अधिसूचना	
2	2130	1336		अधिसूचना	
3	2130	010772		अधिसूचना (29/12/07)	
4	2130	06477		अधिसूचना	
5	2130	01624		अधिसूचना	
6	2130	06880		अधिसूचना	
7	2130	71508		अधिसूचना (29/12/07)	
8	2130	03561		अधिसूचना	
9	2130	61998		अधिसूचना (29/12/07)	
10	2130	80200		अधिसूचना	
11	2130	61998		अधिसूचना	
12	2130	80200		अधिसूचना	
13	2130	80200		अधिसूचना	
14	2130	80200		अधिसूचना	
15	2130	80200		अधिसूचना	
16	2130	80200		अधिसूचना	
17	2130	80200		अधिसूचना	
18	2130	80200		अधिसूचना	
19	2130	80200		अधिसूचना	
20	2130	80200		अधिसूचना	

द्वारा _____

कार्यालय ग्राम पचायत खीण्या प.स. हिण्डोली बून्दी

२५-१

दिनांक - 15/08/2023

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्रा. प. खीण्या की ग्राम सभा बैठक व वनअधिकारी समिति बैठक दिनांक 15/08/2023 को ग्रा.प. खीण्या पर हुई थी उक्त बैठक में प्रस्ताव स. 05 के अनुसार ग्रा0प0 खीण्या में वन भूमि ~~0.2500 हे.~~ के लिए अनुसूचित जन जाति ओर अन्य परम्परागत वन विभाग वन अधिनियम की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने पर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया जाकर दिनांक 15/08/2023 को ग्राम सभा में बैठक दिनांक 15/08/2023 के प्रस्ताव स. 5 के अनुसार सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि ~~0.2500 हे.~~ के लिए जलदाय विभाग phed (हिण्डोली नैनवा पेयजल पाईप लाईन) के पक्ष से यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 15/08/2023 को जारी किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 15/08/2023 को मेरे हस्ताक्षर से ग्राम पचायत द्वारा जारी किया जाता है।

प्रमाणित

15/08/2023

ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प

दिनांक 21/04/2022

क्रमांक 02

दिनांक: 21/04/2022

कृषकों को लाभान्वित एवं उनके सम्पत्तिक वन निष्पत्ती (सकल क्षेत्रों को सम्पत्त) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में
 उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत एवं (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत की बैठक को सूई एवं उत्तम वन अधिकार
 समितियों को अधिकार है। (क्योंकि वन-पूने पर अधिनियम के अन्तर्गत न केवल किंचित और न्यून है -
 वं क्षेत्रों किष्वाली प्रस्ताव पंचायत 9 क्षेत्रों की PHED किष्वाली किष्वाली
 क्षेत्रों को सम्पत्त को वन पूने का प्राधिकारण) व वन अधिनियम में उक्त है नही ले रहा है (2) उक्त धूमि पर
 अधिनियम प्रमाणों को वन अधिनियम 2007 तक का विवरण है। नही है एवं (3) अपनी अधिनियम की वास्तविक आवश्यकताओं
 व न केवल वन अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं है। उक्त अधिनियम वन क्षेत्र
 व क्षेत्रों किष्वाली प्रस्ताव पंचायत 9 क्षेत्रों की PHED किष्वाली किष्वाली
 क्षेत्रों को सम्पत्त को वन पूने का प्राधिकारण) व वन अधिनियम में उक्त है नही ले रहा है (2) उक्त धूमि पर
 अधिनियम प्रमाणों को वन अधिनियम 2007 तक का विवरण है। नही है एवं (3) अपनी अधिनियम की वास्तविक आवश्यकताओं
 व न केवल वन अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं है। उक्त अधिनियम वन क्षेत्र
 व क्षेत्रों किष्वाली प्रस्ताव पंचायत 9 क्षेत्रों की PHED किष्वाली किष्वाली

क्रमांक	उत्तर नंबर	उत्तर नं. का कुल संख्या	अधिनियम की धारा नं. का संख्या	अधिनियम का अन्त कृषि अधिनियम	विशेष विवरण
90	1700	10.8880	0	किष्वाली प्रस्ताव	अल्लय किष्वाली
श्रीनाथा	1342	0.8498	0.8498	पंचायत प्राधिकार	PHED किष्वाली
	1343	2.0158	0	प्रस्ताव	नम्ब्रा पार्षद कार्य प्राधिकारण 9 अधिनियम FRA प्रमाण पत्र प्रस्ताव रजिस्ट्रार किष्वाली गया

शामा

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिनियम)

अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012

ग्रामसभा के निर्णय व सामुहिक वन अधिकार बाबत प्रस्ताव क्रमांक 06/21.06.2023.....

'सामुहिक वन अधिकार' दावे के संदर्भ में आयोजित ग्रामसभा आज दिनांक 06/06/2023.....

को अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 व

2008 में स्थापित वन अधिकार समिति ग्राम पणारा, मालिह की प्रस्ताव को नियम व शर्तों के अनुसार ग्राम

पणारा, मालिह की प्रस्ताव तहसील तहसील जिला में

'सामुहिक वन अधिकार' के दावे के संदर्भ में की गई अनुशंसा पर ग्रामसभा के प्रस्ताव / निर्णय को पारित

करने हेतु सभा आयोजित की गई। इस सभा में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :-

1. सर्व प्रथम ग्रामसभा हेतु आवश्यक सदस्यों की (कोरम) उपस्थिति की पुष्टि की गई।

इस सभा में कुल 1925..... ग्रामीणों में से आज 293..... संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे, जिसमें से कोरम की पूर्ति होती है।

2. वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा, निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त दावे के संदर्भ में ग्राम सभा को निर्णय लेने में उक्त सुविधा हो इस उद्देश्य से सर्व प्रथम वन अधिकार समिति के सचिव सतार सिंह द्वारा सभा के प्रारंभ में ही 'अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिनियम) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की विस्तृत जानकारी समस्त उपस्थित सदस्यों को दी गई।

4. वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किये हुए 'सामुहिक वन अधिकार' के दावों की जांच उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत 11(2)(पांच) में उल्लेखित नियमानुसार की गई है। इस संबंध में सभी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/निर्णय निम्नानुसार है:

(अ) प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 1 निर्णय क्रमांक 06/21.06.2023

अध्यक्ष
सचिव

अध्यक्ष
सचिव

बैठक कार्यवाही रजिस्टर

(10)

गाव पंचायत : पणवत पंचायत समिती (ह.प.स.) जी जिल्हा : पुणे दि. 20/06/2024

बैठक होणे की तारीख	बैठक का स्थान	चक्र / संचालक का नाम	अभियंता सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम
20/06/24	लगेड वडी ल्हावेर पणवत			<p>प्रस्ताव सं. 4 आज दिनांक 20/06/2024 को ग्राम सभा में सभा सदस्यों की उपस्थिति में ग्राम पंचायत क्षेत्र में निम्न प्रकार की कार्यवाही की जाये -</p> <p>1) नवीन ड्राइंग के लिए रामलाल / शशी पुण्डरीक अडेरे पास कोटी पर - दुपाखिया</p>	<p>शशी</p> <p>रामलाल</p>
				<p>प्रस्ताव सं. 5 आज दिनांक 20/06/2024 को ग्राम पंचायत पणवत की कार्यवाही के लिए 20/06/24 - 25 को ग्राम सभा में ग्राम सभा के सभी सदस्यों की उपस्थिति में ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार 13190666 को अनुमति दी जायेगी।</p>	<p>शशी</p> <p>रामलाल</p>
				<p>प्रस्ताव सं. 6 ग्राम पणवत पणवत के क्षेत्र में ग्राम सभा में आज दिनांक 20.06.2024 को ग्राम पणवत पणवत में ग्राम पणवत, व मासिकी को शोधना में वन क्षेत्र 0.0688 हे.प. 0.1066 हे.प. के लिए अनुमति जनपद पर अनुमति परम्परागत वन विभाग तब अधिनियम के माध्यम से उपस्थित 2022-23/2024 दिनांक 19.06.2023 की अनुमति में ग्राम सभा में आवेदन पत्र जारी करने हेतु प्रस्ताव रखा गया दिनांक 20/06/24 को निर्णय किया गया कि दिनांक 20/06/24 को निर्णय पर निर्णय हेतु आवश्यक कग्रा के प्रस्ताव पर जारी किया जावे ताकि अर्ज निर्वाह में जारी रहे।</p> <p>उक्त प्रस्ताव को ग्राम सभा में उपस्थित शशी / रमलाल ने सर्व सदस्यों से अनुमति पर प्रस्ताव परित किया गया तब शशी का निर्णय किया गया। क्रम संख्या 2024/2024 ग्राम आवेदन वी.क.अ. के लिए 1 410,431,7487 पणवत 0.0688 हे.प. 2 435,426,424 ग्र. की अडेरे 0.1066 311/424, 426 407</p>	<p>शशी</p> <p>रामलाल</p> <p>शशी</p>

प्रस्ताव को सर्व-सदस्यों से अनुमति मिली।

**ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प
(नियम 11 (5) देखें)**

प्रस्ताव सं. 07

दिनांक: 21/6/23

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार एवं 11(5) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वाहन ग्राम सभा की बैठक की गई एवं उसमें वन अधिकार समिति द्वारा अस्वीकृत / अस्वीकृत वन भूमि पर अधिभोग के प्रकरणों पर विचार किया और पाया कि:-

श्री / श्रीमती हिरोजी नारायण पिता/पति श्री PHEO, जयपुर

(1) निचे दिये गये विवरण की वन भूमि को 12.12.2005 से पूर्व अधिभोग में ले रखा है/नहीं ले रखा है (2) उक्त भूमि पर अधिनियम प्रभावी होने की तिथि 31.12.2007 तक काबिज है/ नहीं है एवं (3) अपनी जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए इस वन भूमि पर निर्भर है/नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा श्री हिरोजी नारायण पिता/पति हिरोजी नारायण ग्राम हिरोजी नारायण तहसील हिरोजी नारायण जिला डूंगरपुर को उसके अधिभोग में निम्नानुसार भूमि पर वन अधिकार दिये जाने का संकल्प पारित किया जाता है / नहीं किया जाता है।

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार/ कृषि/आवास	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
हिरोजी नारायण	1119	1.8211 हे०	0.0019 हे०	हिरोजी नारायण जयपुर पौरपाषाण वास्तविक	जयपुर पौरपाषाण PHEO सच हिरोजी नारायण जयपुर पौरपाषाण कृषि FRN जयपुर पौरपाषाण वास्तविक गण
योग					

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर अध्यक्ष ग्राम सभा

संघक की कार्यवाहियों का सारिपट्ट

संघक का नाम: सहकारी संघक का स्थान: सहकारी जिला: सहकारी (सं.सं.) सं.सं.

क्र.सं.	संघक का स्थान	संघक का नाम	संघक का स्थान	संघक में की गई कार्यवाहियाँ	सं.सं.
1	सहकारी	सहकारी	सहकारी	<p>प्रस्ताव 3 सहकारी संघक के अध्यक्ष द्वारा संघक के कार्यवाहियों के बारे में वर्ष 2023 के लिए कार्यवाही के लिए प्रस्तावित किया गया है। संघक के अध्यक्ष द्वारा संघक के कार्यवाहियों के लिए प्रस्तावित किया गया है। संघक के अध्यक्ष द्वारा संघक के कार्यवाहियों के लिए प्रस्तावित किया गया है। संघक के अध्यक्ष द्वारा संघक के कार्यवाहियों के लिए प्रस्तावित किया गया है।</p>	
2	सहकारी	सहकारी	सहकारी	<p>प्रस्ताव 4 संघक के अध्यक्ष द्वारा संघक के कार्यवाहियों के लिए प्रस्तावित किया गया है। संघक के अध्यक्ष द्वारा संघक के कार्यवाहियों के लिए प्रस्तावित किया गया है। संघक के अध्यक्ष द्वारा संघक के कार्यवाहियों के लिए प्रस्तावित किया गया है। संघक के अध्यक्ष द्वारा संघक के कार्यवाहियों के लिए प्रस्तावित किया गया है।</p>	
3	सहकारी	सहकारी	सहकारी	<p>प्रस्ताव 5 संघक के अध्यक्ष द्वारा संघक के कार्यवाहियों के लिए प्रस्तावित किया गया है। संघक के अध्यक्ष द्वारा संघक के कार्यवाहियों के लिए प्रस्तावित किया गया है। संघक के अध्यक्ष द्वारा संघक के कार्यवाहियों के लिए प्रस्तावित किया गया है। संघक के अध्यक्ष द्वारा संघक के कार्यवाहियों के लिए प्रस्तावित किया गया है।</p>	

कार्यालय नगर पालिका मण्डल देई जिला बून्दी (राज0)

E-mail id -

कमांक /न.पा.दे./2023-24/

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि वार्ड न0 2 देई वन भूमि खसरा सं0 2493,2500 व 2501 का क्षेत्रफल 0.0127 हैक्टर एवं वार्ड न0 19 देई खसरा सं0 2556,2557 / 1,2557,2558,2415 / 4602,2708 व 100 का क्षेत्रफल 0.1186 हेक्टर के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिनियम की मान्यता) अधिनियम 2006 के अनुमति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने पर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय किया जा कर दिनांक को प्रमाण अनुमोदित करते हुए वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के माफत वन भूमि कुल क्षेत्रफल 0.0127 हेक्टर व 0.1186 हैक्टर के लिए जलदाय विभाग पी0एच0ई0डी (हिण्डोली -नैनवां पेयजल परियोजना) के पक्ष में प्रमाण पत्र आज दिनांक को जारी किया गया ।

अध्यक्ष
नगर पालिका देई
जिला बून्दी

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका देई
जिला बून्दी

परवारी
20/09/2023

अधिशाषी
15/9 नं.

15/09/2023

15/09/2023

39

कार्यालय नगर पालिका मण्डल देई जिला बून्दी (राज0)

E-mail id -

क्रमांक /न.पा.दे./2023-24/

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि वार्ड न0 .१... देई वन भूमि खसरा सं0 2493,2500 व 2501 का क्षेत्रफल 0.0127 हैक्टर एवं वार्ड न0 ..1.2. देई खसरा सं0 2556,2557 / 1,2557,2558,2415 / 4602,2708 व 100 का क्षेत्रफल 0.1186 हेक्टर के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिनियम की मान्यता) अधिनियम 2006 के अनुमति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने पर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय किया जा कर दिनांक को प्रमाण अनुमोदित करते हुए वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के माफत वन भूमि कुल क्षेत्रफल 0.0127 हेक्टर व 0.1186 हैक्टर के लिए जलदाय विभाग पी0एच0ई0डी (हिण्डोली -नैनवां पेयजल परियोजना) के पक्ष में प्रमाण पत्र आज दिनांक को जारी किया गया ।



अध्यक्ष
नगर पालिका देई
जिला बून्दी (राज0)

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका देई
जिला बून्दी

9/11
नगर पालिका देई
जिला बून्दी (राज0)
2023-24

अधीशाषी अधिकारी
नगर पालिका देई
जिला बून्दी

वन अधिकार समिति की अभिलेखीकृति
(नियम 11 (3) देखें)

19

दिनांक 15.08.23

ग्राम कालानला पंचायत मरा

तहसील नैनवा जिला बूंदी

में वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 15.08.23 को दावेदार ग्राम कालानला

के दावे से संबंधित स्थल (वन क्षेत्र) का निरीक्षण किया गया उसका राजस्व अभिलेखों के अनुसार विवरण निम्नानुसार है

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार
1	2	3	4	5
कालानला	45	1.2924	0.1812	दिण्डोली-नैनवा पेयजल परियोजना (पार्श्वलाइन) के अन्तर्गत FRA प्रमाण पत्र देना स्वीकृत किया गया है
कालानला	688/45	1.1326		
	691/45	0.8090		
	43	2.4675		
	665/26	0.8090		
	16	13.6397		
	15	10.3552		
	9	7.5156		
	11	1.0679		
		8.4221		

ग्राम

जिस पर वन अधिकार दिए जाने हेतु वन अधिकार समिति की अभिलेखीकृति जारी की जाती है

[Signature]

महिला

निर्देशक

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

क्र. 043-24

जिला

वर्ष 2023

शुक्रवार 24/08/23

वर्क का नाम	आयोजक या अध्यक्ष का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	वैठक में की गई कार्यवाहियाँ
राजिवरुंधी सेव केंद्र अखंड	श्रीमती बिना बाई मीणा	श्रीमती बिना बाई मीणा	श्रीमती बिना बाई मीणा के अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। 1. (34) सि/वि/सी/लोक कला डाई/प्रो. आजना/83/जमंड/किशनपुर/8/23 एवं कुमालपुर पंचायत आदि नि/नौगो/8/23 एवं कुमालपुर पंचायत आदि नि/नौगो/8/23 के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया। 2. श्रीमती बिना बाई मीणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। 3. श्रीमती बिना बाई मीणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया।
			प्रस्ताव-01 श्रीमती बिना बाई मीणा के द्वारा उपस्थित सदस्यों के द्वारा अंशदान के लिए प्रस्तावित किया गया। उपस्थित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अंशदान दिया गया।
			प्रस्ताव-02

श्री अशुभा कनिका

उत्पत्ति - 02

ग्राम जमा में लक्ष्मी को आसोदीन नमउ के बाद
में सेवगत करमा गया। तथा राम जमा में
दुख के उपयोक्त लय करी से। सोने वाली जमलाको
दुबारा में सेवगत करमा गया।

सन् 1903 राम जमा में उप सुदरयो देवीय प्रस्थाप रखा
की अनुसूचित जनजाति और अन्य पदमरागत वन
निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम के अन्तर्गत
वनाधिकार प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए ग्राम सचिव
खलरा लक्ष्मी

द्वैतयद अमि वन क्षेत्र से पाईपलाइन दिखने
नैनवा वार्ड सप्लाई प्रोजेक्ट दिखी कु बु-डी काम-पम्बल-
मिलवारा WSP (फेज-1) अजल्लान के लिए प्रोसेस
करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा
वन अधिकार समिति के साइको द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव
का प्रस्ताव समिति में प्रेषित किया गया।
यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति
से पारित किया गया।

आतिका

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिनियम)

अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012

ग्रामसभा के निर्णय व सामूहिक वन अधिकार बाबत प्रस्ताव क्रमांक 53, 15.8.2023

"सामूहिक वन अधिकार" दावे के संदर्भ में आयोजित ग्रामसभा आज दिनांक 15.8.2023

को अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 व 2008 में स्थापित वन अधिकार समिति ग्राम पंजाब की नियम व शर्तों के अनुसार ग्राम

..... तहसील जिला में

"सामूहिक वन अधिकार" के दावे के संदर्भ में की गई अनुशंसा पर ग्रामसभा के प्रस्ताव / निर्णय को पारित करने हेतु सभा आयोजित की गई। इस सभा में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :-

1. सर्व प्रथम ग्रामसभा हेतु आवश्यक सदस्यों की (कोरम) उपस्थिति की पुष्टि की गई।

इस सभा में कुल ग्राहीणों में से आज संख्या में ग्राहीण उपस्थित थे, जिसने से कोरम को पूर्ति होती है।

2. वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा, निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त दावे के संदर्भ में ग्राम सभा को निर्णय लेने में उक्त सुविधा या इस उद्देश्य से सर्व प्रथम वन अधिकार समिति के सचिव द्वारा सभा के प्रारंभ में ही "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिनियम) अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की विस्तृत जानकारी समस्त उपस्थित सदस्यों को दी गई।

4. वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किये हुए "सामूहिक वन अधिकार" के दावे को जांच उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत 11(2)(पांच) में उल्लिखित नियमानुसार की गई है। इस संबंध में सभा सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/निर्णय निम्नानुसार है।

अ. प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 1 निर्णय क्रमांक

(ब) दावे का स्वरूप :-

अधिकार का प्रकार	कम्पार्टमेंट / सर्वे नं.	क्षेत्र	प्रमाण (मात्रा)
<ul style="list-style-type: none"> ● निस्तार जैसे अधिकार 3(1)(ख) ● लघु वनोत्पादन का अधिकार 3(1) ● जन सम्पत्ति ● चराई (पूर्ण विवरण सहित) ● जैविक विविधता, बौद्धिक सम्पत्ति व पारंपरिक ज्ञान ● धार्मिक स्थल ● अन्य पारंपरिक वन अधिकार ● निरंतर उपयोग वन अधिकार। ● निरंतर उपयोग में आने वाले पारंपरिक वन स्रोतों के संरक्षण संवर्धन, पुनः निर्माण व व्यवस्थापन करने का अधिकार 3(1)(ग) 	<p>-----</p> <p>ग्राम के विस्तार पत्रक में उल्लेखित समस्त सर्वे नं. व वन मानचित्र के अनुसार सगरत संबंधित कम्पार्टमेंट नं.</p> <p>वि. नं. 10/2011</p> <p>वि. नं. 10/2011</p> <p>वि. नं. 10/2011</p> <p>वि. नं. 10/2011</p>	<p>1.5000 हे. मी.</p> <p>1.5000 हे. मी.</p> <p>1.5000 हे. मी.</p> <p>1.5000 हे. मी.</p>	<p>0.0500</p> <p>0.0500</p> <p>0.0500</p> <p>0.0500</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● घुमन्तु आदिवासी ● आदिम जनजाति 	<p>----- लायू -----</p>		

अ) उपरोक्त जानकारी द्वारा निम्नानुसार निर्णय परित किया गया।

ब) वन संचालन परिषद की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई जिसे ग्रामसभा के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

ग्रामसभा का निर्णय:-

उपरोक्त व संचालक को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उल्लेखित 'वन आदेश' प्रदान करने का निर्णय सर्वसम्मति से किया जाता है। अस्तव अग्नि कचराही शू उपखण्ड स्तरीय समिति को पवित्र किया जाता है।

पंचो की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर

पंचायत/न्याय सचिवालय संख्या, तालुका, जिला, दिनांक

क्र. क्र. में तारीख	बैठक का स्थान	पंच/सचिव का नाम	पंचायत क्षेत्रों के नाम	पंचायत संख्या	जिला	दिनांक	विवरण	पंचायत/न्याय सचिवालय संख्या
18/2/23	राजकी गाँव सेवा वि. नं. जवाहर	श्रीमान रामप्रकाश दास सचिव पंचायत	श्रीमान राजकी गाँव पंचायत	श्रीमान राजकी गाँव पंचायत	जवाहर	18/2/23	श्रीमान- श्रीमान राजकी गाँव पंचायत में 19/2-24/930 की अनुपालना में ग्राम पंचायत जवाहर की विशेष ग्राम सभा का शासकीय सत्रण हुआ श्रीमान रामप्रकाश दास की अध्यक्षता में राजकी गाँव जैवा केंद्र जवाहर में किया गया है। प्र.2 आंचोडीन नगड की उपगोपीया के सत्रण में जवाहर की गई।	पंचायत जवाहर
			श्रीमान राजकी गाँव पंचायत	श्रीमान राजकी गाँव पंचायत	जवाहर		आंचोडीन की रुमी से होने वाली तीमारियों से बनाने हेतु पंचायत फैलाने पर विचार विमर्श किया गया।	
			श्रीमान राजकी गाँव पंचायत	श्रीमान राजकी गाँव पंचायत	जवाहर		प्र.2 मेरी गाँव- गैरा देवा जवाहर के सत्रण शासकीय की जवाहर की गई। तथा हर हर तिरंगा शांति मान के सुचारु संचालन हेतु तिरंगा विवरण की बनाना की गई।	
			श्रीमान राजकी गाँव पंचायत	श्रीमान राजकी गाँव पंचायत	जवाहर		प्र.3 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी) की मान्यता शासकीय के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का प्रस्ताव किया गया।	
			श्रीमान राजकी गाँव पंचायत	श्रीमान राजकी गाँव पंचायत	जवाहर		Hindoli - Rainwater supply	

पंचो की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर

पंचायत/न्याय उप समिति

पंचायत नाम

जिला

तहसील

बैठक होने की तारीख 1	बैठक का स्थान 2	पंच/सरपंच का नाम 3	उपस्थित सदस्यों के नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर 6
				<p>Project - District. Board from CHAMBAL - BHILWARA हेतु ग्राम जवाहर में 0.0511 Hect. खसरा संख्या 9165, 9164 तथा ग्राम खोडी में 0.0139 Hect. खसरा संख्या 1278, 1423 का प्रमाण - पत्र जारी करके प्रस्ताव का सर्वसम्मति से ठगुनीदना के मा-गमा।</p>	<p>मनोष कुंजी अणुजि के.राज कुमार कमल कुमार विनी क.राज कुंजी हामन सेन</p>
					<p>लक्ष्मीराम अ.रा. अ.रा. अ.रा. अ.रा. अ.रा.</p>

वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति
(नियम 11 (3) देखें)

दिनांक 28/6/22
 ग्राम आटा पंचायत आटा
 तहसील आटा जिला आटा
 में वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 28/6/22 को दावेदार आटा ग्राम
 के दावे से संबंधित स्थल (वन क्षेत्र) का निरीक्षण किया गया उसका राजस्व अभिलेखों के अनुसार विवरण निम्नानुसार है

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार
1	2	3	4	5
आटा	246	0.1942	0.1942	अधिभोग
	250/42	30.1432	0.01	अधिभोग
	248/42	1.1210		अधिभोग
	247	0.0000	0.0000	अधिभोग
	249			अधिभोग
आटा				

जिस दर वन अधिकार दिये जाने हेतु वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति जारी की जाती है

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिनियम)

अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संबोधित नियम 2012

ग्रामसभा के निर्णय व सामुहिक वन अधिकार बाबत प्रस्ताव क्रमांक / 15/8/2025

"सामुहिक वन अधिकार" दावे के संदर्भ में आयोजित ग्रामसभा आज दिनांक 15/8/2025

को अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 व 2008 में स्थापित वन अधिकार समिति ग्राम की नियम व शर्तों के अनुसार ग्राम

तहसील जिला में

"सामुहिक वन अधिकार" के दावे के संदर्भ में की गई अनुशंसा पर ग्रामसभा के प्रस्ताव / निर्णय को पारित करने हेतु सभा आयोजित की गई। इस सभा में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :-

सर्व प्रथम ग्रामसभा हेतु आवश्यक सदस्यों की (कोरम) उपस्थिति की पुष्टि की गई।

इस सभा में कुल ग्रामीणों में से आज संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे, जिसमें से कोरम की पूर्ति होती है।

2 वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा, निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

उक्त दावे के संदर्भ में ग्राम सभा को निर्णय लेने में उक्त सुविधा हो इस उद्देश्य से सर्व प्रथम वन अधिकार समिति के सचिव द्वारा सभा के प्रारंभ में ही "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिनियम) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संबोधित नियम 2012 की विस्तृत जानकारी समस्त उपस्थित सदस्यों को दी गई।

4 वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किये हुए "सामुहिक वन अधिकार" के दावों की जाच उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत 11(2)(पाच) में उल्लेखित नियमानुसार की गई है। इस सबंध में सभी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/निर्णय निम्नानुसार है:

5 प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक : निर्णय क्रमांक

(ब) दावे का स्वरूप :-

अधिकार का प्रकार	कम्पार्टमेंट / सर्वे नं.	क्षेत्र	प्रमाण (मात्रा)
<ul style="list-style-type: none"> ● निस्तार जैसे अधिकार 3(1)(ख) ● लघु वनोत्पादन का अधिकार 3(1) ● जन सम्पत्ति ● चराई (पूर्ण विवरण सहित) ● जैविक विविधता, बौद्धिक सम्पत्ति व पारंपरिक ज्ञान ● धार्मिक स्थल ● अन्य पारंपरिक वन अधिकार ● निरंतर उपयोग वन अधिकार। ● निरंतर उपयोग में आने वाले पारंपरिक वन स्रोतों के संरक्षण संवर्धन, पुनः निर्माण व व्यवस्थापन करने का अधिकार 3(1)(स) 	<p>ग्राम के विस्तार पत्रक में उल्लेखित समस्त सर्वे नं. व वन मानचित्र के अनुसार समस्त संबंधित कम्पार्टमेंट नं.</p>	<p>20/02/01 21.6 250/628 2.48/624 2.47 2.48 51.2/67.0</p>	<p>0.51 0.0143 0.17 5.25</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● घुमन्तु आदिवासी ● आदिम जनजाति 	<p>----- लागू -----</p>		

अ उपरोक्त ग्रामसभा द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया।

ब दावे दाबत परीक्षण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिसे ग्रामसभा के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

ग्रामसभा का निर्णय

दावेदारों के समुदाय को उक्त अधिनिचम के अन्तर्गत उल्लेखित 'वन अधिकार' प्रदान करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु उपरोक्त जलिय समिति को प्रेषित किया जा रहा है।

पंचो की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर

पंचायत/आय उप समिति बानपुरा पंचायत समिति मैनव जिला बुंदेलखंड वर्ष 2023-24

बैठक की तिथि	बैठक का स्थान	पंच/सचिव का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
15/11/23	बानपुरा	श्री मीनाका		<p>जाय निकल 15/11/23 को आय बानपुरा बानपुरा में पंचायत समिति के उन्नीस क्रमांक 317 डिनर 15/11/23 को पालक से संलग्न वाहिना श्रीमती माया का अचपकता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है जिसमें मेरा देश मेरी माडी कार्यक्रम पर व्यवस्था निरवध है</p> <p>है यह बात तिया आ का आयोजन सफलता पूर्वक हुआ है। राधा के साथ स्वतंत्रता सेनानीयों के बारे में देश की वीरों के बारे में सुन्दर व्यवस्था की जा विचारित स बनाना गया</p>	<p>Ramant</p> <p>अभिप्रेत</p> <p>अभिलेख</p> <p>इशारा</p> <p>गोपाल</p> <p>रत्न</p> <p>मकिया</p> <p>मेरा देश</p> <p>श्री</p>
		<p>श्रीमती माया का अचपकता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है जिसमें मेरा देश मेरी माडी कार्यक्रम पर व्यवस्था निरवध है</p>		<p>श्री उन्नीस क्रमांक 317 डिनर 15/11/23 को पालक से संलग्न वाहिना श्रीमती माया का अचपकता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है जिसमें मेरा देश मेरी माडी कार्यक्रम पर व्यवस्था निरवध है</p>	<p>पंचवर्त</p> <p>बकीलाल</p>
				<p>प्रस्ताव-1 ग्राम सभा में सुलाव शवा ग्राम की शिवा</p> <p>बानपुरा में श्रीमती का खाल (मोदी की पुस्तिका बनाने का प्रस्ताव रखा गया जो सिंगलियन का कानून का तहत पर्याप्त विभाग से कानून बना सुलाव पाठि किया गया है</p>	<p>मुकेश</p> <p>सुशील</p> <p>दामोदर</p> <p>दिलशुभा</p>
				<p>प्रस्ताव-2 ग्राम सभा में सुलाव रखा गया कि ग्राम बानपुरा में नए रोड बनवाया जाय। श्री उन्नीस क्रमांक 317 डिनर 15/11/23 को पालक से संलग्न वाहिना श्रीमती माया का अचपकता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है</p>	<p>सुशील</p> <p>दामोदर</p> <p>दिलशुभा</p>

पंचायत समिति मैनव (बुंदेलखंड)

प्रस्तावना संख्या 13 का नाम

ग्राम की आवश्यकता का विवरण

ब्लॉक में स्थापित सदस्यों का प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 13 - ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा गया कि चोक बाल के कुए के पास गड नदी के किनारे कुए के पुस्तक खर्च लगाने से पीछे हट दिया जाए

प्रस्ताव संख्या 14 - ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम खानपुर में नाला की गाल घट करने वाली बंनेर के अ.म. निगम कार्य खानपुर में प्रस्ताव खर्च लगाने से पीछे हट दिया जाए

प्रस्ताव संख्या 15 - ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम के कुए के पास एड्स परियोजना के कार्य

करवाने का प्रस्ताव खर्च लगाने से पीछे हट दिया गया है

2) ग्राम खानपुर में नाला खानपुर निगम स्टोर के पास एड्स परियोजना कार्य खानपुर

3) परवाल पर एड्स परियोजना के कार्य खानपुर

प्रस्ताव संख्या 16 - ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा गया कि चोक नदी के आगे काम 317 दिनांक 8/8/2023 की योजना में नाला खानपुर की संख्या

Dimension of 3.875 hect. forest land "Laying of pipe line Hindoli - NARAYAN water supply project DISTRICT Bundi FORM CHAMBER

BHILWARA WSP (PHASE-1) DISTRICT Bundi (RAJASTHAN) के लिए आवक

क्रमांक - 0.9463 मा.अ.प. में 0.074 खानपुर में 0.0212 से हटिया

में इस परियोजना का पूरा जलवायु परिपक्व मालवा गांव खानपुर नदी दिल्ली में पर FPR/WATER

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिनियम)

अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012

ग्रामसभा के निर्णय व सामूहिक वन अधिकार बाबत प्रस्ताव क्रमांक ... 05 / 15.08.2023

"सामूहिक वन अधिकार" दावे के संदर्भ में आयोजित ग्रामसभा आज दिनांक ... 15.08.2023

को अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 व

2008 में स्थापित वन अधिकार समिति ग्राम ... वासी

की नियम व शर्तों के अनुसार ग्राम ...
... वासी ... तहसील ... जिला ... में

"सामूहिक वन अधिकार" के दावे के संदर्भ में की गई अनुशंसा पर ग्रामसभा के प्रस्ताव / निर्णय को पारित

करने हेतु सभा आयोजित की गई। इस सभा में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :-

1. सर्व प्रथम ग्रामसभा हेतु आवश्यक सदस्यों की (कोरम) उपस्थिति की पुष्टि की गई।

इस सभा में कुल 3446 ग्रामीणों में से आज 351 संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे, जिसमें से कोरम की पूर्ति होती है।

2. वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा, निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त दावे के संदर्भ में ग्राम सभा को निर्णय लेने में उक्त सुविधा हो इस उद्देश्य से सर्व प्रथम वन अधिकार समिति के सचिव ... द्वारा सभा के प्रारंभ में ही "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिनियम) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की विस्तृत जानकारी समस्त उपस्थित सदस्यों को दी गई।

4. वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किये हुए "सामूहिक वन अधिकार" के दावों की जांच उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत 11(2)(पांच) में उल्लेखित नियमानुसार की गई है। इस संबंध में सभी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/निर्णय निम्नानुसार है-

(अ) प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 1 निर्णय क्रमांक

(ब) दावे का स्वरूप :-

अधिकार का प्रकार	कम्पार्टमेंट / सर्वे नं.	क्षेत्र	प्रमाण (मात्रा)
<ul style="list-style-type: none"> ● निस्तार जैसे अधिकार 3(1)(ख) ● लघु वनोत्पादन का अधिकार 3(1) ● जन सम्पत्ति ● चराई (पूर्ण विवरण सहित) ● जैविक विविधता, बौद्धिक सम्पत्ति व पारंपरिक ज्ञान ● धार्मिक स्थल 	<p>ग्राम के विस्तार पत्रक में उल्लेखित समस्त सर्वे नं. व वन मानचित्र के अनुसार समस्त संबंधित कम्पार्टमेंट नं.</p>	<p>लक्ष्मण, 39, 47, 61, 3753/38, 2824/38</p>	<p>0.0802 हे. हिण्डोली में वन पेपजल परियोजना पाइप लाइने के दालन</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● अन्य पारंपरिक वन अधिकार ● निरंतर उपयोग वन अधिकार। ● निरंतर उपयोग में आने वाले पारंपरिक वन स्रोतों के संरक्षण संवर्धन, पुनः निर्माण व व्यवस्थापन करने का अधिकार 3(1)(स) 	<p>हिण्डोली में वन पेपजल परियोजना पाइप लाइने के दालन</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ● घुमन्तु आदिवासी ● आदिम जनजाति 	<p>लागू</p>		

अ. उपरोक्त ग्रामसभा द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया।

ब. दावे बाबत प्ररीक्षण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिसे ग्रामसभा के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

ग्रामसभा का निर्णय

दावेदारों के समुदाय को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उल्लेखित "वन अधिकार" प्रदान करने का निर्णय सर्व सम्मति से पारित किया जाता है। प्रस्ताव आयोग कार्यवाही हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति को प्रेषित किया जाता है।

सचिव मध्य मुहूर

सचिव

अध्यक्ष मध्य मुहूर

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत / उप समिति

ब्यासी

धंध नैनवा

दिना 20

(सं.) वर्ष 2012-2

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/समय का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक में कार्यवाही	बैठक में कार्यवाही करने वाले सदस्यों का नाम
1	2	3	4		
				तथा अनापत्ती उत्तरा पत्र जारी करने का सम्बन्ध सर्व सम्झौते से पारित किया गया।	सोहन
				प्रस्ताव: 06 ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के बीच खाद्य सुरक्षा मासिक 2012 के अन्तर्गत लायित सर्वजनों के विराम कर्तवी का अन्तर्गत अन्तर्गत 100 अन्तर्गत 100 अन्तर्गत	सुनील
				(1) ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के बीच खाद्य सुरक्षा मासिक 2012 के अन्तर्गत लायित सर्वजनों के विराम कर्तवी का अन्तर्गत अन्तर्गत 100 अन्तर्गत 100 अन्तर्गत	सुनील
				(2) खाद्य सुरक्षा के पात्र लाभार्थी की सूची बनाने का कार्य	सुनील
				(3) ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के बीच खाद्य सुरक्षा मासिक 2012 के अन्तर्गत लायित सर्वजनों के विराम कर्तवी का अन्तर्गत अन्तर्गत 100 अन्तर्गत 100 अन्तर्गत	सुनील
				(4) बीकानेर नाम मन्त्री द्वारा सौंपे गए खाद्य सुरक्षा मासिक 2012 के अन्तर्गत लायित सर्वजनों के विराम कर्तवी का अन्तर्गत अन्तर्गत 100 अन्तर्गत 100 अन्तर्गत	सुनील
				(5) सुझाव: खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत लायित सर्वजनों के विराम कर्तवी का अन्तर्गत अन्तर्गत 100 अन्तर्गत 100 अन्तर्गत	सुनील
				उपरोक्त का अन्तर्गत अन्तर्गत 100 अन्तर्गत 100 अन्तर्गत	सुनील
				प्रस्ताव: 07 ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के बीच खाद्य सुरक्षा मासिक 2012 के अन्तर्गत लायित सर्वजनों के विराम कर्तवी का अन्तर्गत अन्तर्गत 100 अन्तर्गत 100 अन्तर्गत	सुनील
				प्रस्ताव: 08 ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के बीच खाद्य सुरक्षा मासिक 2012 के अन्तर्गत लायित सर्वजनों के विराम कर्तवी का अन्तर्गत अन्तर्गत 100 अन्तर्गत 100 अन्तर्गत	सुनील

वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति
(नियम 11 (3) देखें)

ग्राम भजनपुरी पंचायत भजनपुरी दिनांक
 तहसील म जिला डुंगी
 ये वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 15/8/2023 को दावेदार ग्राम

के दावे से संबंधित स्थल (वन क्षेत्र) का निरीक्षण किया गया उसका राजस्व अभिलेखों के अनुसार विवरण निम्नानुसार है

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार
1	2	3	4	5
<u>भजनपुरी</u>	<u>कुल क्षेत्रफल</u> <u>1648/700</u> <u>12100</u>	<u>46770</u>	<u>0.0000</u> <u>0.0000</u>	<u>रिजर्वेशन - नरक</u> <u>(विकास परियोजना)</u> <u>विभाजन</u>

जिस पर हमें अधिकार है वह वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिनियम)

अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संबोधित नियम 2012

ग्रामसभा के निर्णय व सामूहिक वन अधिकार बाबत प्रस्ताव क्रमांक 5.....

"सामूहिक वन अधिकार" दावे के संदर्भ में आयोजित ग्रामसभा आज दिनांक 15/08/2023.....

को अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 व

2008 में स्थापित वन अधिकार समिति ग्राम अजोरी..... की नियम व शर्तों के अनुसार ग्राम

अजोरी तहसील अजोरी..... जिला अजमेर..... में

"सामूहिक वन अधिकार" के दावे के संदर्भ में की गई अनुशंसा पर ग्रामसभा के प्रस्ताव / निर्णय को पारित करने हेतु सभा आयोजित की गई। इस सभा में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई -

1. सर्व प्रथम ग्रामसभा हेतु आवश्यक सदस्यों की (कोरम) उपस्थिति की पुष्टि की गई।
इस सभा में कुल 15 ग्रामीणों में से आज 15 संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे, जिसमें से कोरम की पूर्ति होती है।
2. वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा, निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।
3. उक्त दावे के संदर्भ में ग्राम सभा को निर्णय लेने में उक्त सुविधा हो इस उद्देश्य से सर्व प्रथम वन अधिकार समिति के सचिव द्वारा सभा का प्रारंभ न हो "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिनियम) अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं संबोधित नियम 2012 को विस्तृत जानकारी समस्त उपस्थित सदस्यों को दी गई।
4. वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया "सामूहिक वन अधिकार" के दावे का प्राच्य उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत 11(2)(पांच) में उल्लिखित नियमानुसार की गई है। इस संबंध में सभी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव निर्णय निम्नानुसार है
5. प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 1 निर्णय क्रमांक

(ब) दावे का स्वरूप :-

अधिकार का प्रकार	कम्पार्टमेंट / सर्वे नं.	क्षेत्र	प्रमाण (मात्रा)
<ul style="list-style-type: none"> ● निस्तार जैसे अधिकार 3(1)(ख) ● लघु वनोत्पादन का अधिकार 3(1) ● जन सम्पत्ति ● चराई (पूर्ण विवरण सहित) ● जैविक विविधता, बौद्धिक सम्पत्ति व पारंपरिक ज्ञान ● धार्मिक स्थल ● अन्य पारंपरिक वन अधिकार ● निरंतर उपयोग वन अधिकार। ● निरंतर उपयोग में आने वाले पारंपरिक वन स्रोतों के संरक्षण संवर्धन, पुनः निर्माण व व्यवस्थापन करने का अधिकार 3(1)(ग)। 	<p>-----</p> <p>ग्राम के विस्तार पत्रक में उल्लेखित समस्त सर्वे नं. व वन मानचित्र के अनुसार समस्त संबंधित कम्पार्टमेंट नं.</p> <p><i>Handwritten signature and text</i></p>	<p>16/14/2780</p> <p>1780</p> <p>1783</p>	<p>0.5477</p> <p>हैक्टर</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● घुमन्तु आदिवासी ● आदिम जनजात 	<p>----- लागू -----</p>		

अ. उपरोक्त कामकाज द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया।

ब. दावे बाबत परीक्षण को निजर्ट में प्रस्तुत की गई जिसे ग्रामसभा के सभी सदस्य ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

ग्रामसभा का निर्णय

दावेदारी का समुदाय को राज्य अधिनियम के अन्तर्गत उल्लेखित वन संपत्ति पदान कर का निम्नानुसार सर्वसम्मति से खर्च का प्रस्ताव है। ग्रामसभा अग्रिम कदमकड़ी भूतु संपत्तिका स्वरूप समिति का पंक्ति किया जाता है।

वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति
(नियम 11 (3) देखें)

ग्राम साईदा पंचायत साईदा दिनांक 15.08.2023
तहसील नैसवां जिला बरेली
नें वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 15.08.2023 को दावेदार ग्राम साईदा
के दावे से संबंधित स्थल (वन क्षेत्र) का निरीक्षण किया गया उसका राजस्व अभिलेखों के अनुसार विवरण निम्नानुसार है

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिमोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिमोग का प्रकार
1	2	3	4	5
साईदा	707	4.0935	0.0870 कुल	हिंसात्मक वन जयपुर प्रसिद्धि जयपुर जयपुर
	708	0.0890		
	709	0.5663		
	712	2.5079		
	713	0.0971		
	715	2.8398		
	724	4.9106		
	822	1.1002		
		0.0912		
		0.0971		
		0.0890		
	योग			

जित पर वन अधिकार दिने जाने हु वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति जारी की जाती है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिनियम)

अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012

ग्रामसभा के निर्णय व सामूहिक वन अधिकार बाबत प्रस्ताव क्रमांक ...२।.....

"सामूहिक वन अधिकार" दावे के संदर्भ में आयोजित ग्रामसभा आज दिनांक15/08/23.....

को अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 व 2008 में स्थापित वन अधिकार समिति ग्राम ...साँवेड़ा..... की नियम व शर्तों के अनुसार ग्राम

.....साँवेड़ा..... तहसील ...बैनावा..... जिला ...बूंदी..... में

"सामूहिक वन अधिकार" के दावे के संदर्भ में की गई अनुशंसा पर ग्रामसभा के प्रस्ताव / निर्णय को पारित करने हेतु सभा आयोजित की गई। इस सभा में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :-

1. सर्व प्रथम ग्रामसभा हेतु आवश्यक सदस्यों की (कोरम) उपस्थिति की पुष्टि की गई।
इस सभा में कुल ...30.00..... ग्रामीणों में से आज ...450..... संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे, जिसमें से कोरम की पूर्ति होती है।
2. वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा, निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।
3. उक्त दावे के संदर्भ में ग्राम सभा को निर्णय लेने में उक्त सुविधा हो इस उद्देश्य से सर्व प्रथम वन अधिकार समिति के सचिव ...श्री. सु. र. 15/08/23/साँवेड़ा..... द्वारा सभा के प्रारंभ में ही "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिनियम) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की विस्तृत जानकारी समस्त उपस्थित सदस्यों को दी गई।
4. वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किये हुए "सामूहिक वन अधिकार" के दावों की जांच उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत 11(2)(पांच) में उल्लेखित नियमानुसार की गई है। यह सबब में सभी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/निर्णय निम्नानुसार है

(अ) प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक : निर्णय क्रमांक ..

(ब) दावे का स्वरूप :-

अधिकार का प्रकार	कम्पार्टमेंट / सर्वे नं.	क्षेत्र	प्रमाण (मात्रा)
<ul style="list-style-type: none"> ● निस्तार जैसे अधिकार 3(1)(ख) ● लघु वनोत्पादन का अधिकार 3(1) ● जन सम्पत्ति ● चराई (पूर्ण विवरण सहित) ● जैविक विविधता, बौद्धिक सम्पत्ति व पारंपरिक ज्ञान ● धार्मिक स्थल ● अन्य पारंपरिक वन अधिकार ● निरंतर उपयोग वन अधिकार। ● निरंतर उपयोग में आने वाले पारंपरिक वन स्रोतों के संरक्षण संवर्धन, पुनः निर्माण व व्यवस्थापन करने का अधिकार 3(1)(स) 	<p>ग्राम के विस्तार पत्रक में उल्लेखित समस्त सर्वे नं. व वन मानचित्र के अनुसार समस्त संबंधित कम्पार्टमेंट नं.</p> <p>हिजाली - माल्य उमठली जखिमना</p>	<p>707, 708, 709, 712, 713, 715, 724, 522, 523, 524, 522/86%</p>	<p>0.0870</p> <p>0.0870</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● घुमन्तु आदिवासी ● आदिम जनजाति 	लागू		

अ. उपरोक्त ग्रामसभा द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया।

ब. दावे बाबत परीक्षण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिसे ग्रामसभा के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

ग्रामसभा का निर्णय :

दावेदारों के समुदाय को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उल्लेखित 'वन अधिकार' प्रदान करने का निर्णय सर्व सम्मति से पारित किया जाता है। परन्तु अधिकार कार्यवाही हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति को धारित किया जाता है।

पंचो की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर

पंचायत/न्याय उप समिति पंचायत समिति जिला वर्ग

बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
15-08-2023	गुपीव गांधी सेवा केंद्र	श्री डेवरा	पंचायत समिति	आज दिनांक 15/08/2023 को रविवार दिवस को उपलब्ध में सति वर्ष के वैश्वी ग्रामसभा का आयोजन किया गया। ग्रामसभा में सर्वप्रथम पूरे में दि. 08/08/23 को हुई ग्राम सभा की विवरण सुनाया गया। इसी ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच महोदय श्री डेवरा ने की। द्वारा की गई निम्न प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया -	
		श्री डेवरा	पंचायत समिति	प्रस्ताव संख्या-01) वनाधिकार की मायता अधिनियम के अन्तर्गत वनाधिकार प्राप्त पत्र जारी करने के संबंध में सिपच. का पत्र क्रमांक 3319 दि. 12-4-2023, पत्रांक 3394 दि. 18-7-23 व कार्यालय उपपरण्ड अडिडरी नैना का पत्र क्रमांक 896 दि. 28-6-23 व पत्रांक 1142 दि. 18/7/23 के तहत में अन्ततः वषा गमाई इसमें वनाधिकार प्रमाण-पत्र से जिस खसरा खसरा पर ग्रामी प्रत्याकृत होने की उत्र यमि की मय हलक डाक्य कलाकेज उपपरण्ड कार्यालय में भेजना की - खसरा नं० - 187 के खसरा खसरा (0-0870) में जलदाप विभाग PHED	
		श्री डेवरा	पंचायत समिति	खसरा संख्या 725, 715, 707, 522, 524, 868 इस प्रस्ताव में खसरा पाहप लाइन नैना डिस्ट्रिक्ट कारर सफलता प्रोजेक्ट पूरती	
		श्री डेवरा	पंचायत समिति	क्रि. प्र. वी. ए. के तहत जारी उपपरण्ड हायने के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित होगी -	
		श्री डेवरा	पंचायत समिति	अतः समिती की बैठक में ग्राम सभे का संसारा सं. 725, 712, 713, 715, 707, 709, 708, 522, 523, 524, 524, 868 में स्थित 0-0870	
		श्री डेवरा	पंचायत समिति	इसके लिए नियमावली सं. 100 के अंतर्गत प्रस्ताव	

पंचायत समिति
पंचायत समिति
00 210 नैना (कुन्दी)

**ग्राम पंचायत द्वारा पट्टिन संकल्प
(नियम 11 (5) देखें)**

शिकायत: _____

दिनांक: _____

कृषि क्षेत्रों में जल संचयन का विधेय (या अधिनियम की संख्या) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में
 प्रदान की गई है। (5) के अधिनियम के निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत की संज्ञा की गई है एवं उक्त वन अधिकार
 अधिनियम अधिनियम / अधिनियम का पूर्ण रूप अधिनियम संख्या पर विचार किए और पता कि :-

श्री/श्रीमती _____ पति/पति श्री _____

(1) किंगडोम के विधेय की जा मूमी को 12.12.2005 से पूर्ण अधिनियम में ले रहा है/ नहीं ले रहा है (2) उक्त मूमी पर
 अधिनियम प्रभाव होने की तारीख 31.12.2007 तक अधिनियम / की है/ नहीं है (3) अपने अधिनियम की वास्तविक अनुसूची के
 अंतर्गत का मूमी पर निर्धारित है। का: ग्राम पंचायत श्री _____ पति/पति

श्री _____ बसंतल _____ विद्या _____ को उनके अधिनियम में निम्नानुसार मूमी
 पर अधिनियम किंगडोम का संकल्प अधिनियम अधिनियम / नहीं किया जाता है।

क्र.सं.	कमल संख्या	अधिनियम नं. का संख्या संख्या	अधिनियम नं. का संख्या संख्या	अधिनियम का प्रकार/ कृषि/अधिनियम	विशेष विवरण
	2	3	4	5	6
1	3181	7 9363	0.01%	3-1 सुगि	
	346	12 2467			
	13	6 2057			
		11-267	0.1%		
		12-577			



कार्यालय नगर पालिका मण्डल नैनवॉ
जिला बून्दी (राज.)



E-mail Id - nnagarpalika@gmail.com

Phone No. - 7737093600

क्रमांक/न.पा.नै/सामान्य/2023/3959

दिनांक :- 26.09.2023

प्रमाणित किया जाता है कि वार्ड न0 01 नैनवॉ वन भूमि खसरा संख्या 3454, 3455, 3451, 3453 का कुल क्षेत्रफल 0.0456 हैक्टेयर भूमि एवं वार्ड न0 12 नैनवॉ वन भूमि खसरा संख्या 3469, 3457, 3458, 3460 का कुल क्षेत्रफल 0.123 हैक्टेयर भूमि के लिए अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिनियम की मान्यता) अधिनियम 2006 के अनुमति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय किया जा कर दिनांक..... को प्रमाण अनुमोदित करते हुये वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के माफत वन भूमि का कुल क्षेत्रफल 0.0456 हैक्टेयर व 0.123 हैक्टेयर के लिए जलदाय विभाग पी.एच.ई. डी (हिण्डोली- नैनवॉ पेयजल परियोजना) के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र आज दिनांक..... को जारी किया जाता है।

.....

अध्यक्ष

नगर पालिका नैनवॉ

अधिशाषी अधिकारी

नगर पालिका नैनवॉ

			5770			
			5766			
			5765			
			5760			
			5758			
			5764			
			5763			
			5762			
			5763			
HINDOLI	BALOLA	SEGMENT-21	5770	549	0.0549	0.0549
			5768			
			5778			
			5779			
			262	876	0.0876	0.0964
			843/263			
			266			
			828/267			
			826/268			
HINDOLI	GANESHGANJ	SEGMENT-22	827/706	88	0.0088	
			1161/530			
	MANDI		530	185	0.0185	0.0185
			430			
			431			
HINDOLI	SIKHPURA	SEGMENT-23	432	387	0.0387	0.0387
			1343			
			1700	802	0.0802	0.0926
HINDOLI	RONEEJA	SEGMENT-24	342			
			39			
			3753/38	124	0.0124	
			3824/38			
			42			
			61			
	Bansi	SEGMENT-25	1125	100	0.01	0.01
			1126			
			1124/1257			
			1126/1205	193	0.0193	0.0193
			246			
		SEGMENT-26	250/648	193	0.0193	0.0193
			248/644			
		SEGMENT-27	247	193	0.0193	0.0193
			248			
			512/878	193	0.0193	0.0193
				193	0.0193	0.0193
				193	0.0193	0.0193
				193	0.0193	0.0193
				193	0.0193	0.0193

Nenawa First		3451	1044	0.1044	
		3469			
		3457			
		3458			
		3460			
Khanpura	SEGMENT-32	1916	212	0.0212	0.0186
Nenawa First	SEGMENT-33	3486	186	0.0186	0.0186
Jajwar	SEGMENT-34	2165	511	0.0511	0.0511
Khor	SEGMENT-35	1218	139	0.0139	0.0139
		1423			
Bhajaneri	SEGMENT-36	1678/2780	470	0.047	0.047
		1740			
		1729			
Dai	SEGMENT-37	2493	127	0.0127	0.0127
		2500			
Dai	SEGMENT-37	2501	1186	0.1186	0.1186
		2556			
		2557/1			
		2557			
		2558			
Dai		4415/4602			3.5593
		2708			
		100			

TD Division Area (Bundi Territorial Division)


(Signature)
 (Bundi) अधिकारी
 PHE प्रो. ए. ए. ए. अधिकारी
 परियोजना एवं बूंदी (कोड नं.-32163)


वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति
(नियम 11 (3) देखें)

ग्राम सांवतगाढ पंचायत सांवतगाढ दिनांक 21/6/2023
 तहसील दिंडोली जिला खंडी
 में वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 21/6/2023 को वावेदार ग्राम सांवतगाढ
 के वावे से संबंधित स्थल (वन क्षेत्र) का निरीक्षण किया गया उसका राजस्व अभिलेखों के अनुसार विवरण निम्नानुसार है

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा न. का कुल क्षेत्रफल	अधिमोग की वन-भूमि का क्षेत्रफल	अधिमोग का प्रकार
1	2	3	4	5
सांवतगाढ	1125	0.3076	0,0124	दिंडोली-वन वा पेपजलपरिपोजना (पाइपलाइन)
	1126	0.2104		
	1124/1257	5.6089		
	1126/1205	0.2671		
		<u>6.3940</u>		
योग				

जिस पर वन अधिकार दिये जाने हेतु वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति जारी की जाती है।


हस्ताक्षर सचिव


सांवतगाढ
हस्ताक्षर अध्यक्ष

ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प
(नियम 11 (5) देखें)

प्रस्ताव सं. 02

दिनांक: 21/6/2023

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(1) में प्रकृत शक्तियों के अनुसरण एवं 11(5) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वाहन ग्राम सभा की बैठक की गई एवं उसमें वन अधिकार समिति द्वारा अभिस्वीकृत/अस्वीकृत वन भूमि पर अधिभोग के प्रकरणों पर विचार किया और पाया कि :-

श्री / श्रीमती हिन्दोली नैनवा पेपजल पिता/पति श्री P.H.E.D. विभाग हिन्दोली
परिपोजना
(1) निचे दिये गये विवरण की वन भूमि को 12.12.2005 से पूर्व अधिभोग में ले रहा है/नहीं ले रहा है (2) उक्त भूमि पर अधिनियम प्रभावी होने की तिथि 31.12.2007 तक काबिज है/ नहीं है एवं (3) अपनी जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए इस वन भूमि पर निर्भर है/नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा श्री पिता/पति
ग्राम साँवगढ़ तहसील हिन्दोली जिला बूँदी को उसके अधिभोग में निम्नानुसार भूमि पर वन अधिकार दिये जाने का संकल्प पारित किया जाता है / नहीं किया जाता है।

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार/ कृषि/आवास	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
साँवगढ़	1125	0.3076	0.0124 ⁶ है	हिन्दोली-नैनवा पेपजल परिपोजना	जनसंघ विभाग, P.H.E.D. हिन्दोली नैनवा परपत्रासन परिपोजना के अन्तर्गत FRA प्रमाणपत्र देना स्वीकृत किया गया है
	1126	0.2104			
	1124/1257	5.6089			
	1126/1259	0.2671			
		6.3940			
योग					

Aditya
हस्ताक्षर अधिकारी

रामसिंह मीणा
साँवगढ़
हस्ताक्षर अध्यक्ष ग्राम सभा

वैठक होने की तारीख	वैठक का स्थान	पंच / सदस्य का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	वैठक की कार्यवाही का विवरण	वैठक में उपस्थित सदस्यों के ह.
1	2	3	4	5	6
				<p>को अग्रिम भराकर अनुक सांगुप रख गट्टि अिब पर ग्याद विमर डिपॉजि अर्थ सिमिति से प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन कट दिवा जाया है</p>	
				<p>ग्राम पंचायत सांख्यिकी से वन भूमि 0.0124 हेक्टर के लिए अनुमति और अ.क परंपरागत बन्वानी (बन अधिन. पी मापना) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रमाणपत्र की आवेदनपत्र होने पर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्दिष्ट दिनांक 1 मास सिवा 21/6/23 को सर्वेक्षण से प्रस्ताव का अनुमोदन करने हुए बन अधिनियम पी मा-पना 2006 के अंतर्गत ड. 0.0124 हे भूमि के लिए प्रस्ताव विमारा पीएचए (दिवसी-अनवा) वेधकन पाइपलाइन आने के लिए अनुमोदन जारी करने का सर्वेक्षण के लिए दिवा जाया।</p>	

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

Email: ccf.ajmr.forest@rajasthan.gov.in, ccf.ajmr.forest@gmail.com Tel no.: 0145-2426740

क्रमांक एफ 11(44B)एफसीए/मुवस/2023 /78
निमित्त,

दिनांक:- 05/01/24

श्रीमान अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान-जयपुर।

विषय: Diversion of 4.9975 Ha. Of Reserved and Protected Forest land for Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I) District -Bundi (Rajasthan) in favour of Executive Engineer, Public Health Engineer Department, Rajasthan. izLrko la;k FP/RJ/WATER/154215/2022

संदर्भ : उप वन संरक्षक, भीलवाडा का पत्रांक 8647 दिनांक 28.12.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर, के पं. 8बी/राज/028 /2023/जेपीआर/दिनांक 10.08.2023 द्वारा उक्त प्रकरण में 4.9975 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 329 वृक्षों के पातन की की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उप वन संरक्षक, भीलवाडा के माध्यम से प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है-

S.N.	Conditions	Compliance
1.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	Related to DCF RVTR (Core) Bundi. Enclosed "A" Condition No.1
2.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	The Non-Forest land proposed for CA already notified PF jurisdiction is DCF RVTR (Core) Bundi. Enclosed "A" Condition No.2

Signature valid

RajKaj Ref
5270899



Digitally signed by Sharda Pratap Singh
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.01.05 11:10:07 IST
Reason: Approved

3.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.9975 ha. forest area to be diverted under this proposal, from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard.	The User Agency has reported that, demanded by this office Net Present Value (NPV) Rs. 830970/- has been deposited in Campa Account By IFMS VR No. 6597161 dt. 21-09-2023. Enclosed "A" Condition No.3
4.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	User agency Agreed to abide by this condition . Enclosed "A" Condition No.4
5.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	The Original FRA certificates submitted by U.A. attached with final compliance. Enclosed "A" Condition No.5
6.	The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	The CA areas shall be uploaded on the E-Green watch portal related to DCF RVTR (Core) Bundi and The KML file of the area diverted uploaded on the E Green . Enclosed "A" Condition No.6
7.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	Yea, All the funds deposited by Useragency and transferred/deposited to CAMPA through e-portal. Enclosed "A" Condition No.7
B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the UserAgency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking will be submitted prior to Final/Stage-II approval:		
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	User agency hereby agree to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.1
2.	Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.	Required non forest land handed over to the forest department by th User agency. User agency hereby agree to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.2
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department 4.9975 ha. non-forest land Khasra No. 1346, Village-Kota Khurd, District- Bundi of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	Related to DCF RVTR (core) Bundi. Enclosed "B" Condition No.3

Signature valid

RajKaj Ref
5270899

Digitally signed by Sharda Pratap Singh
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.01.05 11:10:07 IST
Reason: Approved

4.	User agency shall restrict the felling of trees to 329 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	User agency agreed to abide by this condition undertaking given for felling of trees to minimum number in the diverted forest land. NIL Trees cutting is involved in the forest land Bhilwara Division. Enclosed "B" Condition No.4
5.	The Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for the user agency Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled. Enclosed "B" Condition No.5
6.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for No damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused. Enclosed "B" Condition No.6
7.	User Agency shall obtain Environmental clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for Environmental clearance as as per the provisions of the Environmental(Protection) Act, 1986, if applicable. Enclosed "B" Condition No.7
8.	User Agency shall obtain wildlife clearance.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for shall obtain wildlife clearance . Enclosed "B" Condition No.8
9.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for layout plan will not change without prior approval of Central Government. (Annex. B5) Enclosed "B" Condition No.9
10.	No labour camp shall be established on the forest land.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for No labour camp shall be established on the forest land. Enclosed "B" Condition No.10
11.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. Enclosed "B" Condition No.11
12.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer	User agency agreed to abide by this condition the forest land shall not be used for any purpose other than the specified in the project proposal. Enclosed "B" Condition No.12

Signature valid

RajKaj Ref
5270899

Digitally signed by Sharda Pratap Singh
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.01.05 11:10:07 IST
Reason: Approved

13.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for No additional or new path will not be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. Enclosed "B" Condition No.13
14.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. Enclosed "B" Condition No.14
15.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	User agency agreed to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.15
16.	The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.	User agency agreed to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.16
17.	The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (S) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	User agency agreed to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.17
18.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	User agency agreed to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.18
19.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	User agency agreed to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.19
20.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	User agency agreed compliance report uploaded on e- Portal Enclosed "B" Condition No.20

संलग्न :- उपरोक्तानुसार चार सेट मूल।

भवदीय
(एस.पी. सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

Signature valid

RajKaj Ref
5270899

Digitally signed by Sharda Pratap Singh
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.01.05 11:10:07 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक , भीलवाडा

क्रमांक / एफसीए / उवस / 2023-24 / 8647

दिनांक 28-12-2023

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय-- Diversion of 4.9975 Ha. Of Reserved and Protected Forest land for Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I) District -Bundi (Rajasthan) in favour of Executive Engineer, Public Health Engineer Department, Rajasthan. प्रस्ताव संख्या FP/RJ/WATER/154215/2022


प्रसंग:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर, के पं. 8बी/राज/028 /2023/जेपीआर/दिनांक 10.08.2023 एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पत्रांक 2070-72 दिनांक 19.12.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि आलोच्य प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर, के पं. 8बी/राज/028/2023/जेपीआर/दिनांक 10.08.2023 द्वारा 4.9975 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 329 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है।

प्रयोक्ता एजेन्सी के प्रासंगिक पत्र से बिन्दुवार पालना कार्यालय में प्रेषित की गयी है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

S.N.	Conditions	Compliance
1.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	Related to DCF RVTR (Core) Bundi. Enclosed "A" Condition No.1

FCA
11-27
01-01-24


2.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	The Non-Forest land proposed for CA already notified PF jurisdiction is DCF RVTR (Core) Bundi. Enclosed "A" Condition No.2
3.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.9975 ha. forest area to be diverted under this proposal, from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard.	The User Agency has reported that, demanded by this office Net Present Value (NPV) Rs. 830970/- has been deposited in Campa Account By IFMS VR No. 6597161 dt. 21-09-2023. Enclosed "A" Condition No.3
4.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	User agency Agreed to abide by this condition . Enclosed "A" Condition No.4
5.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	The Original FRA certificates submitted by U.A. attached with final compliance. Enclosed "A" Condition No.5
6.	The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	The CA areas shall be uploaded on the E-Green watch portal related to DCF RVTR (Core) Bundi and The KML file of the area diverted uploaded on the E Green . Enclosed "A" Condition No.6
7.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	Yea, All the funds deposited by Useragency and transferred/deposited to through e-portal. Enclosed "A" Condition No.7
B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the UserAgency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking will be submitted prior to Final/Stage-II approval:		
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	User agency hereby agree to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.1

2.	Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.	Required non forest land handed over to the forest department by th User agency. User agency hereby agree to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.2
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department <u>4.9975 ha.</u> non-forest land Khasra No. 1346, Village-Kota Khurd, District-Bundi of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	Related to DCF RVTR (core) Bundi. Enclosed "B" Condition No.3
4.	User agency shall restrict the felling of trees to 329 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	User agency agreed to abide by this condition underking given for felling of trees to minimum number in the deiverted forest land. NIL Trees cutting is involved in the forest land Bhilwara Division. Enclosed "B" Condition No.4
5.	The Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for the user agency Pipeline shall be laid down 1.5 meter below theground and after lying down of pipeline the ground will be leveled. Enclosed "B" Condition No.5
6.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for No damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused. Enclosed "B" Condition No.6
7.	User Agency shall obtain Environmental clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for Environmental clearance as as per the provisions of the Environmental(Protection) Act, 1986, if applicable. Enclosed "B" Condition No.7
8.	User Agency shall obtain wildlife clearance.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for shall obtain wildlife clearance . Enclosed "B" Condition No.8

9.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for layout plan will not change without prior approval of Central Government. (Annex. B5) Enclosed "B" Condition No.9
10.	No labour camp shall be established on the forest land.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for No labour camp shall be established on the forest land. Enclosed "B" Condition No.10
11.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. Enclosed "B" Condition No.11
12.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer	User agency agreed to abide by this condition the forest land shall not be used for any purpose other than the specified in the project proposal. Enclosed "B" Condition No.12
13.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for No additional or new path will not be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. Enclosed "B" Condition No.13
14.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	User agency agreed to abide by this condition undertaking for The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. Enclosed "B" Condition No.14
15.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	User agency agreed to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.15
16.	The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.	User agency agreed to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.16
17.	The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (S) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	User agency agreed to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.17
18.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	User agency agreed to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.18

19.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	User agency agreed to abide by this condition. Enclosed "B" Condition No.19
20.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	User agency agreed compliance report uploaded on e- Portal Enclosed "B" Condition No.20

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार पालना आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उक्तानुसार 5 सेट

भवदीय,
उप वन संरक्षक,
भीलवाडा

क्रमांक / एफसीए / उवस / 2023-24 / दिनांक
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राज. जयपुर।

॥
उप वन संरक्षक,
भीलवाडा

क्रमांक: 17/23

कार्यालय अधिशाही अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
परि. खण्ड, बून्दी (राज.)

दिनांक 18.10.23

श्रीमान् उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा

(Online Poposal No. :FP/RJ/WATER/154215/2022)

विषय-- Diversion of 4.9975 Ha. of forest land in favour of EXECUTIVE ENGINEER,PUBLIC
HEATH ENGINEERING DEPARMENT RAJASTHAN for Laying of
Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District-Bundi From Chambal-
Bhilwara WSP (PHASE-I)District-Bundi (Rajasthan)

संदर्भ - भारत सरकार के पत्रांक 8B/RAJ/028/2023-JPR दिनांक 10.08.2023।



महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि EXECUTIVE ENGINEER,

के पक्ष में विषयांकित प्रस्ताव 4.9975 हैक्टो वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति (In-principle/Stage-Iapproval)329 वृक्षा के पातन सहित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

S.N.	Conditions	Compliance															
1.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars has been deposited by user agency in CAMPA fund Detail are Forest Division wise given below: DCF (Core) RVTR Bundi CA Rs. 11,40,000/- IFMS VR No. 6597161 Date: 21/09/2023 copy attached.															
2.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	User agency agree and in the respect undertaking attached.															
3.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.9975 ha. forest area to be diverted under this proposal. from the User Agency as per the orders of the Hon'able Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(VoI-1) dated 06.01.2022 in this regard.	Net Present Value (NPV) for the 4.9975 ha. forest area amount has been deposited by user agency in CAMPA fund fund Detail are Forest Division wise given below: <table border="1"> <thead> <tr> <th>S.NO.</th> <th>NAME OF FOREST DIVISION</th> <th>DEPOSITED RS.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>DCF, BUNDI</td> <td>10962845.66</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>DCF, BHILWARA</td> <td>830970.00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>DCF and Dy. Field Director (Core) RVTR Bundi</td> <td>5506374.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL.</td> <td>17300189.66</td> </tr> </tbody> </table> IFMS VR No. 6597161 Date: 21/09/2023 copy attached.	S.NO.	NAME OF FOREST DIVISION	DEPOSITED RS.	1.	DCF, BUNDI	10962845.66	2.	DCF, BHILWARA	830970.00	3.	DCF and Dy. Field Director (Core) RVTR Bundi	5506374.00	TOTAL.		17300189.66
S.NO.	NAME OF FOREST DIVISION	DEPOSITED RS.															
1.	DCF, BUNDI	10962845.66															
2.	DCF, BHILWARA	830970.00															
3.	DCF and Dy. Field Director (Core) RVTR Bundi	5506374.00															
TOTAL.		17300189.66															

Executive Engineer
Water Project Officer

1.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	User agency hereby agree to pay the additional amount of NPV, if so determined as per the decision of the Hon'ble Supreme Court. In this regard undertaking has been given.
5.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	Original FRA certificates attached with compliance report. In this regard undertaking has been given.
6.	The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	User agency agree to the KML file of the area to be diverted and the CA areas will be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. In this regard undertaking has been given.
7.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	User agency under the project funds transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal. E-challan copy attached.

B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking will be submitted prior to Final/Stage-II approval:

1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	User agency undertakes to legal status of the forest land shall remain unchanged.
2.	Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.	User agency agree and in the respect undertaking attached.
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department <u>4.9975 ha.</u> non-forest land Khasra No. 1346, Village-Kota Khurd, District-Bundi of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department <u>4.9975 ha.</u> non-forest land Khasra No. 1346, Village-Kota Khurd, District-Bundi of Rajasthan and amount has been deposited by user agency in CAMPA fund are details given below: DCF (Core) RVTR Bundi CA Rs. 11,40,000/- IFMS VR No. 6597161 Date: 21/09/2023 copy attached.
4.	User agency shall restrict the felling of trees to 329 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	Cost of felling of trees and transportation amount has been deposited by user agency in office of the DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST, BUNDI As the office issue the demand note for amount to be deposited. Undertaking Attached.
5.	The Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled.	The Pipeline will be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled. Undertaking of the same attached.
6.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused. Undertaking of the same attached.
7.	User Agency shall obtain Environmental clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	User Agency will obtain Environmental clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable. Undertaking of the same attached.
8.	User Agency shall obtain wildlife clearance.	Obtain wildlife clearance proposal has been submitted is under process. Undertaking of the same attached.

9.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	The layout plan of the proposal will not be changed without prior approval of Central Government. Undertaking of the same attached.
10.	No labour camp shall be established on the forest land.	No labour camp will not be established on the forest land. Undertaking of the same attached.
11.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	User agency agree and in the respect undertaking attached.
12.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer	User agency agree and in the respect undertaking attached.
13.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	No additional or new path will not be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. Undertaking of the same attached.
14.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	The forest land will not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. Undertaking of the same attached.
15.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	User agency agree and in the respect undertaking attached.
16.	The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.	User agency agree and in the respect undertaking attached.
17.	The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (S) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	User agency agree and in the respect undertaking attached.
18.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	User agency agree and in the respect undertaking attached.
19.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	User agency agree and in the respect undertaking attached.
20.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	The compliance report will be uploaded on e-Portal (https://parivesh.nic.in/). Undertaking of the same attached.

Place:


 Executive Engineer
 PHED, Project Division
 BONDIA (R.D.)
 Name:
 Office Seal & Signature:
 Designation:

"A" Condition No. 1

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/we **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi** hereby undertakes to that the cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars has been deposited in CAMPA fund.

Place: Bundi


रूप वन/संरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)


Executive Engineer
Signature of User Agency
with Seal
Project Division

कार्यालय जिला कलक्टर बून्दी

संख्या :- 57

दिनांक 16/03/2023

आदेश

अधिशायी अभियंता, जन स्वा0 अभियांत्रिकी विभाग परियोजना, बून्दी के पत्र क्रमांक:अ.अ./परि/ख.बून्दी/2022-23/1816-18 दिनांक 21.02.2023 से जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत हिण्डोली - नैनवां पेयजल परियोजना जिला बून्दी(घम्बल-भीलवाडा फेज प्रथम से) के अन्तर्गत पाईप लाईन डालने हेतु आ रही रकबा 4.9975 हैक्टेयर वन भूमि को प्रत्यावर्तन (Diversion) हेतु समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटन/हस्तान्तरित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक(कोर) रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व, बून्दी के पत्र क्रमांक/एफ/एफसीए/उवसं, R.V.T.R./1311 दिनांक 13.3.2023 से ग्राम कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ में आवंटित गैर-वनभूमि कुल रकबा 108.00 हैक्टेयर में से 4.9975 हैक्टेयर गैर-वनभूमि हेतु समायोजन किये जाने की सहमति व्यक्त की गई है।

अतः शासन उप सचिव, राजस्व(ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति पत्र क्रमांक:प-6 (315)राज/ग्रुप-3/97 दिनांक 7.06.1999 से आवंटित ग्राम कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ की 289.53 हैक्टेयर भूमि में से उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक(कोर) रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व, बून्दी की सहमति के आधार पर उक्तानुसार 4.9975 हैक्टेयर भूमि समायोजन की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ० रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, बून्दी
दिनांक 16/03/2023

क्रमांक - प.8-5(1)राजस्व/2023/3986-36

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, राजस्व(ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. उप वन संरक्षक / उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक(कोर) रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व, बून्दी
3. उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली / नैनवां / लाखेरी
4. तहसीलदार हिण्डोली / नैनवां / इन्द्रगढ
5. अधिशायी अभियंता, जन स्वा0 अभियांत्रिकी विभाग परियोजना, बून्दी
6. आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बून्दी

Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

Reference No. : 1550858

ADVICE

**Government Of Rajasthan
Payment Advice**

Bank Account No. : 5550915020100113 Scheme Name : National Rural Drinking Water Programme RJ Month/Year : September / 2023
 Advice/Bill No. : 45 Date : 20/09/2023 SNA Name : SWSM, JAIPUR, RAJASTHAN
 SNA Office (Office Id) : - SNA DDO Code :
 Agency Office (Office Id) : XEN PHED Project Dn. Bundi - 32165 Agency DDO Code : 32165
 IA Name (Code) : 32165-Executive Engineer, PHED Project Div. Bundi (RJB00004084)
 PFMS: RJ308 IFSC : AUBL0002207 State Scheme Code:RJ201

To,

The,
Please Order to pay ₹ 18440190.00 as per PAYMENT ADVICE to the Payee Concerned.

Sign of clerk

Sign of Authority (IA/SNA)

Certificates:

- All the information, bank details in this advice has been checked and verified personally.
- Certified that I have personally examined and satisfied myself about the genuineness of claim of Pensioners(s) included in this bill are strictly in accordance with rules and that the said Payee are entitled to such claim and also personally ensured observance of all formalities regarding necessary entries.
- It is certify that I have carefully examined & verified the master data of the said claim.
- This Claim /Amount has been drawn for the specific purpose as per the sanction/approval obtained at the competent level.

Sign of Authority

S.No.	Name of Payee	Name of Bank Name of Branch IFMS Code/MICR Code Bank A/C. No. Aadhar No-PFMS Code (Payee)	Sanction No. Sanction Date	Gross Amount	Deduction Amount	Net Amount
-----AS PER ANNEXURE ENCLOSED-----						

Component List

Name-(Code)	Amount
PipedWater Supply Schemes (PWSS)Single Village Schemes (SVS),Multi Village Schemes (MVS)-(01.01)	12908133.00
PipedWater Supply Schemes (PWSS)Single Village Schemes (SVS),Multi Village Schemes (MVS)-(01.01)	3134832.00
PipedWater Supply Schemes (PWSS)Single Village Schemes (SVS),Multi Village Schemes (MVS)-(01.01)	2397225.00



Voucher

No. : 6597161

Date: 21/09/2023

For Office Use

Pay : ₹ 18440190.00
 (In Words) : ONE CRORE EIGHTY FOUR LAKH FOURTY THOUSAND ONE HUNDRED NINETY ONLY
 (In cash) : ₹ 18440190.00
 (In Words) : ONE CRORE EIGHTY FOUR LAKH FOURTY THOUSAND ONE HUNDRED NINETY ONLY

By B.T. : Accounting : ₹ 0.0 Non Accounting : ₹ 0.00

Total Credit RS. : ₹ 18440190.00

Sign of Authority

Disclaimer:All contents related to this bill are provided by IA/SNA Authority and he/she is solely responsible for it.

Group Name : JUM VPRP PEL JV

Print Date & Time : 12/10/2023 14:08:56

ANNEXURE

S.No.	Name of Payee	Name of Bank Name of Branch IFMS Code/MICR Code Bank A/C. No. Aadhar No.-PFMS Code (Payee)	Sanction No. Sanction Date	Gross Amount	Deduction Name Deduction Amount	Net Amount
1.	RAJASTHAN CAMPA	UNION BANK OF INDIA-FCS BANGALORE UBIN0996335/0 150855333714083-RJBU00004084	9760 79 13/11/2021	18440190.00		18440190.00




Payable Amount : 18440190.00




Amount in Words : ONE CRORE EIGHTY FOUR LAKH FORTY THOUSAND ONE HUNDRED NINETY ONLY

Sign of Administrator(s) with seal


(Signature)
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

(Seal)

AGENCY COPY	
  	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 20-09-2023	
Agency Name.	PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARMENT RAJASTHAN
Application No.	53154215925
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/028/2023-JPR
Location.	RAJASTHAN
Address.	EXECUTIVE ENGINEER PROJECT DIVISION, BUNDI,RAJASTHANBundi
Amount(In Rs)	18440189.66/-
Amount In Words :One Crore Eighty-Four Lakh Forty Thousand One Hundred and Ninety Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508553154215925 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jellita Towers, Misslon Road, Bengaluru-560027
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

BANK COPY	
  	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 20-09-2023	
Agency Name.	PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARMENT RAJASTHAN
Application No.	53154215925
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/028/2023-JPR
Location.	RAJASTHAN
Address:	EXECUTIVE ENGINEER PROJECT DIVISION, BUNDI,RAJASTHAN Bundi
Amount(in Rs)	18440189.66/-
Amount In Words :One Crore Eighty-Four Lakh Forty Thousand One Hundred and Ninety Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508553154215925 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Misslon Road, Bengaluru-560027
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankoffndla.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank


 Executive Engineer
 PHED Project Division
 BUNDI (R)

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

Add. - Nainwa Road, Behind Head Post Office, Bundi - 323001

E-Mail:- def.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823, Fax No. 0747-2457462

क्रमांक एफ2()एफ0सी0ए0/उवसं/2022-23/ 5630

दिनांक : 16-8-2023

निमित्त,

अधीशाषी अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड बून्दी।

विषय: — Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District BUNDI
From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-1) District Bundi Proposil No.
FP/RJ/WATER/154215/2022

प्रसंग :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र क्रमांक 8
बी/राज0/028/2023/JPR/ दिनांक 10.08.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र क्रमांक 8 बी/राज0/028/2023/JPR/ दिनांक 10.08.2023 से Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District BUNDI From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-1) District Bundi (Online Proposil No. FP/RJ/WATER/154215/2022) के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 4.9975 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 329 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रासांगिक पत्र में वर्णित शर्तों के आधार पर प्रदान करती हैं।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में कार्यालयाधीन प्रभावित वन क्षेत्र के बदले प्राप्त गैर वन भूमि में वृक्षारोपण की राशि का मांग पत्र उप वन संरक्षक रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व (कोर) बून्दी की जानी है।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 एवं संशोधित आदेश 5-3/2011- FC (Vol&-1) दिनांक 06.01.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) 957780 प्रति है0 की दर से 1.5876 (प्रादेशिक वन भूमि) है0 की राशि 1520571.53-रु0 एवं रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में प्रस्तावित क्षेत्र की शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) 4788900 प्रति है0 की दर से 1.9717 (RVTR Buffer) है0 की राशि 9442274.13 रु0

बिन्दू संख्या 2 की कुल राशि 10962845.66 रु0 (एक करोड नौ लाख बासठ हजार आठ सौ छियालिस रुपए) ई-पोर्टल (<http://parivesh.nic.in/>) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा केम्पा अकाउंट में जमा करवाकर एवं एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दूवार पालना-रिपोर्ट निर्धारित-प्रपत्र में इस कार्यालय में प्रेषित करे। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-प्रासांगिक पत्र।

मुवदीय

(ओमप्रकाश जांगिड)
उप वन संरक्षक
बून्दी

दिनांक :

क्रमांक एफ2()एफ0सी0ए0/उवसं/2022-23/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज0 जयपुर।
2. संसागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा।
3. जिला कलक्टर, बून्दी।
4. उप वन संरक्षक रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व (कोर) बून्दी।

(ओमप्रकाश जांगिड)
उप वन संरक्षक
बून्दी

(रामरतन डोई)
अधीशाषी अभियंता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी



REVISED

**Office of the Deputy Conservator of Forest and DY,
Field Director (Core) RVTR Bundi**

Address :- Hanumat Vatika, Near Jait Sagar Lake Office
E-Mail ID-dcfsdyfdeorebundl@rajasthan.gov.in & rvtr@gmail.com (Tel: - 0747-2940255)

No:- / F/F.C.A./ R.V.T.R./ 4382
To %&

Dated = 18/9/2023

Executive Engineer,
PHED,
Project Division Bundi

Sub%& In-Principal approval with regards to Diversion of 4.9975 ha. Forest land for Laying of pipeline Hindoli-Nainwa Water Supply Project District Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (Phase-I) District Bundi Rajasthan in favour of Executive Engineer Public Health Engineering Department Rajasthan. (FP/RJ/WATER/154215/2022)

Ref%& The Ministry of Environment, Forest and Climate Change Rajasthan Jaipur letter dated 10-08-2023.

Sir,

With refrence to the above mentioned subject that some conditions which need to complied prior to handling over of forest land by the User agency or state forest department rajasthan and in compliance of some conditions as following you deposit amount's in CAMPAs account (Through E portal) and then submit the receipt in this office.

1. Cost of CA Scheme 11.40 /- Lacs.

2. Net present Value of forest land and protected land = 55.06374/- Lacs.

Further you submit an affidavit of complete compliance of all conditions on 50/- (Fifty rupees) non judicial stamp in two copies and certificate of forest right act, 2006 from concern authority. So that further action can be taken.

Regard's

Sanjeev Sharma
Deputy Conservator of Forest
And DY, Field Director(Core) RVTR Bundi

Dated:-

No:- / F/F.C.A./ R.V.T.R./

Copy Forwarded to the following for information and necessary action-

1. The Principal Chief Conservator of forest and chief wildlife warden Rajasthan (Jaipur).
2. Additional Principal Chief Conservator of forest and Nodal officer FCA Rajasthan (Jaipur)
3. Chief Conservator of Forest (Wildlife) & Field director MHTR Kota.
4. Deputy Conservator of Forest Bhilwara.

Digitally signed by Sanjeev Sharma
Designation, Deputy Conservator,
Of Forest
Date: 2023.09.18 15:47:13 +05'30'
And Reason: Approved
And Reason: Approved
FL 1

RajKaj Ref No. 4749181

(रामरतन डोई)
अधिसायी अभियन्ता
वन सेवा-आभिविभाग
परिचय नं. ३३७६, बुन्दी
EN Scanner

कार्यालय उप वन संरक्षक , भीलवाडा
कमांक/एफसीए/उवस/2023-24/ 537)
EXECUTIVE ENGINEER PROJECT DIVISION, BUNDIRAJASTHAN
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT RAJASTHAN
PROJECT DIVISION, BUNDIRAJASTHAN

दिनांक 16/08/2023

विषय Diversion of 4.9975 Ha. Of Reserved and Protected Forest land for Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I) District -Bundi (Rajasthan) in favour of Executive Engineer, Public Health Engineer Department, Rajasthan. प्रस्ताव संख्या FP/RJ/WATER/154215/2022

प्रसंग:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर, के पं. 8बी/राज/028/2023/जेपीआर/दिनांक 10.08.2023

राशि मांग पत्र

1. प्रस्ताव का नाम :- Diversion of 4.9975 Ha. Of Reserved and Protected Forest land for Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I) District -Bundi (Rajasthan) in favour of Executive Engineer, Public Health Engineer Department, Rajasthan. प्रस्ताव संख्या FP/RJ WATER/154215/2022

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति का विवरण:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर, के पं. 8बी/राज/028/2023/जेपीआर/दिनांक 10.08.2023

3. वन्यजीव स्वीकृति का विवरण :- निल


4. प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि का विवरण (हे.) :- 4.9975 Ha. (Bhilwara Division- 0.8676 Ha.)

Category	Reserved Forest	Protected Forest	Unclassed Forest	Deemed Forest	Other	Total
Area(Ha.)	0	0.8676	0	0	0	0.8676

5. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि का विवरण (हे.) :-

Category	Non Forest Land	Degraded Forest Land	Total
Area(Ha.)	0.8676	0	0.8676

नोट:- गैर वन भूमि का आवंटन कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक, रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व (कोर) बूंदी के क्षेत्र में समायोजित की गयी है। राशि की मांग उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक, रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व (कोर) बूंदी द्वारा किया जाना है।



(रामरतन डोई)
अधिशाधी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव में जारी स्वीकृति की पालना में निम्नानुसार वर्णित राशि कैम्पा फण्ड ई-पोर्टल द्वारा जमा कराने की व्यवस्था करावे एवं पालना से अवगत करावे:-

क्र.सं. में अर्जित राशि कमांक	विवरण	मांग राशि का मद	अनु- ल है / संख्ये या / मात्रा	दर/ गणना सूत्र	राशि	राशि जमा कराये जाने का मद/ खाते का विवरण	तिथि
01	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation, and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	CA (NIL)	0.86 76 Ha.				राशि की नाम उप वन संरक्षक एव उप क्षेत्रीय निदेशक. रामगढ़ विपक्षी टाईगर रिजर्व (कोर) बूंदी द्वारा किया जाना है।
03	The State Government shall charge the Net present Value (NPV) for the 4.9975 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 1/8/2003, 28/3/2008, 24/4/2008, and 9/5/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (pt.II) dated 18/9/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 3/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 5/2/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC (Vol-1) dated 6-1-2022 in this regard.	NPV	0.86 76 Ha.	957780 /- per Ha. ECO Class- III (Open Forest)	830970 /- (Eight Lakhs, Thirty Thousan d, Nine Hundred Seventy Rupees Only).	CAMPA fund only through e-portal	

(रामरत्न डोई)
अधिसायी अभियन्ता
जन स्वा.अभि.विभाग
परियोजना खण्ड, बूंदी

साथ ही प्रारंभिक चरण द्वारा अधिरोपित रोगजनित शर्तों की पूर्ण ठीक अनुपालना मग अपडेटेडिंग सहित निम्न विभागे ताकि नम गृह प्रत्यावर्तन संबंधी विविधता रवीकृति जारी करवाई जा सके।

संलग्न- पं. दि. 10.08.2023

भवदीया,
उप वन संरक्षक,
भीलवाडा ✓

कमांक/ एफसीए/उवस/2023-24/ 5372 - 77

दिनांक 16/8/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए राज.जयपुर।
- 2 मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
- 3 जिला कलक्टर, भीलवाडा
- 4 जिला कलक्टर बूंदी।
- 5 उप वन संरक्षक, बूंदी, वनमण्डल बूंदी, राजस्थान।
- 6 उप वन संरक्षक, रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व (कोर) बूंदी, वनमण्डल बूंदी, राजस्थान।

उप वन संरक्षक,
भीलवाडा ✓

(रामरतन डोई)
अधिसाषी अभियन्ता
जन स्वा.अभि.विभाग
परियोजना खण्ड, बूंदी

"A" Condition No. 2

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/we **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertakes that the non-forest land proposed for CA will be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.

Place: Bundi

उप वन/संरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal.)

"A" Condition No. 3

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/we **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertakes to that Net Present Value (NPV) for the **4.9975 ha** forest area amount has been deposited in CAMPA fund and receipt attached.

Place: Bundi


उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-09-2023

Agency Name.	PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT RAJASTHAN
Application No.	53154215925
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/028/2023-JPR
Location.	RAJASTHAN
Address.	EXECUTIVE ENGINEER PROJECT DIVISION, BUNDI, RAJASTHAN Bundi
Amount(In Rs)	18440189.66/-

Amount in Words : One Crore Eighty-Four Lakh Forty Thousand
One Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508553154215925 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-09-2023

Agency Name.	PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT RAJASTHAN
Application No.	53154215925
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/028/2023-JPR
Location.	RAJASTHAN
Address:	EXECUTIVE ENGINEER PROJECT DIVISION, BUNDI, RAJASTHAN Bundi
Amount(In Rs)	18440189.66/-

Amount in Words : One Crore Eighty-Four Lakh Forty Thousand
One Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508553154215925 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

(रामरतन डोई)
अधिशायी अभियन्ता
जन स्वा०अभि०विभाग
परियोजना खण्ड, बुन्दी

"A" Condition No. 4

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/we **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertakes to that the User agency hereby agree to pay the additional amount of NPV, if so determined as per the decision of the Hon'ble Supreme Court.

Place: Bundi


उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

"A" Condition No. 5

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/we **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertakes that the Original FRA certificates has been attached with compliance report.

Place: Bundi


उप वन संरक्षक
भीलवाडा (राज.)


Signature of User Agency
PHED Project Division
with Seal
BUNDI (Raj.)

Annexure-1

FROM-1
(For linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Bhilwara

No- F39-7(1)()RA/2023/2539

Dated-06/10/2023

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA" for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 01.17 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi for construction of Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District-Bundi from Chambal-bhilwara wsp (PHASE-I) in Sub-Divisional Bijoliya and Mandalgarh Dist- Bhilwara (Raj.)

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 01.17 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee, Gram Sabha, Sub-division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure -1;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram sabha has given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: AS above


(Ashish Modi)
District Collector, Bhilwara

कार्यालय जिला परिषद भीलवाड़ा

क्रमांक- जल/विभा/सं- 4899/2022-23/112

दिनांक- 11.09.2023

सूचना

अधिसूचना सं. 11/2023 जल-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, परियोजना खाण्ड, मुन्दी में अपने पत्रांक 489-18 दिनांक 09.09.2023 के क्रम में अनुसूचित जातों और अन्य परम्परागत जन विभागीय (जन अधिकार) की मांगों तथा अधिकृत अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Diversion of 1.17 ha of Forest Land (Category of 099/18-100/1) under WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDELKHAND FROM NHAMBI BHILWARA AND JHESHA DISTRICTS TO 17 JAL SANJAWA के क्षेत्रगत 1.17 हेक्टेयर जन भूमि का प्रस्तावित अनु-प्रस्थापन एवं अनु-जलवायु परिष्कार नवीनीकरण कार्य सम्पन्न की प्रस्तावित पर-प्रस्ताव संख्या FFR/WATER USE/2022 द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जातों और अन्य परम्परागत जन विभागीय (जन अधिकार) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत प्रमाणिक प्रमाण पत्र (ERA Certificate) जारी करने हेतु दिनांक 09.09.2023 को सार्वजनिक 100 मिनट जिला स्तरीय आधिकारिक समिति की बैठक जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी। इन बैठक में निम्नानुसार सदस्य आवश्यक रूप से जायी होंगे-

1. उपवन संरक्षक भीलवाड़ा- सदस्य
2. अधिसूचना अधिनियम जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग परियोजना खाण्ड, मुन्दी
3. उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़, विजोलिया
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, माण्डलगढ़, विजोलिया
5. क्षेत्रीय जन अधिकारी, सामूहिक विभागीय टाईगर रिजर्व, मुन्दी
6. श्री हरी चाल चोट, जिला परिषद सदस्य, वार्ड नं. 15, मनीखेड़ा पो, खटवाड़ा तह, माण्डलगढ़
7. श्री अंकित तिवारी, जिला परिषद सदस्य, वार्ड नं. 18, पथिक नगर, विजोलिया
8. श्रीमति सुनीता देवी, गोल्लाल गोल, मुण्डी, कपार प, कपोलिया तह, वनेड




सदस्य सचिव
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद भीलवाड़ा
दिनांक- 11.09.2023

क्रमांक-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाएं-

1. अतिरिक्त आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, खटवाड़ा।
2. उपवन संरक्षक भीलवाड़ा- सदस्य
3. प्रभारी अधिकारी (राजस्व) कार्यालय जिला कलेक्टर भीलवाड़ा कार्यालय पत्र क्रमांक एफ 39-7/आर/2022/1699 दिनांक 19.05.2023 के तदर्थ में।
4. अधिसूचना अधिनियम जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग परियोजना खाण्ड, मुन्दी
5. क्षेत्रीय जन अधिकारी, सामूहिक विभागीय टाईगर रिजर्व, मुन्दी
6. उपखण्ड अधिकारी महानगर विजोलिया, माण्डलगढ़।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, विजोलिया, माण्डलगढ़।
8. श्री हरी चाल चोट, जिला परिषद सदस्य, वार्ड नं. 15, मनीखेड़ा पो, खटवाड़ा तह, माण्डलगढ़
9. श्री अंकित तिवारी, जिला परिषद सदस्य, वार्ड नं. 18, पथिक नगर, विजोलिया
10. श्रीमति सुनीता देवी, गोल्लाल गोल, मुण्डी, कपार प, कपोलिया तह, वनेड
11. विज्ञा सहायक सचिवों/ एसीओ जिला परिषद भीलवाड़ा।


(राधरत्न डंडे)
अधिसूचना अधिनियम
जन स्वास्थ्य विभाग
परियोजना खाण्ड, मुन्दी


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद भीलवाड़ा

कार्यालय जिला परिषद भीलवाड़ा

कमिष्-वन/वेढके 2023-24/ 760

दिनांक 09/2023

वेढके कार्यवाही विवरण

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को वेढके अतिरिक्त जिला कार्यालय भूलेख की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2023 को आयोजित की गई जिसमें अधिशाही अभियन्ता जन स्वास्थ्य आभियांत्रिक विभाग परियोजना खण्ड बून्दी ने अपने वेढके 115-18 दिनांक 30.3.2023 के क्रम में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की जांच/जाँच वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत दिखेली-नेतवा पर्यटन परियोजना के वनाधिकार प्रमाण एवं जारी करने हेतु Divergence of 1.17 hect. forest land having 01 pipe line handover from water supply project district bundi from Chambal Bhiwar (West) District Bundi (Rajasthan) के क्षेत्रफल 1.17 हेक्टेयर (उपरखण्ड क्षेत्र विजोलिया के ग्राम केशविलास की कुल वन भूमि 0.9378 हेक्टेयर है जिसमें रामगढ़ विधारी टाडगार रिजर्व (कोर) वृक्षों का 0.0302 हे. ए. वन भूमि 0.8876 सम्मिलित है तथा उपखण्ड क्षेत्र माण्डलागढ़ के ग्राम धनवाड़ा की वनभूमि 0.2322 हेक्टेयर रामगढ़ विधारी टाडगार रिजर्व (कोर) वृक्षों की है। उक्त भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु प्रयोग पर्यावरण मंत्रालय सरकार की प्रस्ताव संख्या G.P./MVA/ER/1642/15/2022 के वेबसाईट द्वारा आवेदन भी किया गया है। इसी क्रम में उपखण्ड विजोलिया के माण्डलागढ़ से प्राप्त उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति को वेढके कार्यवाही विवरण अनुसार वनाधिकार प्रमाण एवं (FRA Certificate) जारी करने हेतु जिसमें विद्वानुसार जिला स्तरीय वनाधिकार समिति सदस्यों ने भाग लिया।

1. उक्त वन संरक्षक भीलवाड़ा सदस्य
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा
3. अधिशाही अभियन्ता जन स्वास्थ्य आभियांत्रिक विभाग परियोजना खण्ड बून्दी
4. उपखण्ड अधिकारी विजोलिया
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डलागढ़/विजोलिया
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी रामगढ़ विधारी टाडगार रिजर्व बून्दी
7. श्री हरी लाल जाट जिला परिषद सदस्य वाड नं. 14 मु. शनीखेड़ा पो. खटवाड़ा तह. माण्डलागढ़

दिखेली-नेतवा पर्यटन परियोजना उपखण्ड क्षेत्र विजोलिया

क्र.सं.	योजना का नाम	स्थान	वन भूमि		भूमि का पता	परिणत	दिनांक
			असफुजी नं.	हेक्टेयर			
1	दिखेली-नेतवा पर्यटन परियोजना	विजोलिया	159 234/158	0.0894	ग्राम केशविलास मटलार	लक्ष्मीखेड़ा	
2			24	0.0174			
3			34,12,13,35 178/1	0.6910	उपरखण्ड जायदा		
कुल क्षेत्रफल				0.9378			

दिखेली-नेतवा पर्यटन परियोजना उपखण्ड क्षेत्र माण्डलागढ़

क्र.सं.	योजना का नाम	स्थान	वन भूमि		भूमि का पता	परिणत	दिनांक
			असफुजी नं.	हेक्टेयर			
1	दिखेली-नेतवा पर्यटन परियोजना	धनवाड़ा	1243/1161	0.2322	ग्राम धनवाड़ा	माल का खेड़ा	
2			1175/1161				

(रामरतन डोई)
अधिशाही अभियन्ता
जन स्वास्थ्य आभियांत्रिक विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

3		1239/1161	पटवार हल्का माल का खंड
	कुल क्षेत्रफल	0.2322	

बेटक में उपखण्ड स्तर की रिपोर्ट के अनुसार उपखण्ड विजोलिया व माण्डलगढ़ एवं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (कोर) बून्दी के अधीन आने वाली वन भूमि है जिसके प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव ग्राम पंचायत की विशेष ग्राम सभा ने अनुमोदित कर बेटक कायदाही विवरण की प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी विजोलिया व माण्डलगढ़ ने उपखण्ड स्तरीय बेटक कायदाही विवरण के साथ इस कार्यालय की प्रस्तुत की है, जिसके ड्राईरॉजिन (FRA CERTIFICATE) हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन निवासी अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु अपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अतः जिला स्तरीय बेटक में उपखण्ड विजोलिया व माण्डलगढ़ रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (कोर) बून्दी की हिण्डोली नैनवा पेयजल परियोजना निगम में आने वाली वन भूमि Division of 1.17 hect Forest Land Laying of pipe line HINDOLI NEIWA WATER SUPPLY PROJECT DISTRICT BUNDI FROM CHAMBAL BHILWARA WSP (PRESENT) DISTRICT BUNDI (RAJASTHAN) जनजाति समूहों एवं परम्परागत वन निवासियों के दावों के अधिनियम के उद्देश्यों की ध्यान में रखते इसे समाधान कर दिया गया है/ हो गया है।

(मोहनलाल खट्वावनिया RAS)
सदस्य सचिव एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद भीलवाड़ा

जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ पालनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सहायक श्रीमान् जिला कलेक्टर मोहनलाल भीलवाड़ा के कार्यालय पत्रांक एफ 39-7 (1) आर/2022/1229 दिनांक 02.02.2022 के सादर में
2. निजी सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा
3. प्रभारी अधिकारी वन अधिनियम जिला कलेक्टर भीलवाड़ा
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा
5. उपवन संरक्षक भीलवाड़ा/क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं उप वन संरक्षक रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (कोर) बून्दी
6. उपखण्ड अधिकारी विजोलिया/माण्डलगढ़
7. अधिशासी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियानिक विभाग परियोजना खण्ड, बून्दी
8. श्री

सदस्य सचिव एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद भीलवाड़ा

(रामरतन डोई)
अधिशासी अभियन्ता
जन स्वा.अभि.विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / वनाधिकार / 2023 / 1486

दिनांक:- 11.08.2023

—: बैठक कार्यवाही विवरण :-

श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) भीलवाड़ा का पत्रांक वन/FRA Certificate/2023-24/637/16.06.2023 से प्राप्त निर्देशानुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत हिण्डोली- नैनवां पेयजल परियोजना के वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्तावनुसार अतिशीघ्र (FRA Certificate) जारी करने हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 11.08.2023 को प्रातः 11.30 बजे उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बिजौलियां की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। जिसमें निम्नांकित उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के अधिकारीगण/सदस्यगण उपस्थित हुये।

- | | |
|---|---------|
| 1. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बिजौलियां | अध्यक्ष |
| 2. विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजौलियां | सदस्य |
| 3. उप वन संरक्षक माण्डलगढ | सदस्य |
| 4. चन्द्र प्रकाश भील पंचायत समिति सदस्य | सदस्य |
| 5. कैलाशी देवी भील पंचायत समिति सदस्य | सदस्य |
| 6. विरेन्द्र धाकड़ उपसरपंच सलावटिया | सदस्य |


प्रस्ताव संख्या 1 :-


हिण्डोली- नैनवां पेयजल परियोजना के वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में बाद विचार विमर्श किया जाकर अनुशंसा की जाती है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।


क्र.	योजना का नाम	स्थान	वन भूमि		भूमि का पता	पंचायत	आपत्ति/अनापत्ति	विधि
			आराजी.नं.	रकबा हेक्टेयर में				
2	हिण्डोली- नैनवां पेयजल परियोजना	केशुविलास	159, 234 / 158	0.0884	ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा	लक्ष्मीखेड़ा	अनापत्ति	
			24	0.0174				
			3, 4, 12, 13, 35, 173 / 1	0.8310				
कुल क्षेत्रफल				0.9278				




(रामरतन डोई)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा. अभि. विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी



क्षेत्रीय वन अधिकारी
माण्डलगाढ



विकास अधिकारी
पंचायत समिति बिजौलियां


उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिजौलियां

नामित सदस्य


(चन्द्र प्रकाश भील)
पंचायत समिति सदस्य


(कैलाशी देवी भील)
पंचायत समिति सदस्य



(विरेन्द्र धाकड़)
उपसरपंच सलावटिया


क्रमांक/सनाधिकार / 2023 / 1426

दिनांक 11.08.2023

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जिला परिषद भीलवाड़ा
3. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद भीलवाड़ा
4. उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा
5. प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी भीलवाड़ा
6. सहायक प्रभारी अधिकारी, उप निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग भीलवाड़ा
7. तहसीलदार बिजौलियां
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बिजौलियां
9. क्षेत्रीय वन अधिकारी माण्डलगाढ


(रामरतन डोई)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा०अधि०विभाग
परियोजना खण्ड, बुन्दी


उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिजौलियां

ग्रामपालिका ग्राम पंचायत - लक्ष्मीखेडा

पं. स. बिजौलियां, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

<p>प्रेषक :- सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत - लक्ष्मीखेडा पं. स. बिजौलियां, जिला-भीलवाड़ा</p>	<p>प्रेषित :- श्रीमान्... विकास अधिकारी... पं. स. - बिजौलियां ... भीलवाड़ा ...</p>
---	--

क्रमांक: ग्रा.प./लक्ष्मीखेडा/2023-24/15

दिनांक: 02/08/23

विषय :-

अनापत्ति प्रमाण पत्र

— X — X —

प्रमाणित किया जाता है कि दिव्योली - नैनवा परिषीजना द्वारा प्रस्तावित वन भूमि ग्राम केशुबिलास के खसरा नं. 159, 234/158, 24, 3, 4, 12, 13, 35, 173/1 से गुजरने वाली पाईप लाइन का कुल क्षेत्रफल 0-9378 हेक्टर में किसी प्रकार के वनाधिकार के पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। एवं प्रस्तावित प्रत्पावर्तित वन भूमि की स्वीकृती से किसी प्रकार से अनुसुचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की माण्यता) अधिनिपत्र 2006 प्रस्तावित नहीं होता है। यह प्रस्ताव आज दिनांक 01/08/2023 को ग्रामसभा कि बैठक में प्रस्ताव सं. 02 द्वारा सर्वसम्मती से एवं वनअधिकार समिती द्वारा सर्वसम्मती से पारित किया है। प्रत्पावर्तित वन भूमि से वनअधिकार समिती एवं ग्रा.प. को कोई आपत्ति नहीं है।

शांति

सरपंच
ग्राम पंचायत लक्ष्मीखेडा
पंचायत समिति बिजौलियां

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, लक्ष्मीखेडा
पंचायत समिति (बिजौलियां)

Deepak Kumar

दीपक कुमार
सरपंच
ग्राम पंचायत लक्ष्मीखेडा
पंचायत समिति बिजौलियां

[Signature]

कुमार लाल
बिजौलियां

[Signature]

(रामरतन डोई)
अधिशाधी अभियन्ता
जन स्वा.अभि.विभाग
परियोजना खण्ड, बून्दी

Title of the Project : Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District-Bundi

Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I) District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No

: FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal

: 04-07-2022

Diversion Area

: 4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve

(Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

Khasra Wise Area Calculation Sheet (Bhilwara Division)

S.NO	DISTRICT	TEHSIL	VILLAGE	SEGMENT	KHASRA	AREA IN (SQMTR.)	AREA IN (HA)	TOTAL AREA IN (HA)
1	BHILWARA	BIJOLIYA	KESUVILAS	SEGMENT-1	189/8 234/158	894	0.0894	0.0894
				SEGMENT-2	24	174	0.0174	0.0174
2	BHILWARA	BIJOLIYA	KESUVILAS	SEGMENT-2A	3			
					4			
					12			
					13			
				35	7608	0.7608	0.7608	
				173/4				
Total Area Bhilwara Division								0.8676

Place: Bundi

Date : -16-02-2023

Countersigned
Divisional Forest officer
Forest Division
Office Seal

(Ram Ratan Doie)
Executive Engineer
PHED, Project Division-Bundi

(रामरतन डोई)
अधिकाधी अभियन्ता
आहरण एवं वितरण अधिकारी
जन स्वा. अभि. विभाग
परियोजना खण्ड बुंदी (फोड सं. 3216)

(रामरतन डोई)
अधिकाधी अभियन्ता
जन स्वा. अभि. विभाग
परियोजना खण्ड, बुंदी

Project Title: Laydown of Paper Lines Bundelkhand-Narmada Water Supply Project District Bundelkhand
 Bundelkhand Water WSP (PHASE-I) District Bundelkhand
 : PP/R/WATER/154215/2022
 04.07.2022
 4.9975 Ha. (Bundelkhand Division-0.8676 ha, Bangarh V. & Bahari Tiger Reserve
 & Bundelkhand Division-3.6593 ha)

Khasra Wise Area Calculation Sheet (RVTR Bundi Division)

TEHSIL	VILLAGE	SEGMENT	KHASRA	AREA IN (SQMTR.)	AREA IN (HA.)	TOTAL AREA IN (HA.)		
BUNDI	MANDALGARH	SEGMENT-3	173/1	702	0.0702	0.3024		
			1243/1161	2322	0.2322			
			1175/1161					
			1239/1161					
BUNDI	KALANALA	SEGMENT-4	45	1812	0.1812	0.2682		
			688/45					
			691/45					
			43					
			665/26					
			16					
			15					
			9					
			11					
			724				870	0.0870
			712					
			713					
			715					
			707					
709								
708								
524								
523	522/868							
522								
Total Area RVTR Bundi Division						0.5706		

(Ram Ratan Doie)
 Executive Engineer
 PHED, Project Division-Bundi
 जन स्व. अभि. विभाग
 परियोजना खण्ड, बून्दी

(Ram Ratan Doie)
 अधिशासी अभियन्ता
 जन स्व. अभि. विभाग
 परियोजना खण्ड, बून्दी

79	Uhardari	0	0.3652
80	Roneeja	0.0387	0.3770
81	Bundi ka Gotira	0	0.352
82	Bal	0	0.3175
83	Ranipura	0	0.3181
84	Rishanada	0	0.3516
85	Khera	0	0.334
86	Takta	0	0.310
87	Soran	0	0.345
88	Raghunatpura	0	0.369
89	Kodi	0	0.386
90	Pandda	0	0.229
91	Sanwatgarh	0.0124	0.3525
92	Bandi	0.0802	0.3754
93	Sareda	0.087	0.3235
94	Kalanala	0.1812	0.358
95	Eharmar	0	0.3574
96	Dungri	0	0.3278
97	Anv ka Khera	0.0463	0.3442
98	Manpura	0.074	0.3505
99	Nenwa -II	0.0456	0.3845
100	Nenwa -I	0.123	0.363
101	Khanpura	0.0212	0.391
102	Diyali	0	0.3835
103	Korra	0	0.3275
104	Bachhola	0	0.2891
105	Jafawar	0.0511	0.395
106	Khori	0.0139	0.3753
107	Hanuwantpura	0	0.288
108	Suwanja	0	0.2958
109	Suntha	0	0.3345
110	Rajola	0	0.342
111	Fuleta	0	0.3456
112	Barl priyap	0	0.3685
113	Banjari Bawli	0	0.304
114	Bambudi	0	0.339
115	Bhajaneri	0.047	0.223
116	Dokun	0	0.278
117	Hingarow	0	0.261
118	Del	0.1313	0.3666
119	Delpura	0	0.256
120	Dev Ji ka Gudha	0	0.263
121	Khokhera	0	0.214
122	Matera	0	0.25
123	Bansoli	0	0.209
124	Murdiya	0	0.365
125	Modsa	0	0.198
126	Dhandgan	0	0.344
127	Kesubilas	0.9378	0.134
128	Dhanwara	0.8322	0.237
Total		8.8452	8.8452

B-2 4 Component wise breakup

(रिजिस्ट्रेशन डीई)

राष्ट्रीय अभियन्ता

की वितरण अधिकारी

राज्य अल्प

सं. 3231

कार्यालय पंचायत समिति बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक:-पसबि/पंचायत/2023-24/78)

दिनांक 8/08/2023

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड बिजौलियां (भीलवाड़ा)

विषय:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत हिण्डोली - नैनवां पेयजल परियोजना के वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां के पत्रांक क्रमांक /वनाधिकार/2023/1443 दिनांक 04.08.2023 के क्रम में।

उक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि हिण्डोली नैनवा पेयजल परियोजना हेतु वनाधिकार प्रमाण पत्र वास्ते ग्राम पंचायत लक्ष्मीखेडा में 0.9378 हेक्टर भूमी व ग्राम पंचायत मालकाखेडा में 0.2322 हेक्टर भूमी कुल क्षेत्रफल 1.17 हेक्टर भूमी हेतु उक्त ग्राम पंचायतो/वनाधिकार समितियों द्वारा उक्त पेयजल परियोजना हेतु सहमति/अन्नापत्ति प्रस्तुत की है। जिसकी प्रतिया सलंगन कर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही वास्ते प्रेषित है।

सलंगन:- ग्राम पंचायतो अन्नापत्ति/
वनाधिकार प्रमाण पत्र।

(मेजर अली RDS)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति बिजौलियां

प्रतिलिपी:-

01. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा सुचनार्थ।
02. कार्यलय प्रति।

(मेजर अली RDS)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति बिजौलियां

(रामरतन डोई)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अधिकारि
परियोजना खण्ड, बून्दी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/वनाधिकार/2023/ 1132

दिनांक:- 25.08.2023

--: बैठक कार्यवाही विवरण :-


श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) भीलवाड़ा का पत्रांक वन/FRSA Certificate/2023-24/706/17.08.2023 से प्राप्त निर्देशानुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मायता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत हिण्डोली- नैनवां पेयजल परियोजना के वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्तावनुसार अतिशीघ्र (FRSA Certificate) जारी करने हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 25.08.2023 को दोपहर 02 बजे उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट माण्डलगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। जिसमें निम्नांकित उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के अधिकारीगण/सदस्यगण उपस्थित हुये

- | | | |
|---|--|---------|
| 1 | उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ | अध्यक्ष |
| 2 | विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजौलिया | सदस्य |
| 3 | क्षेत्रीय वन अधिकारी समागढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व, बून्दी | सदस्य |
| 4 | सदस्य श्री बरदा बाला शीणा पंचायत समिति सदस्य | सदस्य |
| 5 | सदस्य श्रीमति चंदा देवी गुर्जर पंचायत समिति सदस्य | सदस्य |
| 6 | सदस्य श्री रामलाल भील सरंपंच श्रीनगर | सदस्य |

प्रस्ताव संख्या 2 :-

हिण्डोली- नैनवां पेयजल परियोजना के वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में बाद विचार विमर्श किया जाकर अनुशंसा की जाती है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	योजना का नाम	स्थान	वन भूमि		भूमि का पता	पंचायत	आपत्ति/अनापत्ति	विधि
			आराजीन	रकबा हेक्टर में				
1	हिण्डोली- नैनवां पेयजल परियोजना	धनवाड़ा	1243/1161	0.2322	ग्राम धनवाड़ा	माल का खेड़ा	अनापत्ति	
1175/1161								
1239/1161								
कुल क्षेत्रफल			0.2322					


 (रामरतन डोई)
 अधिशासी अभियन्ता
 जन स्वा.अभि.विभाग
 परियोजना खण्ड,

श्री
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सम्बलपुर
R.Y.T.R रून्दी

ब्रह्मदेव
बरदालाल मोणा
सदस्य (बार्ड सं. 17)
पंचायत समिति मांडलगढ़

नामित सदस्य

डा. श्री
श. प्र. लाल भोव
संरक्षक श्री लंगर

विकास अधिकारी
पंचायत समिति बिजौरिया

उपखण्ड
अधिकारी एवं सी. ए. ए. अधिकारी
उपखण्ड माण्डलगढ़
माण्डलगढ़

क्रमांक / वनाधिकार / 2023 /

दिनांक 08.08.2023

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद भीलवाड़ा
3. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद भीलवाड़ा
4. उपा वन संरक्षक, भीलवाड़ा
5. प्र. प्र. अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी भीलवाड़ा
6. सहायक प्रभारी अधिकारी, उप निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग भीलवाड़ा
7. तहसीलदार माण्डलगढ़
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बिजौरिया
9. क्षेत्रीय वन अधिकारी माण्डलगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं सी. ए. ए. अधिकारी
उपखण्ड माण्डलगढ़
माण्डलगढ़

(रामरतन डोई)
अधिशासी अभियन्ता
जन स्वा. अ. वि. भाग
परियोजना खण्ड, रून्दी

कार्यालय ग्राम पंचायत - मालकाखेड़ा

पंचायत समिति बिजौलियां, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक ग्रां.पं. मालकाखेड़ा | 2023-24 | 06

दिनांक... 16-08-2023

वनाधिकार प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिण्डोली-नैनवां पैमजल्य परिषोजना द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावित वन भूमि ग्नाम थनवाड़ा ग्नाम पंचायत मालकाखेड़ा के रै शुजरने वाली पार्सल नम्बर का खसरा संख्या 1243/1161, 1175/1161, 1239/1161 एकठा 0.2322 हेक्टर में किसी के वनाधिकार पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। एवं प्रस्तावित प्रस्तावित वन भूमि की स्वीकृति से किसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारी संज्ञा) अधि. 2006 प्रस्तावित नहीं होगा है यह प्रस्ताव ग्नामक्षमा एवं वनाधिकार समिति की मेट्ट दिनांक 15-08-20 के प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

[Signature]

सरपंच
ग्नाम पंचायत, मालकाखेड़ा
पंचायत समिति (बिजौलियां)

[Signature]
ग्राम विकास अधिकारी
ग्नाम पंचायत, मालकाखेड़ा
पंचायत समिति (बिजौलियां)

हस्ताक्षर
नरेश प्रसादी
ओपनपुरा
(राजगट विधायी दफ्तर में)

[Signature]
सुधी
वनपाली ग्नामपुरा

[Signature]
मनोज कुमार
पटवारी
हस्ताक्षर मालकाखेड़ा
रहा पृथ (मील)

हस्ताक्षर मालकाखेड़ा
सदस्य
सुनील शर्मा
वर्ग नं. 3

कल्याण मल
सदस्य

रतन प्रसादी
वर्ग नं. 4

[Signature]
(रामरतन डोई)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा.अभि.विभाग
परियोजना खण्ड, बन्दी

विजयलाल शर्मा
वर्ग नं. 5

Full Title of the Project : Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District-Bundi
 Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I) District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal : 04-07-2022

Diversion Area :4:9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha.,Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve
 (Core)- 0.5706 ha. &Bundi Division-3.5593 ha)

Khasra Wise Area Calculation Sheet (RVTR Bundi Division)								
S.NO	DISTRICT	TEHSIL	VILLAGE	SEGMENT	KHASRA	AREA IN (SQMTR.)	AREA IN(HA.)	TOTAL AREA IN (HA.)
1	BHILWARA	MANDALGARH	Keshuvilas	SEGMENT-3	173/1	702	0.0702	0.3024
			DHANWARA		1243/1161	2322	0.2322	
					1175/1161			
					1239/1161			
2	BUNDI	NENAWA	KALANALA	SEGMENT-4	45	1812	0.1812	0.2682
					688/45			
					691/45			
					43			
					665/26			
					16			
					15			
					9			
					11			
					724			
			712					
			713					
			715					
			707					
			709					
			708					
			524		522/868			
523								
522								
Total Area RVTR Bundi Division								0.5706

Place: Bundi
 Date: 16-02-2023

Countersigned
 Divisional Forest officer
 Forest Division
 Office Seal

(Rajn Ratan Dole)
 Executive Engineer
 PHED, Project Division-Bundi
 जन.स्वा.अभि.विभाग
 परियोजना खण्ड, बुन्दी

(रामरतन डोई)
 अधिशाही अभियन्ता
 जन.स्वा.अभि.विभाग
 परियोजना खण्ड, बुन्दी

"A" Condition No. 6

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal : 04-07-2022


Diversion Area : 4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/we **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertakes that to the KML file of the area to be diverted and the CA areas will be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.

Place: Bundi


राम रतन सरक्षक
भीलवाडा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal
PHED, Project Division
BUNDI (Raj.)

"A" Condition No. 7

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)




UNDERTAKING




I/we **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertakes that all the funds received from the user agency under the project will be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.

Place: Bundi



राम रतन सरक्षक
भीलवाडा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

AGENCY COPY	
  	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 20-09-2023	
Agency Name.	PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARMENT RAJASTHAN
Application No.	53154215925
MoEF/SG File No.	BB/RAJ/028/2023~JPR
Location.	RAJASTHAN
Address.	EXECUTIVE ENGINEER PROJECT DIVISION, BUNDI,RAJASTHANBundi
Amount(In Rs)	18440189.66/-
Amount In Words :One Crore Eighty-Four Lakh Forty Thousand One Hundred and Ninety Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508553154215925 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Misslon Road, Bengaluru-560027
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

BANK COPY	
  	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 20-09-2023	
Agency Name.	PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARMENT RAJASTHAN
Application No.	53154215925
MoEF/SG File No.	BB/RAJ/028/2023~JPR
Location.	RAJASTHAN
Address:	EXECUTIVE ENGINEER PROJECT DIVISION, BUNDI,RAJASTHAN Bundi
Amount(In Rs)	18440189.66/-
Amount In Words :One Crore Eighty-Four Lakh Forty Thousand One Hundred and Ninety Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508553154215925 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Misslon Road, Bengaluru-560027
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank


 (रामरतन डोई)
 अधिशाषी अभियन्ता
 जन स्वा०अभि०विभाग
 परियोजना खण्ड, बून्दी

"B" Condition No. 1

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie**, Executive Engineer, PHED, Project Division-**Bundi**, hereby undertake to the legal status of the forest land will remain unchanged.

Place: Bundi


रूप वन संरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal
Executive Engineer
PHED BUNDI (Raj.)

"B" Condition No. 2

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi,** hereby undertake to the Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.

Place: Bundi


उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)


Signature of User Agency
(With Seal)

"B" Condition No. 3

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the Compensatory afforestation will be taken up by the Forest Department **4.9975 ha.** non-forest land Khasra No. 1346, Village-Kota Khurd, District-Bundi of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of any species may be avoided.

Place: Bundi


उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal

"B" Condition No. 4

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the User agency will restrict the felling of trees to 329 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees will be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees will be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

Place: Bundi


राम रतन सरक्षक
भिलवाड़ा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal
EXECUTIVE ENGINEER
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

"B" Condition No. 5

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the Pipeline will be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled.

Place: Bundi


उप वन संरक्षक
भीलवाडा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

"B" Condition No. 6

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the No damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused.

Place: Bundi


राम रतन दोय
भीलवाड़ा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

"B" Condition No. 7

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertakes will obtain Environmental clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

Place: Bundi


उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal
PHED PROJECT DIVISION
BUNDI (RAJ.)

"B" Condition No. 8

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie**, Executive Engineer, PHED, Project Division-**Bundi**, hereby undertakes obtain wildlife clearance proposal has been submitted is under process.

Place: Bundi


उप वरि सरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)


Signature of User Agency
PHED with Seal
BUNDI (Raj.)

"B" Condition No.9

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the The layout plan of the proposal will not be changed without prior approval of Central Government.

Place: Bundi


उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

"B" Condition No.10

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the No labour camp will be established on the forest land.

Place: Bundi


राम रतन सरक्षक
भीलवाडा (राज.)


Signature of User Agency
Executive Engineer
With Seal
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

"B" Condition No.11

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie**, Executive Engineer, PHED, Project Division-**Bundi**, hereby undertake to the Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, will be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

Place: Bundi


उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)


Signature of User Agency
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)
with Seal

"B" Condition No.12

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the boundary of the diverted forest land will be suitably 'demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

Place: Bundi


उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

"B" Condition No.13

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the No additional or new path will not be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

Place: Bundi


उप वन संरक्षक
भीलवाडा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal
PHED Division
BUNDI (Raj.)

"B" Condition No.14

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the forest land will not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

Place: Bundi


उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)


Signature of User Agency
PHED with Seal Division
BUNDI (Ra.)

"B" Condition No.15

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the forest land proposed to be diverted will under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

Place: Bundi


राम रतन सरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal
PHED, Project Division
BUNDI (Raj.)

"B" Condition No.16

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie**, Executive Engineer, PHED, Project Division-**Bundi**, hereby undertake to the The User Agency will submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Intégrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.

Place: Bundi


उप वन संरक्षक
भीलवाडा (राज.)


Signature of User Agency
PHED with Seal Division
BUNDI (Raj.)

"B" Condition No.17

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022

Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the The User Agency will comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.

Place: Bundi


उप वन सरक्षक
भीलवाडा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal
PHED, Project Division
BUNDI (Raj.)

"B" Condition No.18

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie**, Executive Engineer, PHED, Project Division-**Bundi**, hereby undertake to the violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

Place: Bundi


उप वन संरक्षक
भीलवाडा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal
PHED, Project Division
BUNDI (Raj.)

"B" Condition No.19

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022

Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi**, hereby undertake to the any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

Place: Bundi

उप (वन) सरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)


Signature of User Agency
with Seal
Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

"B" Condition No.20

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project
District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I)
District -Bundi(Rajasthan)

Proposal No : FP/RJ/WATER/154215/2022


Date of Proposal :04-07-2022


Diversion Area :4.9975 Ha. (Bhilwara Division-0.8676 ha., Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve (Core)- 0.5706 ha. & Bundi Division-3.5593 ha)

UNDERTAKING

I/We **Ram Ratan Doie, Executive Engineer, PHED, Project Division-Bundi,** hereby undertake to the The compliance report will be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>)

Place: Bundi


उप वन/सरक्षक
भीलवाड़ा (राज.)


Signature of User Agency
Executive Engineer
with Seal
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE



क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/ Regional Office, Gandhinagar

ए वींग- 407 एवं 409, "अरण्य भवन", सी.एच.-3 सर्किल के समीप, सेक्टर-10ए, गांधीनगर-382010 / A
wing- 407 & 409, "ARANYA BHAWAN", Near CH-3 Circle, Sector-10A, Gandhi Nagar-382010
Email: iro.gandhingar-mefcc@gov.in

दिनांक: 10th अगस्त, 2023

सेवामें,
शासन सचिव(वन),
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन,
जयपुर, राजस्थान।

(Online Proposal No: FP/RJ/WATER/154215/2022)

विषय: Diversion of 4.9975 ha of Reserved and Protected Forest land for Laying of Pipeline Hindoli-Nainwa Water Supply Project District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I) District -Bundi (Rajasthan) in favour of Executive Engineer, Public Health Engineer Department, Rajasthan.

सन्दर्भ: शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक-प.1(58)वन/2023, जयपुर, दिनांक-31.07.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण के परीक्षणोपरान्त केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु 4.9975 हे० वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं 329 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति (In-principle/Stage-I approval) निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

1. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
2. The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.
3. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the **4.9975 ha** forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard.

(Signature)
18/07/2023

(Signature)

Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)


8B/RAJ/028/2023-JPR


I/50556/2023

4. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
5. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
6. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.
7. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.

B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 4.9975 ha non-forest land, Khasra No. 1346, Village- Kota Khurd, District-Bundi of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
4. User agency shall restrict the felling of trees to 329 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
5. The Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled.
6. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
7. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
8. User Agency shall obtain **wildlife clearance**.
9. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
10. No labour camp shall be established on the forest land.
11. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
12. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
13. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
14. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.


Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (R.A.)


10/07/2023


/50556/2023

15. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
 16. The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.
 17. The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
 18. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
 19. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
 20. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
- After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for Final/Stage-II approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to SRO, Jaipur. Transfer of forest land shall not be effected till Final/Stage-II approval is granted by the Central Government in this regard.
- Further, it may also be noted that this **In-principle / Stage-I** approval shall be valid for a period of 5 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after **five (05) years**.

भवदीय/Sincerely
10/07/2023
श्रवण कुमार वर्मा
(श्रवण कुमार वर्मा/Shrawan Kumar Verma)
क्षेत्रीय अधिकारी/Regional Officer
क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar.

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003.
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
3. उप वन संरक्षक, बूंदी, वनमण्डल, बूंदी, राजस्थान।
4. उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा वनमण्डल, भीलवाड़ा, राजस्थान।
5. उप वन संरक्षक, रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व (कोर) बूंदी वनमण्डल, बूंदी, राजस्थान।
6. अधिशाही अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना संभाग- बूंदी, राजस्थान।
7. आदेश पत्रावली।


Executive Engineer
PHED Project Division
BUNDI (Raj.)

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वा0 अभि0 विभाग परियोजना खण्ड बून्दी
शंकर उद्योग के सामने, नैनवा रोड, बून्दी - 323001

mail:- eeproj.bun.phed@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- अ.अ./परि./ख.बून्दी/2023-24/2070-72

दिनांक:- 19.12.2023

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
जिला भीलवाडा।

विषय:- Laying of pipe line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District Bundi from Chambal bhilwara water supply (PHASE-I) dist. Bundi Raj. (Online Proposal No. FP/RJ/WATER/154215/2022.)

- प्रसंग :- 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र क्रमांक 8 बी/राज/028/2023/JPR/दिनांक 10.08.2023
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज0 जयपुर के पत्रांक 7122-25 दिनांक 11.08.2023।
3. इस कार्यालय के पत्रांक 1701 दिनांक 18.10.2023 की पालना रिपोर्ट के क्रम में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है की भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्र क्रमांक 8 बी/राज/028/2023/JPR/दिनांक 10.08.2023 विषयांकित प्रकरण के निर्माण हेतु वनसंरक्षक अधिनियम 1980 के तहत केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 4.9975 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 329 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रासांगिक पत्र में वर्णित शर्तों के आधार पर प्रदान की गई थी।

इस कार्यालय के द्वारा प्रासांगिक पत्रांक दिनांक 18.10.2023 से पालना रिपोर्ट आप के कार्यालय में परीक्षण हेतु जमा करवा दी गई थी। पालना रिपोर्ट के संदर्भ में आप के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 02 समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित कर भिजवाने के लिए अवगत करवाया गया था। अतः समाचार पत्र प्रति निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	वर्णित शर्त	रिपोर्ट
1.	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफसी दिनांक 24.01.2013 से एन0जी0टी0 के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना।	दैनिक समाचार पत्र :- 1. दैनिक नवज्योति (हिन्दी) दिनांक 12.12.2023 (प्रति संलग्न) 2. Times of India (English) दिनांक 18.12.2023 (प्रति संलग्न)

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त समाचार पत्र की प्रतिलिपी इस कार्यालय के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जिस पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करे ताकि परियोजना के कार्य को समय पर पूर्ण किया जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(संलग्न डीई)

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड बून्दी

दिनांक:- 19.12.2023

क्रमांक:- अ.अ./परि./ख.बून्दी/2023-24/2070-72

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभि. जन स्वा.अभि. विभाग, क्षेत्र कोटा।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना वृत्त झालावाड।


अधिशाषी अभियन्ता

जयपुर

जयपुर के नवज्योति पत्रिका के बारे में जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। हमारे पत्रिका के माध्यम से आप अपने समाचारों और विचारों को साझा कर सकते हैं।

संपर्क: 0141-2345678

विकसित भारत 2047 के लिए युवाओं की बड़े भागीदारी: मिश्र

युवाओं को प्रेरित करने के लिए सरकार को बड़े भागीदारी की आवश्यकता है। युवाओं को प्रेरित करने के लिए सरकार को बड़े भागीदारी की आवश्यकता है। युवाओं को प्रेरित करने के लिए सरकार को बड़े भागीदारी की आवश्यकता है।



युवाओं को प्रेरित करने के लिए सरकार को बड़े भागीदारी की आवश्यकता है। युवाओं को प्रेरित करने के लिए सरकार को बड़े भागीदारी की आवश्यकता है। युवाओं को प्रेरित करने के लिए सरकार को बड़े भागीदारी की आवश्यकता है।

एनडब्ल्यूआर को उत्कृष्ट कार्य के लिए गोविन्द वल्लभ पंत शिल्ड

एनडब्ल्यूआर को उत्कृष्ट कार्य के लिए गोविन्द वल्लभ पंत शिल्ड। एनडब्ल्यूआर को उत्कृष्ट कार्य के लिए गोविन्द वल्लभ पंत शिल्ड। एनडब्ल्यूआर को उत्कृष्ट कार्य के लिए गोविन्द वल्लभ पंत शिल्ड।

निर्यातकों को सम्मानित करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर

निर्यातकों को सम्मानित करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर। निर्यातकों को सम्मानित करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर। निर्यातकों को सम्मानित करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर।

चिकित्सा शिविर में 320 लोगों ने उठया लाभ

चिकित्सा शिविर में 320 लोगों ने उठया लाभ। चिकित्सा शिविर में 320 लोगों ने उठया लाभ। चिकित्सा शिविर में 320 लोगों ने उठया लाभ।

आवश्यकता अनुसार

आवश्यकता अनुसार... आवश्यकता अनुसार... आवश्यकता अनुसार...

AWARENESS PROGRAMME ON COIR

One Day Awareness Programme will be organized by COIR BOARD Showroom and Sales Dept, Jaipur (Ministry of MSME, Govt. of India), at Seminar Hall, MSME Development Institute, B-15 Sector 10A, Gandhinagar, Jaipur on 13.12.2023. A total of 50 representatives of candidates will be selected on a first come first serve basis.

उत्तर मध्य रेलवे

उत्तर मध्य रेलवे... उत्तर मध्य रेलवे... उत्तर मध्य रेलवे...

उत्तर पश्चिम रेलवे

उत्तर पश्चिम रेलवे... उत्तर पश्चिम रेलवे... उत्तर पश्चिम रेलवे...

ऑनलाइन प्रवेश का मौका

ऑनलाइन प्रवेश का मौका... ऑनलाइन प्रवेश का मौका... ऑनलाइन प्रवेश का मौका...

दैनिक नवज्योति

जयपुर, मंगलवार, 12 दिसंबर 2023

MUNICIPAL CORPORATION BHARATPUR

NOTICE INVITING E-TENDERS - 16

Water supply... Water supply... Water supply...

प्यायारा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

प्यायारा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय... प्यायारा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय...

जयपुर नगरपालिका

जयपुर नगरपालिका... जयपुर नगरपालिका... जयपुर नगरपालिका...

जयपुर नगरपालिका

जयपुर नगरपालिका... जयपुर नगरपालिका... जयपुर नगरपालिका...

